राजस्थान विधान सभा

चौंतीसवीं बैठक, दिनांक २८ अप्रेल, १९५३

सदन का कार्य ८ बज कर २० मिनिट पर प्रारम्भ हुआ

(श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या १०४८

श्री प्रभुदयाल—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार ने चूरू व बीकानेर जिले के हरिजनों को नहरी इलाके में जमीन देने की कोई स्कीम बनाई है या विचार है? अगर हां, तो कब से कार्यान्वित की जावेगी या की गई है? अगर नहीं, तो क्यों?

(२) किन शर्तों पर जमीन देने का विचार है?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—नहीं। फिलहाल सिर्फ नहरी इलाके की भूमि वहां के काश्तकारों को, जिनमें हरिजन भी काफी संख्या में शामिल हैं, अॅलोट की जा रही है। इसके बाद यदि कुछ भूमि बची तो बीकानेर और चूरू जिलों के हरिजनों को बांटने का प्रश्न आयेगा।

(२) प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री गुरुदयाल सिंह सन्धु—क्या यह समझा जाता है कि वहां भूमि इतनी कम होगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मेरे ख्याल से शायद नहीं।

श्री जसवन्तसिंह—क्या वह जमीन जो किसानों को देने के बाद में अॅलोट की जायगी वह रियायती रेट पर दी जायगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—ऐसी जमीन इन्सटालमेन्ट बेसिस पर दी जाती हैं और किसानों को अलोट करने के बाद यदि बचेगी तो दी जायगी।

श्री जसवन्तसिंह—लेकिन क्या कीमत एक ही होगी?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कीमत जो उचित है उसी पर दी जायगी।

Page No.2

प्रश्न संख्या १०४६

श्री रघुराजसिंह—Will the Minister for Separate Revenue be pleased to state:—

(a) Is the Government aware that the tax on Tobacco recently imposed by the Central Excise Department is collected arbitrarily by the Revenue Staff without explaining any accounts to the cultivators ?

(b) Is it also true that the tax is in most cases collected even from those who should be exempt under the Rules ?

(c) Will immediate action be taken to check this ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री) (अ) नहीं ।

(ब) इसके बारे में सरकार को कोई सूचना नहीं मिली है ।

(स) इस टेक्स की वसूली का कुल प्रबन्ध केन्द्रीय सरकार करती है अतः राजस्थान सरकार द्वारा इस मामले में कार्यवाही संभव नहीं है ।

श्री रघुराजसिंह—लेकिन यदि कल्टीवेटर्स के साथ ज्यादती की जावे तो क्या यह सरकार का कार्य नहीं है कि उनको बचाया जावे और अनुचित तरीके से लिये जाने वाले टैक्स को रोके ?

श्री भोलानाथ—पहले जो सरकारी कर्मचारी बाकायदा काम कर रहे हैं उनके पास अभ्रोष होना चाहिये । यदि सामुहिक रूप से कोई कार्यवाही हुई है तो नोटिस में लाना चाहिये ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या यह फर्ज हमारा है कि हम सरकार के नोटिस में लावें ? आपके सरकारी अफसर फिर किस काम के लिये हैं ?

श्री भोलानाथ—जिनको तकलीफ होती है उनको नोटिस में लाना चाहिये ।

श्री हिम्मतसिंह—फिर तहसीलदार, कलेक्टर वगैरह क्या करेंगे ?

श्री भोलानाथ—तहसीलदार, कलेक्टर्स वगैरह को तकलीफ नहीं होगी ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या तहसीलदार, कलेक्टर्स वगैरह का फर्ज नहीं है कि वे गवर्नमेन्ट को मूव करें ?

श्री जसवन्तसिंह—क्या हम यह समझें कि सरकार की यह नीति है कि आम जनता को यदि तकलीफ है तो जब तक जनता की तरफ से कोई शिकायत नहीं आवे तब तक सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती ?

Page No.3

श्री भोलानाथ—यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का मामला है। यदि कोई मामला है तो पहले उनके अफ़सरों के पास जाना चाहिये। यदि वहां से निराश हो जावें तब यहां आना चाहिये वरना दूसरी सरकार के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते।

श्री रघुराजसिंह—इसकी तामील व वसूली राजस्थान सरकार के अमले द्वारा होती है, तो उनका फर्ज है कि रूल्स और रेग्युलेशन्स के अनुसार कार्य करें और जो बात हो वह सरकार के नोटिस में लावें।

श्री भोलानाथ—सेन्ट्रल एक्साइज़ के इन्सपेक्टर्स अलग होते हैं।

श्री रघुराजसिंह—लेकिन रकम की वसूली रेवेन्यू स्टॉफ करता है। इस मामले में कलेक्टर कोटा के पास कंप्लेन्ट्स हैं।

श्री भोलानाथ—कलेक्टर कोटा के पास शिकायत है या नहीं, इसका मुझे पता नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—हमें खेद है कि गवर्नमेन्ट इस बात से बिल्कुल अनभिज्ञ है।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट से राजस्थान सरकार लिखा-पढ़ी करके ठीक व्यवस्था करने का प्रयत्न करेगी ?

श्री भोलानाथ—यदि इस प्रकार का मामला सामने आयेगा तो अवश्य करेगी। लेकिन ये शिकायतें आम तौर से गलत हैं। अलवर में एक केस हुआ था तथा सेन्ट्रल एक्साइज के इन्सपेक्टर और उनके बडे अफ़सर को बुलाया गया था और उनके साथ हमारे यहां के एम.पी. श्री शोभारामजी गये थे। उनके साथ एक-दो आदमी और भी मौके पर गये थे। जितना कूता बताया उससे ज्यादा निकला और शिकायत झूठी साबित हुई। इस मामले में हमको शर्म भी उठानी पडी।

श्री रघुराजसिंह—क्या अलवर के मामले को लेकर यह तय कर लिया गया कि बाकी जगहों पर भी कोई शिकायत नहीं है ?

श्री भोलानाथ—हांडी में एक चावल को देखकर पहचाना जाता है कि चावल पका या नहीं।

श्री हिम्मतसिंह—क्या आप पसन्द करेंगे कि इसके खिलाफ डिमोन्स्ट्रेशन किया जावे ?

श्री भोलानाथ—कीजिये।

श्री हिम्मतसिंह—मैं नहीं करूंगा लेकिन जनता करेगी।

श्री भोलानाथ—मैं इस मामले में हस्तक्षेप करना आवश्यक नहीं समझता। यदि आपको शिकायत हो तो गवर्नमेन्ट ऑफ इंडिया के पास जाइये।

श्री जसवन्तसिंह--अभी मंत्रीजी ने फरमाया था कि हांडी में एक चावल को देख कर पहचाना जाता है, लेकिन मैं निवेदन करूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि ऊपर का चावल ठीक होते हुए भी नीचे का चावल गल जाता है ?

श्री भोलानाथ--यह तो रसोई बनाने वाला बता सकता है।

प्रश्न संख्या १०५०

श्री नारायण चतुर्वेदी--क्या पृथक राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :--

(१) जयपुर नगर में थोक व्यापारी बाहर से माल मंगाते हैं और उसे स्टेशन से डाइरेक्ट रीबुक करा देते हैं; उस पर भी क्या १/८ हिस्सा कस्टम लिया जाता है ?

(२) अगर लिया जाता है तो क्या ऐसा कस्टम जोधपुर, बीकानेर आदि नगरों में भी लिया जाता है ?

(३) अगर उक्त नगरों में नहीं लिया जाता तो जयपुर में ही क्यों लिया जाता है ?

(४) क्या बिना शहर के अन्दर माल पहुंचे ही कस्टम वसूल करना वाजिब है और क्या इसका व्यापार की तरक्की पर बुरा असर नहीं पड़ता ?

(५) क्या सरकार इस असुविधा को दूर करने का विचार कर रही है ?

श्री भोलानाथ--(१) व्यापारी राजस्थान के बाहिर से रेल द्वारा माल मंगवाते हैं और उसकी डिलीवरी लेकर कस्टम्स ड्यूटी अदा कर देते हैं। यदि वही माल पुनः निर्यात किया जाता है तो जयपुर कस्टम्स एक्ट, १९४३ की धारा ३६ के अनुसार वसूल की हुई ड्यूटी का १/८ भाग रख कर बाकी ७/८ भाग ड्रॉ बैक के नियम के अनुसार उन्हें वापिस दे दिया जाता है। बिना डिलीवरी हुए डाइरेक्ट रीबुकिंग पर कोई कस्टम्स ड्यूटी नहीं ली जाती है।

(२) व (३) सभी जगह राजस्थान में जहां जहां ड्रॉ बैक दिये जाने के नियम हैं ऐसा ही अमल है। हर जगह स्थानीय कानून लागू हैं और उनके माफिक अमल किया जाता है।

(४) माल की डिलीवरी हो चुकने के बाद शहर में आयात होना ही शुमार होता है क्योंकि रेल्वे स्टेशनों की राजस्थान में हद शुमार हो चुकी है।

(५) जिन व्यापारियान का अभिप्राय यह होता है कि ऐसे आये हुए माल का रीबुकिंग करके उसको राजस्थान के बाहर भेजा जावेगा तो उनसे कोई कर वसूल नहीं किया जाता है इसलिये उनके लिये कोई असुविधा की बात ही नहीं है।

श्री सरदारसिंह--क्या माननीय मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ट्रेफिक ड्यूटी है, वह चालू है या बन्द है ?

Page No.5

श्री भोलानाथ—चालू है अभी तो यह प्रश्न आया है ।

प्रश्न संख्या १०५१

श्री हंसराज जटिया—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) कस्बा बारी, धौलपुर युनिट में नल लगाने की योजना है या नहीं ?

(ख) अगर नहीं तो क्यों नहीं ?

श्री भोलानाथ—(१) कस्बा बारी धौलपुर यूनिट में नल लगाने की कोई योजना अभी सरकार के विचाराधीन नहीं है ।

(२) कारण अर्थाभाव है ।

प्रश्न संख्या १०५२

श्री हंसराज जटिया—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) धौलपुर यूनिट में कितना गल्ला भरा हुआ है ?

(२) अगर भरा हुआ है तो जनता में गल्ले की कमी होने के कारण उसे क्यों वितरण नहीं किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या—धौलपुर युनिट में इस समय कोई गल्ला नहीं रखा हुआ है । जो गल्ला वहां पर था वह स्थानीय जनता में वितरण कर दिया गया है। यही नहीं, दूसरे भागों का यथा गंगापुर, सवाई माधोपुर, जयपुर, चोमू आदि से भी गल्ला भेज कर धौलपुर में वितरण किया गया है। अलबत्ता कुछ गल्ला जो सेपऊव बसई नवाब में रखा हुआ था मार्ग में नदी पड़ने के कारण समय पर धौलपुर नहीं लाया जा सका, इसलिये उस गल्ले को वहां ही नीलाम कर दिया गया है ।

प्रश्न संख्या १०५३

श्री महादेव प्रसाद—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में कहां कहां की नगरपालिकाओं के महतरों ने सन् ५२ व ५३ में हडतालें कीं ?

(२) हडतालें करने के कारण क्या थे ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—

(१) सन् १९५२-५३ में निम्नलिखित स्थानों पर नगरपालिकाओं के महतरों ने हडतालें कीं:—सिरोंज, नाथद्वारा, फलोदी, शाहपुरा, पिडावा, शिवगंज और सुजानगढ ।

[श्री रामकरण जोशी]

(२) हड़तालों का मूल कारण नगरपालिकाओं की आर्थिक दशा गिरी हुई होना तथा समय पर वेतन न मिलना था। सरकारी सहायता तथा उचित ऋण देकर स्थिति को काबू में लाया गया।

एक सदस्य—क्या हरिजनों की अवस्था को सुधारने के लिये आदेश दिये गये हैं ?

श्री रामकरण जोशी—हां।

एक सदस्य—क्या इन हडतालों का कारण टाइम पर तनख्वाह नहीं मिलना नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी—मैं उत्तर दे चुका हूं।

प्रश्न संख्या १०५४

श्री महादेव प्रशाद—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) झुन्झुनू व बगड की नगरपालिकाओं के महतरों की माहवार क्या तन्ख्वाहें हैं ?

(२) कितने समय से उन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई हैं ?

श्री रामकरण जोशी—(स्वायत्त शासन मंत्री):—

(१) झुन्झुनू नगरपालिका के मेहतरों की माहवारी तनख्वाह १३ रु० व महंगाई भत्ता ५ रु० है।

(२) बगड नगरपालिका के मेहतरों का वेतन १२ रु० माहवार है।

(३) दोनों जगह की नगरपालिकाओं के मेहतरों का वेतन चूकता दे दिया गया है।

प्रश्न संख्या १०५५

श्री महादेव प्रशाद—क्या कृषि मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे:—

(क) झुन्झुनू जिले में १९५२-५३ में कितने ग्राम सरकार द्वारा अकाल पीडित घोषित किये गये ?

(ख) उक्त ग्रामों के किसान व मजदूर वर्ग के लिये अब तक (उपरोक्त समय) सरकार ने क्या किया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—झुन्झुनू जिले में अकाल की स्थिति घोषित नहीं की गई है। अतः दूसरा प्रश्न खडा नहीं होता।

Page No.7

श्री महादेव प्रशाद–तो क्या यह मान लिया जावे कि झुन्झुनू जिले में अकाल नहीं पड़ा है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—झुन्झुनू जिले के कुछ हिस्सों में फसल कम हुई है पर अकाल घोषित नहीं किया गया है ।

श्री महादेव प्रशाद—क्या वहां कमी का इलाका घोषित किया गया है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—कमी का इलाका भी घोषित नहीं किया गया है ।

श्री भैंरू सिंह (दांता रामगढ़)—अकाल की स्थिति घोषित करने के लिये कौन कौन सी बातें देखी जाती हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया–यही कि वर्षा की कमी, फसल की कमी और बेकारी आदि जहां हो वह इलाका कमी वाला इलाका घोषित किया जाता है ।

श्री भैंरू सिंह (दांता रामगढ़)—क्या झुन्झुनू इलाके में यह स्थिति नहीं थी ? अगर थी तो उसे कमी वाला इलाका क्यों नहीं घोषित किया गया ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—उस इलाके के बारे में जितनी रिपोर्ट सरकार के पास आई है उससे इस तरह की स्थिति वहां मालूम नहीं पड़ती ।

प्रश्न संख्या १०५६

श्री कंवरलाल जेजिया—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:–

(अ) कोटा डिवीजन में सन् ५२-५३ के बजट के आधार पर कौन कौन से रोड व पुल व इमारतों के कार्य के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग से कितनी कितनी रकम स्वीकृत की गई व कुल कितनी ?

(ब) इन स्वीकृत कार्यों में से कौन कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं व कौन कौन से अधूरे ही रह गये हैं ? यह कार्य किन कारणों से अधूरे रहे ?

(स) यह कहां तक सही है कि जो सड़कें ५२-५३ में दुरुस्त की गई हैं (कोटा झालावाड रोड, कोटा बारां रोड) केवल एक बरसात होने पर ही उन पर वापस गड्ढे हो गये ? क्या सरकार ने इनकी जांच की ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री)—(अ) कोटा डिविजन में सन् ५२-५३ के बजट के अनुसार ७८०८५५) रु० की रकम जिन जिन कार्यों के लिये स्वीकृत की गई उसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है । इसके अलावा वार्षिक साधारण तथा खास मरम्मत के लिये इस डिविजन की सडकों के ९७३०६१) रु० और मकानों की मरम्मत के १९००००) रु० स्वीकृत हुए । कुल १९४३९१६) रु० स्वीकृत हुए ।

(कृपया नीचे देखिये)

Page No.8

[श्री भोलानाथ]

(ब) उपरोक्त विवरण में ही यह दिखा दिया है कि कौन कौन से कार्य पूरे हो चुके हैं तथा कौन कौन से अधूरे रहे हैं। उनके कारण भी इसी विवरण में प्रदर्शित किये गये हैं।

(स) संबन्धित एग्जीक्युटिव इन्जीनियर की रिपोर्ट है कि सन् ५२-५३ में कोटा, बांरा, झालावाड सडक की माइल १७,१८,२६,२७,५१ और ५२ जीर्णोद्धार की गई है। यह बिल्कुल ठीक है और टूटी नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी जांच की आवश्यकता नही है।

सूची टेबिल पर रख दी गई है फिर भी आप चाहें तों पढ़ कर सुना देता हूं:—(आवाजें 'पढ़ कर सुना दी जावे")

Statement showing the works sanctioned in Kotah Division during 1952-53.

S.No.	*Name of work.*	*Budget provision.*	*Remarks.*
1.	Construction of Bargir stable into office at Kotah.	10,000/-	Completed
2.	Metalling 2 miles of fair weather road between Sironj and Lateri.	22,000/-	Work completed
3.	Constructing Grain Godown at Kotah.	22,000/-	-do-
4.	Constructing grain godown at Bundi.	21,000/-	-do-
5.	Metalling unmetalled portion of road from Mile 2/13 to 5/16 near Digod on Kotah Itawah Road.	5,000/-	-do-
6.	Constructing Kherenjah across Sukni river at Pipalda.	6,000/-	-do-
7.	Constructing 196 quarters at Vallabhnagar Colony.	4,34,855/- (for items 7–9)	Almost completed
8.	Constructing of 91 quarters at Bundi.		
9.	Constructing of 13 quarters more in vallabha Nagar Colony at Kotah.		
10.	Constructing Pachpahar Dug Gangdhar Road mile 74 to 79.	70,000/-	Works in progress. The progress is kept according to allotment of funds.
11.	Metalling Bapawar Sangod Road Mile 0 to 10.	50,000/-	-do-
12.	Constructing Almia Bridge on Durrah Road.	20,000/-	-do-
13.	Metalling unmetalled portion of Baran Atru Gau Ghat Salpura Road.	60,000/-	-do-
14.	Constructing road from Surejpole to Dhanmandi.	60,000/-	Technical and Administrative sanction awaited.

Page No.9

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि वल्लभनगर कोलोनी को बनाने के लिये ४ लाख रूपये भारत सरकार की ओर से मिले हैं ?

श्री भोलानाथ—हां ।

श्री कंवरलाल जेलिया—सन् १९५२-५३ में सरकार की ओर से १ लाख की मंजूरी हुई थी उसमें से केवल २० हजार रुपये ही क्यों खर्च किये गये ?

श्री भोलानाथ—ठेकेदारों का आपस में झगडा था इस कारण से पूरे रुपये खर्च नहीं हो पाये ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या यह सही है कि इंजीनियर ने ठेकेदारों से कई बार टेन्डर कॉल (मांगें) किये मगर फिर भी उन्होंने टेन्डर नहीं दिये ?

श्री भोलानाथ—यह बात सही नहीं है, गलत है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—फिर इतनी देरी क्यों लगी ?

श्री भोलानाथ—ठेकेदारों के आपस में सिविल सूट था । इसके अलावा डिजाइन भी बदला गया, इस कारण देर हुई ।

श्री रघुराजसिंह—कोटा बारां और कोटा-झालावाड रोड........................

श्री भोलानाथ—जितनी सूचना मेरे पास थी वह तो मैंने आप को बतला दी ।

श्री रघुराजसिंह—क्या यह सही है कि इस प्रकार के कामों में जितना इन्टरवल होना चाहिये उससे ज्यादा समय लगा ? क्या यह भी बताने की कृपा करेंगे कि कितने समय में काम हो जाना चाहिये था ?

श्री अध्यक्ष—यह टेक्निकल प्रश्न है ।

श्री भोलानाथ—यह एक प्रकार का टेक्निकल प्रश्न है । जिसे टेन्डर दिये जाते हैं और बाद में मामला तय किया जाता है उसमें समय तो लगता ही है । वहां पर टार मंजूर नहीं हुआ था ।

श्री रघुराजसिंह—मंजूरी होने के बाद रोड भी खराब हो गई और उसके दुबारा रिपेअर्स होने की बात भी है ।

श्री भोलानाथ—अगर आप इस बात को आवश्यक समझें कि वहां पर टार होना चाहिए तो टार भी करा देंगे ।

एक सदस्य—अवश्य ।

श्री भोलानाथ—यह इंजिनियरों का काम है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या कोटा बारां रोड और कोटा-झालावाड रोड की आपने जांच की है ?

श्री भोलानाथ—मैंने जो आपको लिख कर दिया है वह ठीक है ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या कारण है कि पी. डब्ल्यु. डी. से बजट की मंजूरी हो जाने के बाद भी ६-७ महिनों तक ठेके होते और पांच-पांच छै-छै बार टेन्डर केरिन्सल किये जाते हैं ।

श्री भोलानाथ—ठेकेदार लोग आपस में मिल जाते हैं और साजिश करते हैं और गड़बड़ करत हैं । इसलिये सरकार यह नही चाहती की ठेकेदार इस प्रकार गड़बड़ी करें ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार इसका कारण बतलायेगी कि एक वर्ष में जो रकम मंजूर होती है उसका ठेका आदि दिसम्बर तक दिया जाता है फिर थोडे समय में पूरा काम नहीं हो पाता और वह रकम लेप्स हो जाती है; यह बात सच है ?

श्री भोलानाथ—वह रकम लेप्स नहीं होती, काम होता है ।

श्री हिम्मतसिंह—अभी माननीय मंत्री ने बतलाया कि अरनिया के पुल का डिज़ाईन बदला जा रहा है । क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कितना काम हो चुका और उसके बाद डिज़ाइन बदला गया ?

श्री भोलानाथ—मैंने यह कहा कि पुराने ठेकेदार का डिज़ाइन बंद किया गया । बाद में उसी ठेकेदार ने आकर यह कहा कि दुबारा काम करने को और जो डिज़ाइन बदल दिया गया है उसके अनुसार काम करने को तैयार हू ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत आई है कि काम के सिलसिले में ज्यादा पेमेन्ट हुआ ?

श्री भोलानाथ—इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०५७

राव श्री दिलीपसिंह—क्या पृथक राजस्व विभाग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर में देवारी के दरवाजे पर चुंगी वसूल करने की कोई चौकी है ?

(२) क्या कस्टम चुकाने के बाद भी यहां चुंगी वसूल की जाती है ?

श्री भोलानाथ—(पृथक राजस्व मंत्री)—(१) हां (२) हां की जाती है ।

राव श्री दिलीपसिंह—दो दो कस्टम कैसे लिये जाते हैं ?

श्री रोशनलाल--क्या सरकार इसको बन्द करने के बारे में विचार कर रही है ?

श्री भोलानाथ--अभी नहीं । इसकी पूरी हिस्ट्री में आपको सुनाता हूं ।

(लिखित प्राप्त नहीं हुआ)

राव श्री दिलीपसिंह--यदि आप धीरे धीरे पढें तो समझ में आ जावेगा ।
(फिर से दुबारा पढ़ते हैं)

राव श्री दिलीपसिंह-- माननीय मंत्री जी ने फरमया कि पुराने समय में चोरी डाके हुआ करते थे इसलिये यह लाग लेने की आज्ञा थी तो क्या अभी भी चोरियां और डाके नहीं होते हैं ?

श्री भोलानाथ—चोरियें और डाके तो हमेशा से होते आ रहे हैं ।

श्री रोशनलाल--क्या सरकार इसको बन्द करने के लिये कोई विचार कर रही है और कर सकती है ?

श्री मोहनलाल--सरकार इसको कब तक बन्द कर सकती है ?

श्री भोलानाथ--सरकार को यह देखना पडेगा कि देवड़ा राजपूतों के साथ सरकार का किस प्रकार का वायदा है और यह देखने के बाद इसको उठाने का प्रश्न आवेगा ।

श्री हरिदेव जोशी—क्या इस प्रकार की लाग और भी जाति के लोग लेते हैं ?

श्री रोशनलाल--सडक पर भील लोग लेते हैं, क्या उसको बन्द कर दिया गया है ?

श्री भोलानाथ--वह बन्द कर दी गई है ।

श्री हरिदेव--वह बन्द नहीं की गई है ।

श्री भोलानाथ--नहीं, वह की गई है ।

श्री हरिदेव--वह किन्हीं जातियों के लिये बन्द है; जैसे राजपूत और जोगियों से नहीं लेते हैं ।

श्री भोलानाथ--जहां पर राजपूत इस प्रकार का कर वसूल करते हैं वहां भीलों को माफ करते हैं और जहां भील वसूल करते हैं वहां पर वे राजपूतों को माफ करते हैं ।

Page No.12

श्री **रोशनलाल**--वह राजपूत जाति को नाराज करना नहीं चाहते ।

श्री **भोगीलाल पड्या (खाद्य मंत्री)**--कॉंग्रेस वाले भी टेक्स देते हैं ।

श्री **रोशनलाल**--मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला ।

श्री **भोलानाथ**--नाराज करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री **अध्यक्ष**--ऑर्डर ! ऑर्डर ! !

श्री **भैरू सिंह**--क्या इस प्रकार के टेक्स को इन्टर स्टेट ड्यूटी नहीं कहा जा सकता है ?

श्री **भोलानाथ**--दूसरे टेक्स जिस प्रकार लिये जाते हैं वैसे ही यह टेक्स भी लिया जाता है ।

श्री **हरिदेव**--क्या इस प्रकार का कार्य करके कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का विरोध नहीं किया जा रहा है ?

श्री **भोलानाथ**--इसमें कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का विरोध हो सकता है लेकिन जो रिवाज चला आ रहा है उसको ठीक करने में समय अवश्य लगेगा ।

श्री **हरिदेव जोशी**--क्या सरकार कह सकती है कि अगर ऐसे रिवाज चलने दिये जावेंगे तो क्या वे कान्स्टिट्यूशन के खिलाफ नहीं होंगे ?

श्री **भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)**--नहीं चलने दिये जावेंगे । भीलों के बारे में सोचा जा रहा है । इसके बाद देवडों और राजपूतों के लिए भी सोचा जावेगा ।

श्री **हरिदेव जोशी**--भील लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधानों का विरोध करेंगे तो उसके लिए क्या सोचा जा रहा है ?

श्री **भोलानाथ--(पृथक राजस्व मंत्री)**--सोचा जा रहा हैं ।

श्री **हरिदेव जोशी**--चौकियों को बन्द करने के सिलसिले में क्या सोचा जा रहा है ?

श्री **भोलानाथ--(पृथक राजस्व मंत्री)**--इस सम्बन्ध में भी सोचा जा रहा है ।

एक सदस्य--क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि किस कानून के अन्तर्गत ये चौकियां कायम की गई थीं ।

श्री **भोलानाथ--(पृथक राजस्व मंत्री)**--परम्परा भी दुनिया में कानून होता है ।

श्री **हरिदेव जोशी**--तो क्या सरकार इस प्रकार की परम्पराओं को मान्यता दे रही है ?

श्री **भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)**--मान्यता है इसीलिए तो चौकियों से लाग वसूल हो रही है ।

Page No.13

श्री हरिदेव जोशी—तो क्या यह कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध नहीं है ।

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—कॉन्स्टिट्यूशन बाद में आया है और परम्पराएं पहले की हैं ।

श्री कानसिंह—जब यह चौकियां कायम हैं और नाजायज काम होता है तो कांग्रेस वालों को वहां क्यों नहीं बैठा दिया जाता है ताकि इस प्रकार की शिकायतें ही नहीं आवें ?

श्री दिलीपसिंह—अगर इस प्रकार इसको परम्परा की बात कहा जाय तो क्यों नहीं सब परम्पराओं को गजट में शाया कर दिया जाया जाता है ?

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—जो गजट द्वारा नहीं हुई हैं उनको गजट में शाया करने की आवश्यकता नहीं है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०५८

श्री हंसराज जटिया—क्या दलित वर्ग मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) हरिजन उद्धार के लिये क्या कोई योजना है ?

(ख) अगर है, तो वह क्या है ?

(ग) अगर नहीं, तो क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलितवर्ग उत्थान मन्त्री)—हरिजन उद्धार के लिये निम्नलिखित सुविधायें दी जाती हैं:—

(१) जिलाधिकारियों को आज्ञा दी गई है कि वे, आभूषण पहिनने, जल लाने के सम्बन्ध में जो असुविधायें हों उनको शीघ्र हटा देने का यत्न करें ।

(२) कृषि-भूमि का उचित भाग उन्हें दिया जावे और घर बनाने के लिये उचित भूमि दी जावे ।

(३) इन लोगों को पेशा, धन्धा, व्यापार अपनी इच्छानुसार करने की सहूलियत दी जावे ।

(४) सरकारी नौकरियों में १२- प्रतिशत स्थान व क्लास IV में १५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित रखे जाने का आदेश दिया गया है ।

(५) प्याऊ पर नाली हटाने का आदेश जारी किया गया है ताकि पानी पिलाने में भेद-भाव न हो सके ।

(६) पानी के कष्ट को दूर करने के लिये कूए बनाने के हेतु उन्हें आर्थिक सहायता दी जाती है ।

[श्री भोगीलाल पंड्या]

(७) उच्च टेक्निकल शिक्षा प्राप्ति हेतु मेडीकल कॉलेज, जयपुर, बिड़ला इंजीनियरिंग कॉलेज, पिलानी, व एम. वी. एम. इंजीनियरिंग कॉलेज, जोधपुर में स्थान सुरक्षित रखे गये हैं और इसके लिये भरती के नियम सहल कर दिये गये हैं। सरकारी कॉलेजों व स्कूलों में उन्हें फीस से मुक्त कर दिया गया है।

(८) छोटे बच्चों को शिक्षाध्ययन के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है। राजस्थान से बाहर पढ़ने वाले छात्रों को पढ़ने के लिये छात्रवृत्ति दी जाती है।

(९) सरकार ने हर डिविजन में इनके निवास के लिये होस्टल खोल दिये हैं जिनमें इनको भोजन, वस्त्र, किताबें आदि की सुविधायें दी जाती हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों को मकान बनाने के लिये स्थान देने की कोई योजना है?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—मैं अपने उत्तर में बता चुका हूं कि स्थान दिये जा रहे हैं।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल—क्या जयपुर शहर में स्थान मिलने के लिये कोई मांग है?

श्री भोगीलाल पंड्या (दलित वर्ग उत्थान मन्त्री)—मांग की गई है। 'सी' स्कीम में जमीनें दी जाने को थीं किन्तु उन लोगों ने कहा कि हम जमीनों का इतना रुपया नहीं दे सकते हैं, अतः दूसरी जगहों पर स्थान देने की कार्यवाही जा रही है।

एक सदस्य—क्या टोंक में भी कुछ किया जा रहा है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री मोटाराम।

प्रश्न संख्य १०६९

श्री अध्यक्ष—श्री मोटाराम।

(अनुपस्थित)

श्री महादेव प्रसाद—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) झुंझुनूं शहर (उपनाम माननगर) इम्प्रूवमेन्ट स्कीम के अन्तर्गत सरकार ने उसे सफल बनाने में क्या कदम उठाया?

(२) यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

[श्री महादेव प्रशाद]

(३) यदि उक्त स्कीम को सफल बनाने का विचार है तो कब तक ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री)–(१) भूतपूर्व जयपुर राज्य काल के अन्तर्गत माननगर टाउन इंप्रूवमेन्ट स्कीम तैयार की गई थी और प्लाट्स बेचे गये थे। कुछ काल पश्चात् सरकार ने अपनी नीति बदलकर यह निश्चय किया था कि प्लाट्स अर्बन एसेसमेंट के आधार पर ही बेचे जायंगे। सरकार की इस नीति का जनता ने अनुकरण नहीं किया और बेचे हुए प्लाट्स की रक़म वापिस देने की मांग पेश की। राजस्थान के एकीकरण के पश्चात् इस योजना को सफलीभूत बनाने का निश्चय किया गया कि जयपुर के अतिरिक्त सर्वत्र राजस्थान में जनता को बापी पट्टा देने का उनकी इच्छा पर ही छोड़ा जाय। सरकार ने कलक्टरों से बापी पट्टा देने की योजनाऐं प्रस्तुत करने को कहा है।

२. यह प्रश्न ही नहीं उठता।

३. ज्योंही उक्त योजनाएं कार्यरूप में परिणत करने के योग्य होंगी सरकार माननगर अरबन इम्प्रूवमेंट बोर्ड को भी आर्थिक सहायता प्रदान करेगी और अपनी स्वीकृत योजना को सफल बनाने का प्रयास करेगी।

श्री जसवन्तसिंह—अध्यक्षजी, क्या माननीय मंत्रीजी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस इम्प्रूवमेंट स्कीम के अन्तर्गत कुछ जमीनें बेची गई थीं और उसके पश्चात् यह स्कीम रद्द कर दी गई ? जिन को जमीन दी गई थी उन्होंने रकम क्या वापिस मांगी है, क्या यह सही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—कोई कीमत नहीं दी गई।

श्री जसवन्तसिंह—यह कितने साल की बात है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—यह सवाल दूसरा है और इससे इसका ताल्लुक नहीं है।

उन्होंने रुपया नहीं मांगा है, जमीनें मांगी हैं। इस पर विचार करने के लिये एक अफसर की नियुक्ति कर दी गई है।

श्री जसवन्तसिंह—मैंने जमीनें मांगने का सवाल नहीं कहा है। मैंने तो यह पूछा था कि प्लॉट्स बेचने के बाद स्कीम को तोड़ दिया गया था और इसलिये प्लॉट्स की कीमत को रिफन्ड करने के लिए उन्होंने दरख्वास्तें दी थीं। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनको वह रकम वापिस दे दी गई या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—प्लॉट्स की कीमत का कोई रुपया नहीं मांगा गया है। असेसमेंट (निर्धारण) के आधार पर वे जमीन नहीं लेना चाहते थे। शहर के बाहर वे जमीनें मिलें तो वे लेना चाहते हैं। जयपुर सरकार ने तय कर दिया था कि शहर के बाहर भी जमीनें मिल सकती हैं। अब वे रुपया नहीं मांग रहे हैं किन्तु प्लॉट्स देकर नये प्लॉट्स लेना चाहते हैं।

श्री जसवन्तसिंह—अगर वे अपना रुपया प्लॉट्स का वापिस मांगे तो क्या सरकार रिफण्ड करने के लिये तैयार है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—यह तो किसी के बेनीफिट पर डिपेण्ड करता है ।

एक सदस्य—जयपुर शहर में जमीनें कब तक दी जावेंगी ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—यह सवाल सरकार के विचाराधीन है कि असेसमेन्ट रखा जाय या नहीं । असेसमेन्ट की स्कीम भी तैयार है ।

श्री जसवन्तसिंह—क्या यह सही है कि चार साल से रिफण्ड मांगा जा रहा है और सरकार कोई उत्तर नहीं दे रही है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—उत्तर बराबर दिया जाता है । वे रिफण्ड नहीं लेना चाहते ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या माननीय मन्त्री महोदय बता सकेंगे कि मांगने पर भी रुपया वापिस नहीं दिया जा रहा है? मैं स्वयं इसका शिकार हूं । छः वर्ष से रुपया रिफण्ड नहीं किया गया है ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं समझता हूं कि ऐसी कोई बात मेरे ध्यान में नहीं आई है ।

श्री जसवन्तसिंह—अगर ऐसी बात ध्यान में लाई जावेगी तो क्या सरकार ध्यान देगी ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—इसका मैं जवाब दे चुका हूं ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०६१

श्री हिम्मतसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या सरकार ने उम्मेद भवन, राजमहल श्री उपराज प्रमुख राजस्थान के समीप राज ट्रेडर्स व नसीर अहमद, ठेकेदार हड्डी को, अन्दर हदूद म्युनिसिपिल एरिया हड्डी की फैक्ट्री लगाने की आज्ञा दी है ?

(२) क्या मन्त्री महोदय ने, वहां पर जो दुर्गन्ध फैलती है और श्री उपराज प्रमुख व जनता की आरोग्यता को जो इससे हानि पहुंचती है उस पर ध्यान दिया ?

(३) यदि हां, तो क्या यह फैक्ट्रियें हटाने की कृपा करेंगे ?

Page No.17

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—(१) नहीं ।

(२) यह सवाल मेरे सामने नहीं आया ।

(३) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री हिम्मतसिंह—तो क्या कोई हड्डी की फैक्ट्री वहां नहीं है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—सवाल के उत्तर को देखकर ही आप फिर सप्लीमेन्ट्री प्रश्न करें ।

श्री हिम्मतसिंह—मैंने नहीं सुना ।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैंने जो जवाब दिया है उसको ध्यान में रखियेगा ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—आपके 'हां' और 'ना' से कुछ समझ में नहीं आता ।

श्री अध्यक्ष—They should ask specific questions.

श्री जसवन्तसिंह—But, Sir, the Minister has not replied directly.

श्री अध्यक्ष—They should ask supplementaries.

श्री जसवन्तसिंह—We have not followed what reply he has given.

श्री अध्यक्ष—Because................

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—मैं इस सवाल के उत्तर को फिर से पढ़ दूं:—

(१) नहीं ।

(२) यह सवाल मेरे सामने नहीं आया ।

(३) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री कंवरलाल जेलिया—क्या इस फैक्टरी को लगाने की आज्ञा सरकार की ओर से दी गई है?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—सरकार की ओर से ऐसी कोई आज्ञा नहीं दी गई ।

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—क्या ठेकेदार को इसका ठेका दिया गया है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—यह सवाल इससे सम्बन्धित नहीं है ।

श्री भैरूंसिंह—यह सवाल इसी से सम्बन्धित है और इसका जवाब देना पड़ेगा ।

Page No.18

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—जवाब दे दिया गया है कि इस प्रकार की कोई आज्ञा नहीं दी गई है ।

एक सदस्य—क्या उम्मेद भवन के पास जो हड्डियां पडी हैं उनको आप देखने का कष्ट करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—नेक्सट ।

श्री हिम्मतसिंह—अगर सरकार की नीति नहीं तो म्युनिसिपेलिटी ने इसकी इजाजत दी है ?

श्री रामकरण जोशी—नहीं, ऐसी बात भी नहीं है ।

श्री हिम्मतसिंह—तो क्या उसने अपने आप ही लगा लिया है ।

श्री रामकरण जोशी—उसने लगाया या नहीं लगाया, यह सवाल तो अब आया है । अगर वैसे ही लगा लिया है तो अपने आप ही हटा दिया जावेगा ।

श्री भैरूंसिंह—अगर यह मालूम हो कि उसने लगा दिया है तो ?

श्री रामकरण जोशी—तो जरूर हटा देने की आज्ञा दी जावेगी और अपने आप लगा लिया है तो वैसे ही उठा दिया जावेगा ।

श्री भैरूंसिंह—सरकार ने इस मामले को देखा होगा और जांच करवाई होगी तो इस बात की इत्तला मिली या नहीं कि वहां हड्डियों का ढेर लगा है ?

श्री रामकरण जोशी—यह प्रश्न था कि किसी को ठेका दिया गया या नहीं और उसका जवाब ही देना था, इसलिए इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता ।

श्री कंवरलाल जेलिया—सरकार की इस बारे में क्या नीति है कि किसी निश्चित एरिया में इस प्रकार के ठेके दिये जावें या नहीं दिये जावें ?

श्री रामकरण जोशी—यह सवाल अलग है । मैं समझता हूं कि ऐसी चीज के लिए जिसका असर जनता के स्वास्थ्य पर पड़ता है निश्चित कानून मौजूद है ।

श्री हिम्मतसिंह—तो फिर यह कानून के विरुद्ध हुआ या नहीं ?

श्री रामकरण जोशी—यह तो अभी देखना है । वहां ढेर है या नहीं, इसकी जानकारी लेनी है ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—यह देखने का सवाल बडा अजीब है । क्या मिनिस्टर महोदय के उधर दौरे नहीं हुए और इन दौरों में मिनिस्टर महोदय को इसकी जानकारी नहीं मिली ? इसके अलावा और भी मिनिस्टर महोदय के दौरे उधर हुए हैं । क्या उनकी जानकारी में भी यह बात नहीं आई या क्या उनके नाक बन्द थे ?

श्री रामकरण जोशी—यहां इसके सम्बन्ध में सवाल पूछने के सिवाय कोई बात मेरे सामने नहीं आई। मैंने उधर के दौरे भी किये हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्सट।

प्रश्न संख्या १०६२

श्री हिम्मतसिंह—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या उन्हें मालूम है कि तारीख ७-३-५३ को दो ट्रक कृषि विभाग के जयपुर से कोटा होते हुए बाहर इलाके गैर में डाइरेक्टर ऑफ एग्रीकलचर का फर्नीचर (सामान) ले गये थे ?

(२) क्या ऐसा उनकी आज्ञा से हुआ ?

(३) यदि डाइरेक्टर सेवा से मुक्त कर दिये गये थे तो ये सरकारी ट्रक क्यों दिये गये ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)—मेरी जानकारी में नहीं हैं।

(२) मेरी आज्ञा से नहीं हुआ।

(३) डाइरेक्टर तारीख १४-३-५३ तक राजस्थान सरकार की सेवा में थे। तारीख ७-३-५३ को उन्होंने उनके अधिकारों का प्रयोग करते हुये ट्रकों को काम में निजी खर्चे से लिये।

प्रश्न संख्या १०६३

श्री सज्जनसिंह:—क्या मंत्री, लोककर्म, यातायात व सड़क, यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(अ) राजस्थान में सड़के किन किन श्रेणियों में विभाजित हैं ?

(आ) इन अलग अलग श्रेणियों की सड़कों की स्टेंडर्ड चौड़ाई क्या होती है ?

(इ) सड़कों के प्रोग्रेसिव वाइडनिंग या प्रोग्रेसिव शिकिंग की नीति में सरकार कौनसी नीति काम में लाती है ?

(ई) क्या मंत्री महोदय ने यह जांच की है कि सड़कों की जो अधिकृत चौड़ाई होती है वही मरम्मत में उसी हालत में रक्खी जाती है या नहीं ?

(उ) मंत्री महोदय ने इसकी जांच के क्या क्या साधन अपनाये हैं और उनके क्या क्या नतीजे निकले हैं ?

(ऊ) क्या उनके ध्यान में यह बात आई है कि सड़कों की सुधराई में उनकी चौड़ाई कम की जा रही है ?

(ए) यदि हां, तो उन्होंने इसको रोकने के लिये क्या क्या तरीके अपनाये और सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

(ऐ) इस प्रकार के तरीकों से संबंधित अफसरों ने तथा ठेकेदारों ने पब्लिक धन का जो दुरुपयोग किया उनके लिये दण्ड का क्या तरीका सोचा गया है ?

श्री भोलानाथ मास्टर—(अ) राजस्थान में सड़कों की निम्न श्रेणियां हैं:—

१. सीमेन्ट की सड़कें ।

२. डामर की सड़कें ।

३. पक्की सड़कें ।

४. ग्रेवल सड़कें ।

५. कच्ची सड़कें ।

(आ) पहली तीन श्रेणियों की सड़कें २२ फुट से ३२ फुट तक, जिनमें करीब १० व १२ फुट हिस्सा पक्का होता है चौडी होती हैं और कच्ची सड़कें १० से २२ फुट तक चौडी होती हैं। सड़कों की चौडाई ट्रेफिक की जरूरत पर निर्भर है ।

(इ) ट्रेफिक की बढोतरी व कमी ।

(ई) उसी हालत में रक्खी जाती है जब तक कि ट्रेफिक की कमी व धन की कमी के कारण चौडाई कम करने की योजना न हो ।

(उ) इसकी कोई आवश्यकता नहीं है ।

(ऊ) नहीं ।

(ए) उपरोक्त उत्तर की दृष्टि से यह सवाल नहीं उठता ।

प्रश्न संख्या १०६४

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Public Works be pleased to answer:—

(a) Is it a fact that the Bundi Electric Supply Company, Bundi increased the electric rates in Bundi some days back ?

(b) Is the Government aware that this caused a wave of discontent in the public there ?

(c) Has the Government set up any Committee to fix electric rates in Bundi ? If so, who are its members ?

(d) Is the Government aware that the Committee did not even listen to the grievances of the public of Bundi whereas it allowed itself to be luxuriously entertained by the management of the said company ?

(e) Is the Government aware that the public of Bundi demands reduction in electric rates ?

(f) What does the Government propose to do in this respect ?

Page No.21

श्री भोलानाथ (निर्माण मंत्री)—(ए) बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ने दर बढाने की घोषणा की थी ।

(बी) दर बढाने से स्वाभाविक रूप से पब्लिक विरोध करती है क्योंकि उसे अधिक पैसा देना पड़ता है ।

(सी) इलेक्ट्रिक सप्लाई एक्ट ४८ में दिये गये नये नियमों के अनुसार स्पेशल रेटिंग कमेटी की नियुक्ति कर दी गई है । रेटिंग कमेटी के सदस्यों की सूची साथ में सम्मिलित है ।

(कृपया नीचे देखिये)

(डी) नहीं ।

(ई) रिडक्शन का सवाल नहीं है, बढाने का है ।

(एफ) सरकार ने रेटिंग कमेटी नियुक्त कर दी है और उसका निर्णय प्राप्त होने पर कार्यवाही अवश्य की जावगी ।

[स्पेशल रेटिंग कमेटी के सदस्यों के नाम:

१. श्री जगन्नाथप्रसाद, डिस्ट्रिक्ट और सेशन्स जज, कोटा .. चेयरमैन ।
२. श्री आई. पी. वटल; एस. एंड. एम. डिपार्टमेन्ट—सदस्य ।
३. श्री जसवन्तसिंह लोढा, .. चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट ।
४. श्री बृजनारायण, एक्स आफीशियो डाइरेक्टर, बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी ।
५. श्री सेठ मदनगोपाल काबरा, राजस्थान इलक्ट्रिक सप्लाई कम्पना एसोसियेशन जोधपुर का नामजद]

श्री हरिकृष्ण व्यास—क्या बूंदी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी की रेट्स और जगहों से ज्यादा बढाई जावेगी ?

श्री भोलानाथ—कम-ज्यादा का प्रश्न नहीं उत्पन्न होता । कम्पनी को घाटा होता है तो दर बढाने की कार्यवाही करते हैं ।

श्री केसरीसिंह—कितनी बढाई जावेंगी ?

श्री भोलानाथ—रेटिंग कमेटी इसका निश्चय करेगी ।

प्रश्न संख्या १०६५

श्री मोतीराम—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या सरकार ने जो अनाज २०-१-५३ से गंगानगर जिले से राजस्थान में भेजे जाने की इजाजत दी थी उसे फिर फसल के मौके पर बन्द कर दी है ?

Page No.22

[श्री मोतीराम]

(२) क्या पहिले निकासी की इजाजत देने व अब फिर बन्द करने में किसानों को हानि व किसी खास वर्ग को लाभ है ?

(३) यदि हां, तो ऐसा क्यों ?

श्री **भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)**—(१) हां । लेकिन लाइसेन्स होल्डर अपने स्टॉक का ४० प्रतिशत भाग सरकार को लेवी में देने के बाद बाकी बचे हुए ६० प्रतिशत स्टॉक को राजस्थान के दूसरे भागों मे सिवाय सरहदी मुकामों के सम्बन्धित जिलाधीश के अनुमति-पत्र पर ले जा सकता है ।

(२) निकास खोलते व बन्द करते समय किसी वर्ग विशेष के हानि व लाभ का सवाल नहीं रखा जाता है बल्कि समयानुकूल आम जनता के फायदे के वास्ते व सरकारी गल्ला संग्रह करने के लिये यह कदम उठाये जाते हैं । यह कहना कि निकासी खोलने से किसानों को हानि व किसी वर्ग विशेष को लाभ पहुंचा है उपयुक्त नहीं होगा क्योंकि निकासी के समय किसान भी वह फायदा उठा सकता है जो दूसरे वर्ग उठाते हैं । यह तो हो सकता है कि निकासी बन्द करने से किन्हीं किसानों को किसी हद तक हानि हो लेकिन ऐसा किये बिना सरकार अपनी गल्ला वसूली की योजना में सफल नहीं हो सकता है ।

श्री **मोतीराम**—किसानों को अपना माल बेचने का मौका होता है–अप्रेल, मई, जून तक और उस वक्त आप इस लेवी को लेने के रूप में निकासी बन्द रखते हैं और फिर सितम्बर महीने में जाकर खोल देते हैं तो आपके दिमाग में यह चीज उस वक्त कैसे आती है कि निकासी खोल दी जाय ? जब किसान को बेचने का मौका होता है उस वक्त निकासी क्यों नहीं खोल देते हैं ? तो इस तरह से सितम्बर महीने में निकासी खोल देने से तो स्टॉक होल्डरों और बड़े बड़े दुकानदारों को ही फायदा होता है, यह बात भी आपके ध्यान में है ? क्योंकि दुकानदार स्टॉक जमा कर सकता है, इस निकासी के समय की इन्तजार में; पर किसान ऐसा नहीं कर सकता । यही बात हर साल होती आई है; यह आपके दिमाग में है ?

श्री **भोगीलाल पंड्या**—जी हां, सरकार के यह सब ध्यान में है । लेकिन राजस्थान में जब किसी जगह अनाज मंहगा होने लगता है तो आम जनता के हित के लिये यह निकासी खोलनी भी पड़ती है और वह भी २० जनवरी के दिन खोला गया था ?

श्री **मोतीराम**—तो क्या फसल के वक्त इस गरज से निकासी बन्द की जाती है कि कुछ मुनाफाखोर व्यापारियों को नफा दिया जावे; इन बड़े बड़े व्यापारियों को लूटने का मौका दिया जावे और नाज को मंहगा करने की छूट दी जाय ? अगर ऐसी बात है तो अनाज की कमी होने की आशंका से लोग जिनके पास पैसा ज्यादा है अपने अपने जिलों में काफी अनाज स्टॉक करके रखने लगेंगे और निकासी के समय को इन्तजार करेंगे ।

श्री भोगीलाल पंड्या–मैं समझ नहीं सका आपकी इस लम्बी–चौड़ी बात को। मैं संक्षेप में यह बताना चाहता हूं कि आपके व किसानों के पास से जो लेवी नियम के अनुसार ली जाती है वही ली जाती है और जब जिस जिले में हम देखते हैं कि गल्ले का भाव चढ़–घट रहा है तो उसका बैलेंस रखने के लिए निकासी को छूट दे देते हैं। इससे जनता को सुविधा ही होती है।

श्री गुरुदयालसिंह–जिस वक्त नाज खोला जाता है तो जिनके पास गल्ला स्टॉक में होता है वही फायदा उठाते हैं, ऐसा क्यों ?

श्री भोगीलाल पंड्या–इसका फायदा तो हर कोई उठा सकता है। किसान भी उठा सकता है उसको किसी ने मना नहीं किया है। और मैं माननीय सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि व अपने अपने क्षेत्र के किसान भाइयों में इस बात का पूरा पूरा प्रचार करें कि वे भी अपना गल्ला अपने पास रक्खें, बेचें नहीं और जब इस प्रकार निकासी का अवसर आवे तो उससे फायदा उठावें। किसान गल्ला न रक्खें, यह सरकार नहीं चाहती। वह भी रक्खें और जबर्दस्ती व्यापारियों को दे देनें की उनको आवश्यकता नहीं। उनकी जरूरत के अनुसार थोडा बहुत बेचना चाहें तो बेचें। बाकी अपने पास रक्खें और इस अवसर का वे भी लाभ उठावें।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या इससे गरीब किसानों को फायदा पहुंचता है, यह मैं आपसे जानना चाहता हूं?

श्री भोगीलाल पंड्या––जो पैदा करते हैं और जो बचते हैं सब को फायदा होता है। सरकार अगर लेती है तो बाजार भाव से लेती है।

श्री मोतीराम–आज तक किसी गरीब किसान ने स्टॉक करके बाहर भेजा है, यह सरकार के नोटिस में है ?

श्री भोगीलाल पंड्या––जब सरकार स्वयं उनको उचित दाम दे देती है तो स्टॉक करने की उसको जरूरत ही क्या पडी।

श्री मोतीराम––दुनियां भर के टेक्स किसान से लिये जावें, तब भी टेक्स के रूप में यह ४० परसेन्ट लेवी के रूप में सरकार और किसान से ले लेती है। उनसे १०-१२ रुपये मन चना और कणक लेकर दिल्ली जैसे व्यापारियों को १५) और २०) रु० मन के भाव में दाल निकालने को और बेचने को सरकार खुली रियायत देती है। तो क्या सरकार यह भी सोचती है कि इससे बड़े व्यापारियों को तो फायदा मिले और टेक्स लगे किसानों पर। सरकार जो ऐसा कर रही है क्या यह अनुचित नहीं है ?

श्री अध्यक्ष––आप सवाल पूछ रहे हैं कि स्पीच दे रहे हैं ? जरूरत से ज्यादा लम्बा प्रश्न न करें।

श्री भोगीलाल पंड्या––न सरकार ने कभी ऐसा किया है न इस समय ही कर रही है।

श्री गुरुदयालसिंह सन्धु–क्या माननीय मन्त्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो नाज खरीदा जाता है वह क्या भाव होता है और जो निकासी की जाती है वह किस भाव पर होती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—किसी एरिया में महंगाई होती है या नाज की कमी होती है तभी निकासी खोलते हैं। तो इससे स्वाभाविक है कि भाव में फर्क आवें। संक्षेप में मैं यह आपको बता दूं कि हमेशा से ऐसा होता आया है कि फसल के समय अनाज सस्ता होता है और बाद में कुछ महंगा। यह परम्परा से होता आया है। यह कन्ट्रोल होने से हुआ है या होता है, यह बिलकुल सही नहीं है। जब कन्ट्रोल नहीं था तब भी ऐसा होता था। आप चाहें तो पिछले १०० साल का इतिहास देख लीजिये।

प्रश्न संख्या १०६६

श्री गोपालसिंह—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

बदनोर में अकाल के समय इकट्ठे किये हुए अनाज के लिये जो सड रहा है, सरकार क्या इन्तजाम कर रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—बदनोर गोदाम में अधिकतर अनाज बाहर से आया हुआ माइलो है जिसको इस समय लोग खरीदना कम पसन्द करते हैं क्योंकि सफेद ज्वार खुले बाजार में सरकार द्वारा निर्धारित दर से सस्ती व अच्छी मिल रही है। अलबत्ता अनाज सुल जरूर गया है जिसके लिये संबन्धित जिलाधीश को आदेश है कि वह उचित औषधियों का प्रयोग कर अनाज को सुलने से बचावे। इसके साथ ही साथ इस गल्ले का विक्रय करने के लिये सरकार पूर्ण रूप से प्रयत्नशील है।

श्री गोपालसिंह—क्या माननीय मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उस गल्ले की तादाद कितनी है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—करीब साढे चार हजार मन के करीब अनाज है।

श्री रोशनलाल शर्मा—यह जो साढे चार हजार मन अनाज सड़ रहा है उसके लिए सरकार क्या सोच रही है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि यह अनाज जहां जरूरत होती है वहां भेजने के लिए रखा गया था। अब अनाज सस्ता हो गया है इसलिये लोग इसे खरीदते नहीं हैं। जैसा कि मैं अपने प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं यह माइलो है। सरकार की कुशल खाद्यनीति के कारण कि जनता को सस्ता अनाज मिले, यह इकट्ठा किया गया था। अब अनाज खुला कर रखा है किन्तु सफेद ज्वार बाजरा में सस्ता मिलता है इसलिये इसको कोई खरीदता नहीं है। यह सरकार के विचाराधीन है इस पर क्या किया जाय, सरकार इस पर विचार कर रही है।

श्री गोपालसिंह—यह अनाज किस भाव से और कब आया।

श्री भोगीलाल पंड्या—पन्द्रह रुपये पांच आना मन करीब पर आया और अकाल के समय यह आया।

श्री अध्यक्ष—कब कौनसी तारीख को आया, यह पूछना चाहते हैं।

श्री भोगीलाल पंड्या—१९५१ के नवंबर के करीब आया था।

श्री गोपालसिंह—यह अनाज जो सड़ गया है उसको सरकार किस भाव से बेचना चाहती है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—इस अनाज को १ रुपया प्रति मन बेचने का सरकार ने आर्डर कर दिया है और यह अनाज धीरे धीरे बिक रहा है। भारत सरकार को भी इस अनाज को देने के लिए लिखा गया है। बंबई सरकार इसको ले जाना चाहती है।

श्री रोशनलाल शर्मा—यह अनाज कितने अर्से से बिकना बन्द है ?

श्री भोगीलाल पंड्या—जब से नया अनाज सस्ता मिलने लगा।

श्री रोशनलाल शर्मा—मेरा मतलब है किस महिने से यह बन्द है।

श्री भोगीलाल पंड्या—आपको मालूम होना चाहिये अक्टूबर और नवंबर में ज्वार आती है, उन दिनों से बन्द है।

प्रश्न संख्या १०६०

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

१. क्या यह सत्य है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड के कई मजदूरों को कम करके वहां एक टाउन प्लानिंग आफिसर की नियुक्ति की गई है ?

२. यदि हां, तो उनका वेतन, भत्ता, मकान किराया आदि क्या है ? सब मिला कर उन्हें कितना रुपया मासिक मिलता है ?

३. क्या यह सत्य है कि गत ६ माह से उनके पास कोई कार्य नहीं है और बैठे बैठे तनख्वाह ले रहे हैं ?

४. यदि ऐसा नहीं है तो गत ६-७ माह में टाउन प्लानिंग के सिलसिले में क्या क्या कार्य किए गये और प्रोग्रेस ऑफ वर्क क्या है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—

१. यह प्रश्न असंगत है।

२. श्री डी. एन. गुप्ता, प्लानिंग ऑफीसर, राजस्थान को ६५०) रुपया तनख्वाह व महंगाई ५०) रुपया; इस प्रकार एक हजार रुपये मिलते हैं।

३. नहीं।

श्री डी० एन० गुप्ता टाउन प्लानिंग ऑफिसर, ने टाउन प्लानिंग के संबन्ध में निम्न स्कीमों में कार्य किये हैं :

१. भीलवाड़ा में गंगापुर शहर की स्कीम

२. दौसा शहर की स्कीम

[श्री रामकरण जोशी]

३. सिन्धी हाउसिंग सोसाइटी स्कीम ।

४. गान्धी नगर स्कीम ।

५. राजगढ शहर (बीकानेर डिवीजन) को सडकें बनवाने का कार्य और (६) जयपुर शहर के ग्राम छोटे छोटे काम; शो रूम्स के कार्य; दूसरे काम भी वे बराबर कर रहे हैं ।

प्रश्न संख्या १०६८

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सत्य है कि अर्बन इम्प्रूवमेन्ट बोर्ड जयपुर से करीब २०-२५ मजदूरों को जो स्कीम 'सी' और 'ई' में सडकों की मरम्मत बारह मास किया करते थे उन्हें कम कर दिया गया है ?

२. यदि हां, तो अब सडकों की मरम्मत कराने के लिए क्या तजवीज की गई है ?

३. यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)

१. इनको १ सितम्बर, १९५२, से हटाया गया है ।

२. यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

३. यह प्रश्न उपस्थित ही नहीं होता ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—अब वहां की सडकों को ठीक करने का काम किसको सौंपा गया है ?

श्री रामकरण जोशी—सडकें ठीक करने के बारे में म्युनिसिपैलिटी की जहां हद होती है वहां म्युनिसिपैलिटी का काम होता है कि वह सडकों को ठीक करावे । बाकी पी. डब्लू. डी का काम होता है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री—क्या यह 'सी' स्कीम की सडकें म्युनिसिपैलिटी के अधीन हैं ?

श्री रामकरण जोशी—जिस जगह म्युनिसिपैलिटी का टैक्स वसूल होता है उस जगह का काम म्युनिसिपैलिटी द्वारा किया जाता है ।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या १०६९

श्री जयचन्द्र मोहिल—क्या राजस्व मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ।

१. क्या यह सही है कि जिला चितौड़गढ़ तहसील वड़ी सादडी के अन्तर्गत बिन्या नामक ग्राम की चारागाह की भूमि एक धनवान व्यक्ति को दी गई है ?

२. क्या यह भी सही है कि जब इस भूमि को काश्त के लिए देने की सरकारी हठ देख भूमि हीनकाश्तकार उसे लेने के लिए बड़े लालायित हुए और हर मूल्य तथा शर्तों पर लेने को तैयार थे पर वह भूमि उन्हें नहीं दी गई, यह क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री) :—

१. नहीं । न तो भूमि चरनोट थी और नहीं किसी एक धनवान व्यक्ति को अलाट की गई; बल्कि बिन्या गांव की पडत भूमि जो कि आवश्यकता से अधिक होने के कारण चरनोट के काम में लायी जाती थी पांच व्यक्तियों को "अधिक अन्न उपजाओ योजना", के अन्तर्गत अलोट की गई ।

२. इस गांव के काश्तकारों ने उपरोक्त अलॉटमेन्ट के विरुद्ध रेवन्यु बोर्ड में अपील की है और मामला बोर्ड के विचाराधीन (Sub-Judice) है इसलिए इस विषय में विचार प्रकट करना उचित नहीं ।

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या भूमिहीन किसानों के आवेदन पत्र पहले सरकार के पास आए हुए थे या नहीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—नहीं ।

श्री श्री दास गोयल—यह भूमि कुल कितनी होगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—जिन जिन व्यक्तियों को यह अलोट हुई थी उनके नाम पढ़कर सुनाता हूं :—

(१) सोहनचन्द
(२) सांवलचन्द
(३) अभयचन्द
(४) सांवतलाल
(५) शिवदान

ग्रो मोर फूड (Grow more Food) कम्पेन के अन्तर्गत यह जमीन अलोट की गई ।

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या यह लोग पहले काश्त करते थे ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--निश्चित तौर पर मैं नहीं कह सकता ।

श्री **मोतीलाल**--क्या ये लोग खुदकाश्त करते हैं ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--मुझे ठीक से पता नहीं ।

श्री **रोशनलाल शर्मा**--क्या भूमिहीन किसानों को जमीन दी या क्या यह सरकार की नीति नहीं है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--भूमिहीन किसानों के अलावा और किसी को भूमि न दी जाय, इस विषय में सरकार की कोई निश्चित नीति नहीं है ।

श्री **रोशनलाल शर्मा**--इसके आसपास भूमिहीन किसान नहीं थे ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--किसी की दरख्वास्त नहीं आई थी ।

श्री **हिम्मतसिंह**--क्या उनसे कोई जमानत ली गई, काश्त करने के बारे में ।

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--'ग्रो मोर फूड' के अन्तर्गत जमीन अलोट की गई थी ।

श्री **रोशनलाल शर्मा**--क्या भूमिहीन किसानों की दरख्वास्तें स्थानीय अफसरों के पास पहुंची थी या नहीं, जमीन अलोट करने के बारे में ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--मैंने कहा कि भूमिहीन किसानों के अलावा दूसरों को आम तौर पर जमीन न दी जाय, ऐसी कोई सरकार की नीति नहीं है ।

श्री **रोशनलाल शर्मा**--क्या इस विषय में आवेदन-पत्र पहले पहुंचे या नहीं ? क्या आप इसकी जानकारी करने का कष्ट करेंगे ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--जानकारी की जा सकती है ।

श्री **जयचंद**--क्या इसके बारे में आपसे कोई डेप्युटेशन मिला था ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया**--मुझे याद नहीं आता ।

प्रश्न संख्या १०७०

श्री **संतोषसिंह कछवाहा**--क्या ट्रान्सपोर्ट मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

१. क्या यह सच है कि ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट में अभी चार नये आर. टी. ओ. ले रहे हैं अथवा ले लिये हैं ?

२. आर. टी. ओ. की क्या क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये ?

३. जो ले रहे हैं अथवा ले लिये गये हैं उनकी क्वालिफिकेशन्स अथवा नाम क्या क्या हैं ?

[श्री संतोषसिंह कछवाहा]

४. ये पहल किस किस पोस्ट पर क्या क्या काम करते थे और उन्हें कितना तनख्वाह मिलती थी और वे कितनी तनखाह पर आये हैं ?

५. क्या इनको लेने के लिए चीफ सेक्रट्री, होम सेक्रट्री, अथवा ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर ने सिफारिश की है ?

६. क्या आर. टी. ओ. लेने के लिये राजस्थान राजपत्र में कोई नोटिस छाया हुवा।

७. क्या पी. एस. सी. ने इन्हें लेने के लिए सिफारिश की थी ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—१. नहीं ।

२. आर. ए. एस. केडर का ऑफिसर होना चाहिये ।

३. जो आर. टी. ओ. इस समय काम कर रहे हैं उनको क्वालिफिकेशन एवं नाम निम्नलिखित हैं ।

नं० शु० नाम	क्वालिफिकेशन.
१. श्री नवरत्न वर्मा	एल. ए. ई. क्वालिफाइड आटोमोबाइल इन्जीनीयिर
२. श्री गणेशदत छंगाणी	इन्टरमीडियेट
३. श्री नगेन्द्र नारायण वर्मा	बी. एस सी., एल एल. बी., आर. ए. एस.

नं० शु०	नाम	स्थान जिस पर पहले काम करते थें	ग्रेड तनख्वाह पहिले	ग्रेड तनख्वाह अब
१.	श्री नवरत्न वर्मा ..	असिस्टेंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर फोर्मर राजस्थान, उदयपुर	३२० २६०-१५-३५०-२०-५५०	३७० २६०-१५-३५०-२०-५५०
२.	श्री गणेशदत्त छंगाणी	ट्रांसपोर्ट आफिसर, जोधपुर	२५० २५०-१५-४००	३१० २५०-१५-४००-ई.बी.-२५-५००
३.	श्री नगेन्द्र नारायण वर्मा	असिस्टेंट सेक्रेट्री, सिविल सप्लाईज राजस्थान	२७५ २५०-२५-४००-२५-५००	३०० २५०-२५-४००-२५-५००

५. नहीं ।

६. नहीं ।

७. नहीं ।

श्री मोतीलाल—आपने (५) का जवाब "नहीं" में दिया तो क्या आपने इसकी इन्क्वायरी की है ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—यह पुराने ऑफिसर्स हैं।

श्री मोतीलाल—आपने इन्क्वायरी की या नहीं ?

श्री सन्तोषसिंह—आपने प्रश्न के भाग (१) का जवाब दिया 'नहीं'; तो दूसरे क्या नहीं लिये गये ? उनको लेने का विचार है क्या ?

श्री भोलानाथ (यातायात मंत्री)—हमारे पास ३ जगह हैं और उन पर ३ आदमी काम कर रहे हैं।

प्रश्न संख्या १०७१

श्री सुगनचन्द जैन—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(१) उदयपुर डिविजन में सन ५०,५१ तथा ५२ में जो नाज खरीदा गया था क्या उसका चुकारा अब तक कराना बाकी है ?

(२) यदि हां, तो यह चुकारा अब तक क्यों बाकी रहा ?

(३) किन किन की रकम का चुकारा करना बाकी है ? गांव वार नाम बतलायें ?

(४) क्या सरकार यह चुकारा शीघ्र कराने का इरादा रखती है ? यदि हां, तो कब तक चुकारा हो जायेगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)—सरकारी एकाउन्ट्स के अनुसार सन १९५०, १९५१ तथा १९५२ में सरकार द्वारा उदयपुर डिविजन में क्रय किये गये अनाज का मूल्य देना शेष है, फिर भी यदि माननीय सदस्य कोई मामला इस तरह का लायेंगे तो उस पर विचार किया जा सकता है।

प्रश्न संख्या १०७२

श्री सुगनचन्द जैन—क्या खाद्य मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(१) उदयपुर डिविजन में सन ५०,५१ तथा ५२ में कपड़े के लाइसेन्स की रकम जो लाइसेन्सदारों ने जमा कराई है क्या उसके वापिस करने का हुक्म हो चुका है ?

(२) यदि हां, तो क्या वहां के लाइसेन्सदारों का सम्पूर्ण चुकारा हो चुका है ?

(३) यदि नहीं, तो किन किन लाइसेन्सदारों का चुकारा होना बाकी है ?

(४) अब तक चुकारा नहीं होने का क्या कारण है ?

(५) अब कब तक चुकारा हो जाने की सम्भावना है ?

श्री भोगीलाल पंड्या (खाद्य मंत्री)—(१) लाइसेंसदारों ने जो कपड़े के लाइसेंसों की रकम जमा कराई है उसको वापस कराने की आज्ञा दी जा चुकी है।

(२) जिन लाइसेंसदारों ने रुपये की वापसी के लिये प्रार्थनापत्र दिये और वे नियमानुसार पाये गये उनका रुपया वापिस कर दिया गया है।

(३) जिन लोगों ने रुपये की वापिसी के लिए प्रार्थनापत्र नहीं दिये अथवा जिनके प्रार्थनापत्र नहीं दिये अथवा जिनके प्रार्थनापत्र नियमानुसार पूर्ण नहीं थे उनको रुपया नहीं लौटाया जा सका है।

(४) प्रश्न के भाग (२) और (३) के उत्तर के पश्चात् प्रश्न (४) के उत्तर की कोई आवश्यकता नहीं रहती है।

(५) हाँ, रुपया वापिस करने में कोई रुकावट नहीं है। बिना लाइसेंसदारों के प्रार्थनापत्र अपूर्ण हैं। उनके संबन्ध में उचित कार्यवाही सेक्रेटेरियेट में की जा रही है और उन लाइसेंसदारों के प्रार्थनापत्र प्राप्त होने पर आवश्यक आज्ञा प्रदान की जावगी।

प्रश्न संख्या १०७३

(श्री हरिकृष्ण व्यास की अनुपस्थिति में उनके प्रश्न को श्री भेरूसिंह, डि० नं० १६ ने पूछा)

श्री हरिकृष्ण व्यास—Will the Minister for Local Self-Government be pleased to answer :—

(a) Is it a fact that Shri Sohan Lal Anchaliya holding the Substantive appointment of a Naib Tehsildar has been posted as Divisional Panchayat Officer, Udaipur ?

(b) What are the educational qualifications of the gentlemen ?

(c) Is the Naib Tehsildar's post a non-gazetted one and that of the Divisional Panchayat Officer a gazetted one ?

(d) What are the reasons for this special favour shown to this gentleman ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मन्त्री):—(क) हां।

(ख) विश्वविद्यालय का कोई प्रमाण पत्र तो नहीं है। लेकिन श्री सोहनलाल जी की राज्य सेवा २४ वर्ष की है और एक अनुभवीशील आफिसर हैं। वे ८ वर्ष से गजटेड आफिसर हैं और पूर्व राजस्थान में राजस्व सहायक सेक्रेट्री और सीनियर डिप्टी कलेक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं। वृहद राजस्थान बनने के पश्चात् श्री सोहनलाल जी ने लगभग ३।। वर्ष तक तहसीलदार, सब डिवीजनल ऑफिसर, और सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट का काम किया है।

(ग) हां।

Page No.32

[श्री रामकरण जोशी]

(ग) प्रश्न (ख) के उत्तर से ज्ञात होगा कि इस व्यक्ति के साथ कोई रियायत नहीं हुई है। श्री सोहनलाल जी को ग्रेड २६०) से ५५०) है, और अभी मंहगाई के अलावा ३२०) रु० मिल रहे हैं, जो डिवीजनल पंचायत ऑफिसर की ग्रेड २००) से ४००) के मुकाबले में हर हालत में अधिक है। इस आफिसर के अनुभव, ग्रेड व वेतन को दृष्टि में रखते हुए डिवीजनल पंचायत ऑफिसर का स्थान दिये जाने में कोई विशेष रियायत (स्पेशनल फेवर) करने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता। इसके अतिरिक्त इनकी नियुक्ति अस्थाई तौर पर ही की गई है।

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)--प्रश्न (बी) का जवाब नहीं दिया गया है।

What are the Educational Qualification of the gentleman.

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री):--व्यक्ति की क्वालिफकेशन का जवाब दिया गया है। जो आदमी डिप्टी कलेक्टर रह चुका है ......

श्री भैरू सिंह (दांता रामगढ़)--उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--मुझे ऐसा लगता है कि उनके पास युनिवर्सिटी की डिग्री कोई नहीं होगा।

श्री भैरू सिंह (दांतारामगढ़)--उनके पास डिग्री नहीं है तो क्या वाकई पांचवीं कक्षा तक पढे हुए हैं ?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री):--इससे कुछ भी अन्दाजा लगा लीजिये कि वे कहां तक पढ़ हुए हैं।

श्री अध्यक्ष--ऑर्डर ! ऑर्डर !! नेक्स्ट।

श्री हम्मतसिंह (अटरू)--कोई डेफिनिट रिप्लाई नहीं मिला है। एक डेफिनिट रिप्लाई तो मिलना चाहिये।

कर्नल श्री दिलीपसिंह--(विरोधीदल)--क्या उनके २४ वर्ष के अनुभव को देखते हुए ही इतनी बडी जगह उनको दी गई है।

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)--उत्तर में क्लियर है कि वे इतनी बड़ी जगह पर काम कर चुके हैं और उसको देखते हुए उनको उस स्थान पर नियुक्त करना कोई रियायत करना नहीं है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन्स क्या हैं और क्या नहीं, इस आधार पर कोई बात किसी जगह की बताते हैं वह अलहदा चीज है।

कर्नल श्री दिलीपसिंह (विरोधी दल):--इतनी क्वालिफिकेशन के होते हुए भी वे आर.ए.एस. में नहीं आये, तो क्या आर.ए.एस के सिलेक्शन बोर्ड ने उनके साथ अन्याय किया है ?

Page No.33

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—वह एक गजटेड ऑफिसर थे; आर.ए.एस. की पोस्ट पर सिलेक्ट नहीं किये गये थे।

श्री दिलीपसिंह (विरोधीदल):—ऐसे गजटेड ऑफिसर बहुत हैं, जिनको ५००) रु० मिलते हैं; तो फिर ३५०) रु० के तहसीलदार को ही वह जगह क्यों दी गई है?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०७४

श्री केसरीसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे—

(क.) क्या सरकार को मालूम है कि ग्राम पंचायत बिजोलिया छः वर्षों से काम कर रही है? उसके नये चुनाव के लिये कई दफा डेपुटेशन आये, अर्जियें व तार भी दिये गये और चुनाव करने का हुक्म दो-तीन दफा हो चुका; फिर भी चुनाव नहीं हो रहा है?

(ख.) यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री)—ग्राम पंचायत बिजोलिया का क्षेत्र बड़ा होने से इसके अधीनस्थ ग्रामों में पृथक पंचायतें स्थापित करने की कार्यवाही की गई जिसके फलस्वरूप ग्राम उमाजी का खेडा, थडीद, मकरेडी, खेडी में ग्राम पंचायतों का निर्माण हुआ। क्षेत्रों का विभाजन करने से चुनाव में विलम्ब अवश्य हुआ। अब वहां पर दिनांक २०.४.५३. को चुनाव करने की आज्ञा दे दी गई थी।

श्री कर्नल दिलीपसिंह (विरोधीदल)—यह अनुमान ही किया जा रहा है या आपके पास रिपोर्ट आई है?

श्री रामकरण जोशी (स्वायत्त शासन मंत्री):—२० तारीख अभी गुजरी है, इसलिये अनुमान किया जा रहा है। अभी रिपोर्ट नहीं आई है।

प्रश्न संख्या १०७५

श्री गुरुदयालसिंह संधु—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:—

(क) चक ३७ बी.बी. में मुरब्बा नं० ३६ किसको अलाट हुआ है?

(ख) जिसे अलाट हुआ है वह क्या काम करता है?

(ग) क्या वह पढ़ता है? यदि हां, तो किस कक्षा में पढ़ता है?

(घ) उसकी दरख्वास्त में एडवाइजरी कमेटी की क्या रिपोर्ट है?

उसका बाप चक ३८ बी. में कितने मुरब्बा काश्त करता है?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**--

(क) चक नं० ३७ ग्रो. बी. में मुरब्बा नं० ३३ जुगराजसिंह के नाम [illegible] काश्त पर अलॉट किया गया था।

(ख) वह पढ़ता है।

(ग) हां, वह स्टेट स्कूल करनपुर में में ९ वीं कक्षा में पढ़ता है।

(घ) चूंकि जुगराजसिंह की [illegible] जा सकता कि एडवाइजरी कमेटी [illegible] पर क्या रिपोर्ट थी।

(ङ) जुगराजसिंह के पिता का देहान्त हो चुका है।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**--क्या यह सच नहीं है कि यह जमीन दुबारा ली गई है?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**--यह जमीन धोखे से एलाट कराई गई था, इसलिये इसका तावान करार कर दिया है।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**--क्या यह सच है कि आज तक इस विषय में कुछ तय नहीं हुआ है?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**:--जो कुछ मैं कह रहा हूं वह सच है।

प्रश्न संख्या १०७६

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**--क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:--

१. इस वर्ष तहसील पदमपुर जिला गंगानगर में चने का बीज कितना तकसीम हुआ और कौनसी तारीख को तकसीम होना शुरू हुआ?

२. सूरतगढ में किस भाव पर दिया गया तथा पदमपुर में किस भाव पर?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (राजस्व मंत्री)**--कुल गंगानगर जिले में ४०,००० मन चने के बीज के वितरण का प्रबन्ध कलेक्टर द्वारा १३ रु० ५ग्रा. ४पाई फी मन यानी एक रुपया का तीन सेर के हिसाब से किया गया। यह भाव कुल राजस्थान के लिये निर्धारित किया गया है। गंगानगर जिले में केवल नोहर, सूरतगढ, भादरा और हनुमानगढ की तहसील में ही वितरण निश्चित किया गया क्योंकि बाकी तहसीलों में बीज काफी था। तहसीलवार बीज वितरण के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**--मेरा प्रश्न यह था कि पदमपुर और सूरतगढ तहसील में किस किस भाव से दिया गया है?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)**--भाव मैंने बताया है कि १३रु. ५ग्रा. ४पा.। मेरे खयाल से पहले भी इस प्रश्न पर सदन में काफी चर्चा हो चुकी है।

प्रश्न संख्या १०७७

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :-

(१) मु० नं० ५३,७५,१७६,५२सा० नूरसर कौरा वरानी, तहसील पदमपुर, और मुरब्बा नं० ४२ चक १ बी.बी.ए..मुरब्बा नम्बर ५७ व ११ वाके २ बी.बी.ए, किनको आराजी काश्त पर दिये गये हैं ?

(२) जिन लोगों को अलॉट हुए हैं वे अपने कुटुम्ब के कितने आदमी हैं ?

श्री **मोहनलाल सुखाडिया** (राजस्व मंत्री)—गांव नूरसर कौरा वारानी व चक एक बी. बी. ए. और २ बी. बी. ए. मुरब्बाजात निम्नलिखित आसामियों को आरजी काश्त पर एलॉट हुए हैं : कुटुम्ब संख्या रेकार्ड में दर्ज नहीं है ।

मुरब्बा नं० ५२	श्री बहादुरसिंह
मुरब्बा नं० ५३	श्री राजेन्द्रसिंह १।२ निर्मलसिंह ।
मुरब्बा नं० १७६	श्री सुविन्द्रसिंह
मुरब्बा नं० ७५	श्री भतरसिंह

चक १ बी. बी. ए.—मुरब्बा नं० ४२ में यह मुरब्बा सरकारी नहीं है । इसलिये इसके आरजी काश्त पर अलॉट करने का सवाल पैदा नहीं होता ।

चक २ बी. बी. ए.—मुरब्बा नं० ५७ श्री राजेन्द्रसिंह ।

श्री **गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या यह जमीन दो-दो जगह अलॉट की गई है ?

श्री **मोहनलाल सुखाड़िया** (राजस्व मंत्री)—दो-दो जगह एलॉट नहीं की जा सकती है।

श्री **हिम्मतसिंह (अटरू)**—क्या यह बी. बी. ए. इतनी एलाट क्यों हुई ? (हंसी)

श्री. **अध्यक्ष**—ऑर्डर ! ऑर्डर !!

श्री **महादेव प्रशाद**—अध्यक्ष महोदय, मेरा कल का एक प्रश्न रह गया है ।

श्री **अध्यक्ष**—जी हां, वही ले रहे हैं । कल का क्वेशचन नम्बर १०३१ ।

प्रश्न संख्या १०३१ ।

श्री **महादेव प्रसाद**—क्या पृथक राजस्व मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

(क) झुन्झुनू जिले में सन् ५१,५२ तथा ५३ में कितने व्यक्ति डालडा घी लाने के अपराध में पकड़े गये ?

(ख) कितनों को सजा हुई और कितने बिना सजा छोड दिये गये ?

Page No.36

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—

(१) सन् ५१-५२-५३ में डिस्ट्रिक्ट झुंझनू में वेजोटेबिल घी के स्मगिलग के जुर्म में कुल ६१ मुकदमे बने हैं जिसके सम्बन्ध में ११४ अभियुक्तों पर आरोप लगाये गये ।

(२) इन अभियुक्तों में से ६२ को सजा हुई है और दो छोड़ दिये गये हैं और १७ के खिलाफ मुकदमा का फैसला होना बाकी है ।

श्री सन्तोषसिंह—फिर भी डालडा घी अभी क्यों आरहा है ?

(उत्तर नहीं दिया गया)

सदस्यों को अनुपस्थित रहने की अनुमति

श्री अध्यक्ष—सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री विजयसिंह डि० नं० १५९ ने २० अप्रेल से अनुपस्थित रहने की अनुमति चाही है । क्या सदन को अनुमति है कि उन्हें अनुपस्थित रहने की आज्ञा प्रदान की जाय ?

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

Leave is granted.

श्री भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—कई सदस्य रुखसत लेकर सदन से बाहर हैं, लेकिन कई सदस्य बिना सदन की इजाजत से बाहर रहते हैं । क्या माननीय अध्यक्ष ऐसे सदस्यों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं ।

श्री जसवन्तसिंह—रूल्स देखने की कृपा करें ।

श्री अध्यक्ष—They should consult rules and should not waste the time of the House.

विधान कार्य

Now we have today the private members' business. But unfortunately there is one item for the Government legislation also.

श्री जसवन्तसिंह—Why unfortunately ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—अध्यक्ष महोदय, कृपया आप हिन्दी में बात कीजिये अंग्रेजी समझ में नहीं आती है ।

श्री अध्यक्ष—"ऑर्डर, आर्डर" तो आप समझते हैं ।

श्री मुक्तिलाल मोदी—'ऑर्डर' तो समझता हूं लेकिन आप अंग्रेजी में और बात जो बोलते हैं वह नहीं समझता हूं ।

श्री अध्यक्ष—यदि सदन की अनुमति हो तो इसको ले लिया जाय वरना इसको बाद में ले लिया जाय।

श्री जसवन्तसिंह—पहल ले लिजिये आप।

राजस्थान भू-धारण विधेयक

श्री मोहनलाल सुखाडिया (कृषि मंत्री)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill to consolidate, amend, unify and declare a law relating to agricultural tenancies, land tenures and other matters connected therewith in the State of Rajasthan be referred to a Select Committee consisting of members whose names I will just give.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

श्री कानसिंह—ओन एपोइन्ट ऑफ ऑर्डर, मैंने एक मोशन फोर एडजोर्नमेंट फोर परपजेज ओफ डिबेट रखा था।

श्री अध्यक्ष—Order! you should enquire from office.

(स्वीकृत)

The question is that the Rajasthan Tenancy Bill be referred to a Select Committee, personnel of which will be announced later on.

(स्वीकृत)

The motion has been adopted.

राजस्थान तमाखू विक्रेता अनुज्ञा-पत्र विधेयक, १९५३

श्री भोलानाथ (पृथक राजस्व मंत्री)—Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the time appointed for the presentation of the Report of the Select Committee on a Bill to regulate the retail sale of manufactured tobacco be extended upto the 1st week of the next session.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the House to grant extention.

(स्वीकृति प्रदान हुई)

The leave is granted.

राजस्थान उत्पादक भाटक नियामक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९५३

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—Sir, I beg to introduce the Bill further to amend the Rajasthan Produce Rents Regulation Act, 1951.

(विराम)

Page No.38

[श्री अध्यक्ष]

I also move that the Bill be taken into consideration.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

I have received a notice of motion of an amendment that the Bill be referred to a Select Committee. The motion is by Shri Bhairon Singh of Khejarla.

श्री भैरूं सिंह (खेजड़ला)—मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल की कोपीज़ हमें आज ही मिली हैं जोकि कम से कम तीन दिन पहिले मिलनी चाहिये थीं। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर कर दिया जाय।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—यह अमेंडिंग बिल procedural type का है इसलिये मैं माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे इस बात को नहीं उठावें कि इसकी कोपीज़ देर में उपलब्ध हुई हैं। इस बात को छोड़कर यदि आज ही इसे स्वीकार करलें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री भैरूं सिंह (खेजड़ला)—यह बिल बड़े महत्व का है और इसकी कोपीज़ कम से कम तीन दिन पहिले मिलनी चाहिये थीं, पर आज ही मिलीं। इसको देखने से यह मालूम होता है कि यह बिल बड़े अहमियत का है इसलिये इस पर अच्छी तरह से सोच-विचार होना चाहिये।

श्री श्रीदास गोयल—जहां तक आपका अमेंडमेन्ट है मेरा यह निवदन है कि यह बिल बहुत इम्पोर-टैन्ट है और काश्तकारों के फायदे के लिये रखा गया है। यदि इसको कल के लिये रखा जाता है तो इस पर डिस्कशन हो सकता है इसलिये मेरा निवेदन है कि यह स्वीकार फरमाया जावे।

श्री भैरूं सिंह (खेजड़ला)—कम से कम तीन दिन पहिले कोपीज मिलनी चाहिये थीं।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—मैं अर्ज करूंगा कि बिल की कॉपी आज मिली है। इसके साथ ही साथ यह भी देखना है कि जब बिल की कॉपी आज ही मिली है तो पूरा बिल देखने का समय नहीं है। यदि अमेन्डमेन्ट के साथ साथ मूल एक्ट की कापी भी होती तो देखने में सहूलियत होती और इसे पास करने की कोशिश करते। उसके अभाव में पास कैसे कर सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादव—क्या यह जरूरी है कि तीन दिन के अन्दर इसे ले लिया जाय? यदि अभी पास करना जरूरी है तो मैं समझता हूं कि सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द किया जावे तो तीन दिन में सिलेक्ट कमेटी अपनी ओपीनियन देकर वापिस लौटा दे और अर्लियेस्ट पास कर दिया जाये।

श्री अध्यक्ष—तब तो यह बिल नेक्स्ट सेशन में ही आ सकता है।

Page No.39

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—माननीय अध्यक्ष, यह इम्पोर्टेन्ट बिल है। इसलिये आज ही आना चाहिये ।

श्री गोपीलाल यादव—दो दिन बाद आ सकता है ।

श्री अध्यक्ष—There is no other work with me.

श्री गोपीलाल यादव—प्राइवट मेम्बर्स का काम इतना पड़ा है कि वह दो-तीन दिन में भी खतम नहीं हो सकता ।

श्री हिम्मतसिंह—दुबारा अर्ज करना ठीक नहीं है लेकिन इसके ओब्जेक्ट्स एंड रीजन्स में साफ लिखा है कि यह प्रोसिजरल करेक्टर का है । इसलिये, इस पर ध्यान से विचार करना जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष—But if the Bill is a controversial Bill, I would certainly like to postpone it. If there is an agreement between both the parties, I have no objection to take it. The Members can look into the Bill.............

एक सदस्य (विरोध दल)—Bur we have not been able to study it.

श्री अध्यक्ष—You can see it now. We can take the Bill at 12-30 and so and in the meanwhile we can proceed with the private members business.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया— Ihave not followed.

श्री अध्यक्ष—साढ़ा बारह बजे तक दूसरा काम कर लें और फिर उसके बाद इस पर विचार करेंगे ।

श्री जयसिंह—माननीय अध्यक्ष, ओरिजिनल एक्ट जब तक हमारे सामने नहीं आयगा तब तक हम कुछ नहीं कह सकते । दूसरा सजेशन यह है कि एक्ट तो पहिले से ही मौजूद है लेकिन उसमें कोन्ट्रोवर्सी अवश्य है; इसलिये इसे स्थगित करने का प्रस्ताव किया जारहा है क्योंकि बिना ओरिजिनल एक्ट देखे बहस मुमकिन नहीं है । इसलिये मेरा निवेदन है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जावे ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—मैं समझता हूं कि जैसा आपने आदेश दिया, साढ़े बारह बजे इसे ले लिया जाय तो ठीक है ।

श्री हिम्मतसिंह—क्या हाउस की कार्यवाही दो चार घण्टों के लिये बन्द रहेगी ।

श्री जयनारायण व्यास—नहीं, नहीं; प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस चलेगा ।

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं जिनके लिये बन्द रहती है उनके लिये बन्द रहेगी; बाकी हाउस का कार्य तो चलता रहेगा ।

श्री रघुराजसिंह—According to rules it should not be taken into consideration today.

श्री अध्यक्ष—Of course, if you object I will postpone it. But you raise your objection at 12-30:

(हंसी)

अ—राजकोय सदस्य कार्य

Now we proceed with private members business. Bills to be introduced.

सर्वजनिक न्यास विधेयक, १६५३

माधवप्रसाद एन. पंडित—I beg to move that leave be granted to introduce the Bill to regulate and make better provisions for the administration of charitable trusts in the State of Rajasthan.

श्री अध्यक्ष—Motion moved.

(विराम)

Is it the leave of the House to introduce the Bill to regulate and make better provision for the administration of charitable trusts in the State of Rajasthan.

(स्वीकृत)

Leave is granted.

श्री मुक्तिलाल मोदी—आप जब अंग्रेजी में बोलें तब हिन्दी में भी समझा दें ।

श्री अध्यक्ष—आॅर्डर ! आॅर्डर !

श्री मुक्तिलाल मोदी—आॅर्डर नहीं, हिन्दी में भी समझा दीजिये ।

श्री अध्यक्ष—If you behave like this I will take stern action. It is under Constitution. English is not abolished under the Constitution. Yes, next.

(विराम)

राजस्थान पशु तथा पक्षी बलिदान (समापन) विधेयक

Further discussion on the Bill moved by Shri Gopi Lal Yadav on 3-11-52 or consideration.

श्री गोपीलाल यादव—यह बिल मूव हो चुका था, और इस पर डिस्कशन हो चुका था। उस वक्त मेरे कुछ मित्रों ने आपत्ति की थी कि उनके धार्मिक अधिकारों पर, जो उनके जन्म सिद्ध अधिकार हैं, इस बिल से कुठाराघात होता है। तो अब और कोई मेम्बर बोलें उनके बाद में जवाब दूंगा।

श्री अमानसिंह—श्री गोपीलाल जी यादव ने जो बिल सदन के सम्मुख रखा है उस विषय में जहां तक वैधानिक आपत्ति का प्रश्न है उसके निस्बत मुझे कुछ निवेदन करना है।

मेरा ख्याल है कि श्री गोपीलाल जी यादव ने कांस्टिट्यूशन ऑफ इन्डिया को अवश्य देखा होगा लेकिन जल्दी में शायद वह आर्टीकल २५ को और अपने आपको मुखातिब करने से रह गये और सदन के सामने यह वैधानिक आपत्ति रह ही गई। इसकी ओर हमें अच्छी तरह गौर से देखना है ताकि हम अपने विधान की किसी धारा या आर्टीकल के खिलाफ काम नहीं करें, जिससे सदन के सामने व राजस्थान में ऐसी उलझन पैदा न हो जाय कि जिसे शायद हमारा न्यायालय गैर कानूनी घोषित करदे। इसलिये पहले इसके कि हम इसे पास करें मैं हमारे संविधान की धारा २५ को जो कि फंडामेंटल राइट्स की है उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। धारा २५ फंडामेंटल राइट्स की इस प्रकार है:—

"(1) Subject to public order, moralty and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion.

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law.........."

माननीय अध्यक्ष, जैसा कि हमारा मौजूदा संविधान है उसी प्रकार से और दूसरे देशों के विधान की ओर जब हम नजर दौड़ाते हैं तो इसी प्रकार के क्लॉजेज यू. एस. ए. के कांस्टिट्यूशन में, आयर के कांस्टिट्यूशन में और हमारे पड़ोसी बर्मा के कांस्टिट्यूशन में मिलते हैं और यह मैं जरूर मानता हूं कि हमारा संविधान उन संविधानों से ज्यादा लिबरल (liberal) है। अगर उन्होंने अपने देश के लिये किसी एक विशेष चीज को राज्य के धर्म के लिये मान लिया है जैसा कि आयर और बर्मा में है जो कि हमारे विधान में नहीं है तो यह मैं मानने को तैयार हूं। मगर यह मानते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा संविधान और लिबरल होने के नाते हमारे यहां के हरेक नागरिक को जिस धर्म के नीचे वह कार्य करना चाहे, जिस धर्म को वह बरतना चाहे वह उसी प्रकार से बरत सकता है। ऐसी लिबर्टी हमारे विधान में इसकी धारा २५ के तहत में है।

मैं यू. एस. ए. के कांस्टिट्यूशन की जो धारा है और उसके तहत में जो प्रोविजन रखा गया है उसको पढ़ कर सुनाता हूं:—

"No man in religious matters is to be discriminated against by the law, or subjected to the censorship of the State or of any public authority; and the State is not to inquire into or take notice of religious belief or expression so long as the citizen performs his duty to the State and to his fellows, and is guilty of no breach of public morals or public decorum."

[श्री जसवंत सिंह]

इसके साथ साथ बर्मा के विधान को तरफ भी जब हम नजर डालते हैं तो इसी प्रकार की चीज हमें उसमें भी देखने को मिलती है और वह इस प्रकार है:—

"The State shall not impose any disabilities or make any discrimination on the ground of religious profession, belief or status."

और आखिर जब हम बर्मा के विधान की ओर देखते हैं तो हमें वहां भी यही चीज देखने को मिलती है, जो इस प्रकार है:

"The State shall not impose any disabilities or make any discrimination on the ground of religious faith or belief."

तो इस प्रकार हमारे मुल्क का विधान है वह भी दूसरे देशों के विधान से ज्यादा लिबरल है और ऐसी स्थिति में जब हम ऐसी चीज को विधान में पाते हैं तो हमको कोई हक नहीं रह जाता कि विधान की धारा से खिलाफ किसी प्रकार का कोई कानून हमारे सदन में हमारे राजस्थान प्रान्त के लिये लागू करें।

इसके बनिस्बत में इतना और निवेदन करना चाहता हूं कि आप अगर किसी विशेष जाति को प्रोत्साहन देने के लिये, खुश करने के लिये अगर इस तरह के सेक्रिफाइसेज को बन्द करना चाहते हैं तो हम या दूसरे वर्ग विशेष के व्यक्ति कहने को तैयार हो जायंगे कि आपने किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष को खुश करने के लिये बलिदान को बन्द कर दिया है और इसके साथ ही साथ यह भी कहेंगे कि आप दूसरे वर्ग विशेष या जाति विशेष के धर्म के मामलों में हस्तक्षेप करने को तैयार हो जाते हैं।

हमारे राजस्थान में ऐसी कई जातियें या वर्ग हैं जैसे कि जैन एक जाति हो सकती है जो शायद सेक्रीफाइसेज के खिलाफ अपना मत रख सकती है और सरकार इस बात को मान्यता देने के लिये इसलिये तैयार हो जाय कि जैन धर्म में सेक्रिफाइसेज को नहीं माना है। तो क्या जैन मत के सिद्धान्तों के खिलाफ होने के नाते ही और जैन धर्म वालों के साथ रह कर दूसरे नागरिकों का जो धर्म है, विश्वास है, और जो वह मानते हैं कि हमें सेक्रिफाइसेज करने का अधिकार है उनके खिलाफ कानून पास करेंगे। क्या उनके पक्ष में होकर उन नागरिकों के अधिकार जो जैन धर्म वालों से ज्यादा अधिक संख्या में हैं छीनेगी? उनके प्रति क्या हमारी सरकार अन्याय करेगी? ऐसे धर्म के मामलों में जिसको हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, एक जैन धर्म को मानने वाले और दूसरे अन्य धर्म वालों की हो सकती है, तो इस तरह क्या दूसरे धर्म वालों के धर्म के मामलों में सरकार हस्तक्षेप करने को तैयार होगी और ऐसी हालत में जब कि यह चीज हमारे विधान के खिलाफ पड़ती है? तो क्या सरकार इसे मानने को तैयार होगी? मैं तो इसे मानने को तैयार नहीं हूं।

माननीय अध्यक्ष, हमारे इस प्रान्त में, इस प्रान्त में ही नहीं अपितु भारत के सभी दूसरे प्रान्तों में भी और कई तरह के स्लॉटर (slaughter) चालू हैं। हमारा जो गौ-धन है, उसकी रक्षा के लिये, गौ का स्लॉटर (हत्या) नहीं होने देने के लिये, हिन्दुस्तान को आजादी प्राप्त हो जाने के बाद हम मांग करते आये हैं और बार बार प्रार्थना करते हैं कि गौ हत्या बन्द हो।

Page No.43

[श्री जवानसिंह]

किन्तु हमारी सरकार इस मामले में उदासीन मालूम पड़ती है। इस मामले में खास तौर से अर्ज है कि जैसे माननीय मित्र ने यह बिल सदन के सामने रखा है उनको इस बिल को सदन के सामने लाने से पहले गो हत्या बन्द करने का बिल इस सदन के सामने लाकर एक ऐसी वस्तु को बचाना चाहिये था जिसको बचा कर वे हमारे हिन्दुस्तान की सेवा करते और उसे उच्च स्तर पर पहुंचाने में आज भी सहायता करते, परन्तु ऐसा बिल न तो सरकारी पक्ष की ओर से लाया गया न हमारे माननीय मित्र ने ही ऐसा बिल सदन के सामने प्रस्तुत किया। इसके साथ साथ आप इस बिल को पेश करके ऐसे सेक्रिफाइस को बन्द करने जा रहे हैं जो किसी विशेष धर्म के सिद्धान्तों के प्रतिकूल पड़ता है। ऐसा करके आप किसी जाति विशेष को खुश करना चाहते हैं। ऐसे सेक्रिफाइसेज इनडिसक्रिमिनेशन से नहीं हो रहे हैं। बली केवल किसी आवश्यकता पर ही हो रही है और यह किसी विशेष जाति के लिये उचित मानी गई है और अच्छी मानी गई है और उसी बेसिस पर ही इन सेक्रिफाइसेज को नियमानुसार धर्म के तहत में माना गया है। आपको ऐसा बिल लाने से पेश्तर ऐसा बिल हाउस में लाना चाहिये था जिससे कि यहां पर स्लाटर हाउस में जितने बकरे आदि मारे जाते हैं उनको रोका जाए। वे तो वहां पर खाने के काम में लिये जाते हैं और उसी लिये मारे जाते हैं और उसके बाद में इस प्रकार की बली-बन्दी का नम्बर आना चाहिये था। मेरा खयाल है कि यह बिल समयानुकूल नहीं है। इसलिये मैं यह प्रार्थना करता हूं कि किसी भी व्यक्ति के धर्म के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये और जो लोग अपने धर्म में जो कुछ करना चाहें करने देना चाहिये। वे बली करके अन्याय नहीं करते वे अपने धर्म के लिये ही ऐसा करते हैं। दूसरे नागरिक कोई ऐसा काम नहीं करते। हरएक व्यक्ति को अपने धर्म को जिस प्रकार चाहे मानने की स्वतन्त्रता है। इसलिये मैं यह कहूंगा कि किसी के धर्म के मामलों में हस्ताक्षेप नहीं करना चाहिये।

श्री तेजमल यादव—अध्यक्ष महोदय, श्री गोपीलालजी यादव ने जो बिल पेश किया है मैं भी उसके समर्थन में कुछ आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सर्व प्रथम तो जो अभी अभी मेरे एक मित्र श्री जवानसिंह जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल आपत्ति उठाई है उसका मैं विरोध करता हूं। मेरा खयाल है कि मेरे मित्र ने इस संविधान को ठीक तरह से नहीं देखा है और न समझा है। मैंने भी इसको देखा है। उन्होंने कहा है कि किसी भी प्रकार इस बिल से रोड़ अटकाये जाते हैं। आप कहते हैं कि धर्म को अपनी इच्छानुसार मानने का विधान में प्रोविजन है। किन्तु मैं मानता हूं कि जो बिल इस सदन में श्री गोपीलालजी यादव ने पेश किया है उससे किसी तरह की धर्म की क्षति नहीं होती। इस संबन्ध में मैं आपको निवेदन करूंगा और बतलाऊंगा कि इस बिल से न तो किसी के धर्म को क्षति पहुंचती है और न किसी को इससे आघात ही पहुंचता है।

इसके बाद आपने यह फरमाया कि दरअसल यह बिल केवल जैन जाति के व्यक्तियों को प्रसन्न करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। मैं यह कहूंगा कि मेरे मित्र..................

श्री जवानसिंह—मैंने केवल जैन धर्म वालों के लिये ही नहीं, मैंने तो यह जनरल बात कही थी।

Page No.44

श्री तेजमल बापना--मैं जो समझ सका और मैंने जो सुना उसका अर्थ यही है कि यह जैन धर्म वालों को प्रसन्न करने के संबन्ध में था। यदि इस बात को आप नहीं मानते तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं यह मानता हूं कि किसी भी जाति या धर्म के लोगों को प्रसन्न करने के लिए यह बिल सदन में लाया गया हो, यह बात कतई गलत है और इसको समझने में कुछ भूल हुई है।

अध्यक्ष महोदय, आज इस धर्म के नाम पर और धर्म को जो पुरानी रूढ़ियें हैं उनको लेकर क्या क्या अत्याचार न मालूम मानव और पशुजाति पर कियेगए हैं, उसे केवल आप एक शांतिमय वातावरण में ही बैठ कर सोचें तभी जाकर आप उस धर्म के गूढ़ रहस्यों को समझ सकते हैं। यदि हम इस प्रश्न को लें कि जिसमें कुछ लोग देवी-देवताओं को प्रसन्न करने के लिये पशु और पक्षियों की बलि देते हैं तो मैं यह कहूंगा कि मेरे खयाल से कोई भी धर्म इसके पक्ष में नहीं होगा कि पशु और पक्षियों की बलि की जावे। मैं मानता हूं कि यह केवल एक रूढ़ी है जो चल निकली है। मैं निवेदन करूंगा कि जिन धर्म-शास्त्रों की दुहाई दी जाती है यदि उनको उठा कर देखें तो हमें मालूम होगा कि शुरू में रामायण काल में भी इस प्रकार की बात आपको कहीं नहीं मिलेगी, न मिलती है। इसके अलावा महाभारत काल को भी आप देखेंगे और श्री कृष्ण भगवान के महान कृत्यों को देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि किसी ने भी पशु-पक्षियों की बलि का समर्थन नहीं किया है। इसके अलावा मुनि-महात्मा जितने भी हुए हैं उन्होंने भी कहीं पर इस बात का समर्थन नहीं किया है।

हां, पिछले समय में महाभारत में एक समय कुछ देवों और ऋषियों मे आपस में इस बात पर मतभेद हो गया था। उस समय ऋषि लोग इन्टलिजन्ट माने जाते थे और जो इस रूढ़ि का खण्डन करते थे, आपस में उनके और देवों में झगडा होगया। देव तो यह कहते थे कि पशु-पक्षियों की बलि होनी चाहिए और मुनि लोग यह कहते थे कि नहीं होनी चाहिये। इस झगडे के लिये एक ट्रिब्युनल बैठा और राजा वसु के पास गये। राजा ने जो फैसला किया उस पर भी इस बात का खंडन किया गया।

इसके अलावा बलि की प्रथा शास्त्रों के अनुसार नहीं है। जितने भी यहां भारतवर्ष में मुनि-महात्मा हुए हैं उन्होंने सभी ने यही बतलाया है कि पशुओं और पक्षियों का बलिदान नहीं होना चाहिये।

श्री शंभुसिंह--माननीय सदस्य ने पुराने हिन्दू धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया है या करने की चेष्टा कर रहे हैं।

श्री तेजमल बापना--मैंने पुराने हिन्दू धर्मशास्त्रों का अध्ययन अच्छी तरह से तो नहीं किया है फिर भी समझदार व्यक्ति इसका अध्ययन जरूर करते हैं। मैं यह नहीं कहता कि सभी लोग इतने महान पंडित होते हैं क्योंकि हरएक व्यक्ति में कुछ न कुछ कमियें अवश्य हुआ ही करती हैं। मगर जो अध्ययन मैंने किया है और उस अध्ययन के आधार पर मैं भी अपना अधिकार मानता हूं......

श्री भैंरूंसिंह (दांता)--मैं समझता हूं कि डिस्कशन कॉन्स्टिट्यूशनल पोइन्ट पर था।

श्री भैरूंसिंह--Yes. Whether constitutionally the Bill can be taken or not ?

श्री अध्यक्ष--That point is covered by his reply.

श्री भीमसिंह--Then should I take it as a general discussion, Sir ?

श्री अध्यक्ष--The discussion is on the principles of the Bill and in regard to that in the last session the point was raised that it goes against the Constitution. Now again one Hon'ble Member from Sirohi has raised that point.

The Hon'ble Member while speaking is making this point clear that this does not come within the purview of the Constitution.

श्री तेजमल बाफना--अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो सज्जन इस बिल का विरोध करने वाले हैं व धार्मिक रूप देकर इस पशु-बलि को कायम रखना चाहते हैं, मैं इस भावना का विरोध कर रहा हूं। अभी अभी कॉन्स्टिट्युशनल पोइन्ट पर भी जबाव दिया गया है और यदि मैं इस को साफ कर दूं तो यह कहा जा सकता है कि कोन्स्टिटयुश्नल व्यू पोइन्ट से भी अगर इस बिल को नहीं माना जाता है तो यह एक गलत चीज है क्योंकि आज का कोन्स्टियुशन यह नहीं कहता है कि पुरानी रूढ़ियों को माना जाय और उनको कायम रखा जाय। कल सदन में क्रियावर पर बहस हुई थी और कहा गया था कि यह धार्मिक प्रथा है और सरकार ने इस को कानूनन बन्द कर दिया है। कल दोनों पक्ष के सज्जन इस पोइन्ट पर बोले थे और उन्होंने यह माना था कि यह हमारा रूढ़िवाद है और हमारे धर्म पर इस प्रकार के कानून बनाने से कोई आघात नहीं पहुंचता है और इस कानून को हटाने में कोई आपत्ति नहीं है। वही रूप इस प्रथा के लिए भी है।

हमारे भारतवर्ष में सतियों की एक प्रथा थी और उसे धर्म का रूप दिया गया था। जिस किसी स्त्री का पति मर जाता था तो उस स्त्री का यह धर्म माना जाता था कि उसको उस मरे हुए पति के साथ ही मर जाना चाहिये, यानि सती हो जाना चाहिये। यह कोई धर्म का रूप नहीं था, वह तो केवल एक प्रथा थी और उसको कानूनन बन्द कर दिया गया। हमारे यहां शादी करने के सम्बन्ध में शास्त्रोक्त बातें बताई गई और उसको भी धर्म का रूप दिया गया तो इस प्रकार की रूढ़ि को भी शारदा एक्ट के द्वारा बन्द कर दिया गया। इसके पश्चात् यदि आप देखें तो आपको मालूम होगा कि डावरी बिल आपके सामने आ रहा है और तलाक बिल भी आपके सामने आ रहा है। यदि गूढ़ रूप से देखा जाय तो यह हमारे धर्म पर कोई आघात नहीं करते हैं किन्तु जो रूढ़ियां हमारे यहां पड़ गई हैं कि विधवा-विवाह नहीं होना चाहिये, तलाक नहीं होना चाहिये और इस प्रकार की रूढ़ियों को मिटाने के लिए ही कानून बनने जरूरी हैं और यह कॉन्स्टिट्युशन के खिलाफ नहीं है। इसके बाद मैं यह बताना चाहूंगा कि यह पशु-बलि कब से चालू हुई? अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां प्राचीन काल में जो पंडित थे, ऋषि मुनि थे उनका जीवन कन्द-मूल पर आधारित था, यानि वे कन्द-मूल पर अपना जीवन बसर करते थे। लेकिन कुछ संकट के समय में किसी एक ढोंगी ने यह बात दिखाई कि तुम फलां जीव को मारो, तुम्हारा कल्याण हो जायगा। वह मांस-पक्षी था और उसने इस प्रकार का प्रचार किया। एक-दो ग्रन्थ विरचा तो और मिल गए और इस प्रथा को चालू कर दिया। वे पशु बलि करने लग गए और यह

Page No.46

[श्री तेजमल बापना]

मानने लग गए कि इसको बन्द करने से हमारे धर्म पर आघात होता है। मैं समझता हूं कि यह कतई गलत चीज है। हमारे एक मित्र ने आपत्ति उठाई कि मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया है या नहीं? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि आप शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और आगर किया है किन्तु जिन विद्वानों ने इस सम्बन्ध में चर्चाएं की हैं उनको भी जरा देखिए और उनका भी अध्ययन कीजिए, मनुस्मृति, महाभारत, रामायण, संत कबीर और तुलसी की वाणी को देखिए। आप बहुत दूर हो क्यों जायें हमारे इस युग के महापुरुष श्री महात्मा गाँधी की वाणी को ही देखिए। उन्होंने इस प्रथा का घोर विरोध किया है। जिन मंदिरों में पशु-पक्षियों की वलि होती है उनको उन्होंने धर्म का स्थान नहीं माना है। मैं जाति-विशेष या धर्म विशेष के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं सब धर्मों के लिए यह मानता हूं कि जिस धर्म में यह रूढ़िवाद है उस धर्म की इस बिल को पास करने में उन्नति होगी। इससे कुछ फायदे होंगे और मैं उनको बताना चाहूंगा। एक मोलवी का एक उदाहरण मैं आपको बताना चाहूंगा। उन्होंने इस प्रथा के रूप में बलि करने का निश्चय किया था किन्तु वे चाहते थे कि बलि उसकी की जाय जो सबसे अधिक प्रिय जीव हो। उन मोलवी साहब ने अपने पुत्र की बलि करने का इरादा सोचा क्योंकि उनको यह मालूम हुआ कि पुत्र के सिवाय संसार में और कोई प्रिय वस्तु नहीं है। उनको यह मालूम हुआ कि शायद वह पुत्र के प्रेम में न फंस जाय। वह आँखों पर पट्टी बांध लेता है परन्तु जब वह गले पर छुरी चलाना चाहता है तो उसको एक मेंढे का स्वरूप मालूम होता है और इसी स्वरूप को लेकर बहुत सों ने कह दिया कि बकरे की बलि धर्म की चीज है। माननीय अध्यक्ष, मैं समझता हूं कि यह कतई गलत चीज है। धर्म का असली रूप तो और ही कुछ है और वह है "आत्मा सो परमात्मा"।

(घंटी)

मैं दो-तीन मिनिट और बोलना चाहूंगा।

तो अध्यक्ष महोदय, परमात्मा और चीज है और देवी-देवता और चीज हैं। देवी-देवता तो हमारी बनाई हुई चीजें हैं, कुछ स्वार्थी लोगों की ये बनाई हुई चीजें हैं। कुछ लोगों ने अन्ध विश्वास और भ्रम पैदा कर दिया कि फलां चीज की बलि देने से फलां माताजी प्रसन्न हो जायंगी, अमुक जानवर को मारने से अमुक देवी प्रसन्न हो जायंगी। मैं आपको बताऊं कि आप जैन धर्म के सिद्धान्तों को छोड़ दीजिए, किन्तु आप प्राणी-धर्म की ओर देखिए। एक जीव मर रहा है, वह चाहता है कि मैं न मरूं। जैन धर्म तो एक विशाल धर्म है और उसके द्वारा जो जीव की व्याख्या की गई है वह तो बहुत ही विशाल है। जैन धर्म का यह सिद्धान्त है कि एकेन्द्री जीव को मारने में भी हिंसा होती है। उसका सिद्धान्त है "आत्मनः प्रतिकूलानि परेशामान समाचरेत् अर्थात जो अपने को अच्छा नहीं लगे उसे दूसरों के लिए भी नहीं कर" यदि यह भावना प्रत्येक प्राणी में हो तो जो भावना हिन्सा करने के लिए कोई रख सकता है वह इस प्रकार की भावना प्राप्त हो जाने पर हिंसा करने की हिम्मत नहीं कर सकता। पुराने जमाने में यदि यह बात होती तो गलत चीज को करने में प्रत्यक्ष फल मिल जाया करता था।

भारतवर्ष का लम्बा-चौड़ा इतिहास है और भावनाएं अलग अलग बदलती रहती हैं। यदि ऋषि-मुनियों की भावनाओं और उनके प्रवचनों को देखा जाय, जिनके अनुसार कि हमारे शास्त्र बने हैं

[श्री तेजमल सावनः]
और आज भारतवर्ष उनके अनुकरण से ही संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, तो आपको मालूम होगा कि कोई भी यह नहीं मानता है कि पशु-पक्षी, निरीह और निरपराध जीवों की हिन्सा करने में धर्म होता है। अतः मैं मेरे मित्र का विरोध करता हूं और इस पशु-बलि को रोकने का जो बिल सदन में प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करता हूं। मेरे मित्र लोग इस बिल में जो ऊंची भावना है उसका समर्थन करेंगे और इस बिल को एक मत से पास करायेंगे। यह बिल मानव धर्म को कायम रखने वाला है। पार्टी विशेष का इसमें कोई बन्धन नहीं है। हरएक सदस्य स्वतन्त्र है, अपनी भावना को प्रगट करने के लिए।

श्री रोशनलाल शर्मा—क्या आप जैन धर्म की दृष्टि से यह बात कह रहे हैं?

श्री तेजमल सावना—मैं जैन धर्म की दृष्टि से नहीं, किन्तु प्राणी धर्म के लिहाज से कह रहा हूं।

श्री कस्तूरचन्द—आप प्राणी-धर्म को मानते हैं या किसी दूसरे धर्म को?

श्री छोटूसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने एक वैधानिक आपत्ति उठाई है और उस पर उन्होंने कांस्टिट्यूशन के आर्टिकल २५ को रेफर किया है। उन्होंने अपनी तकरीर के सिलसिले में अमेरिका और किसी अन्य मुल्क के विधान को भी रेफर किया है-किन्तु मेरे मित्र इस बात को कतई नहीं बता पाए कि धर्म के नाम पर इस तरह से जो पशु-पक्षियों की जो हिन्सा होती है वह धार्मिक किस प्रकार है। प्रश्न यह नहीं है कि कोई सरकार किसी धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करना चाहती है। हम इस मूल बात को सिद्धान्त रूप में मानते हैं कि दरअसल किसी धर्म पर कोई आघात होता है तो हमारे विधान के मुताबिक किसी भी धर्म पर किसी को कोई आक्षेप या आघात करने का हक नहीं है किन्तु उन्होंने अपनी तकरीर में इस बात को कतई साबित नहीं किया कि यह जो धर्म के नाम पर पशु और पक्षियों की हिंसा होती है। यह जो हमारा एक्ट है वह धार्मिक भी है, क्या यह हम देखें?

असलियत तो दर असल यह है कि जिसे धार्मिक कहा जाता है वह महा अधार्मिक है। मुझे यह कहते हुए अफसोस होता है कि जैसा कि मेरे एक मित्र ने कहा और बड़ी तेजी के साथ कहा कि इस बिल को वे किसी जाति विशेष के धार्मिक अधिकारों और धार्मिक स्वतन्त्रता पर कुठाराघात मानते हैं, जैसे कि किसी एक जाति विशेष ने तमाम भारतीय जातियों का ठेका ले लिया हो।

मैं तो जब धर्म की बात सोचता हूं तो मेरे दिमाग में यह कल्पना उठती है कि कोई ऐसा दम्भ क्यों करे कि कोई जाति विशेष या वर्ग विशेष फलां धर्म को मानने वाला है और फलां धर्म की फलां जाति विशेष और वर्ग विशेष ठेकेदार है। मैं तो इन्सानियत की दृष्टि से दो ही जाति समझता हूं, एक मानव जाति और दूसरी दानव जाति।

अगर धर्म की दृष्टि से भी हमें किसी बात को जज करना होगा तब भी इन्हीं दो जातियों को दृष्टि में रखते हुए करना होगा। हमें देखना यह होगा कि कौनसा कर्तव्य ऐसा है जो इन्सानियत को लिए हुए है और कौनसा कर्म ऐसा है जो हैवानियत को लिए हुए है। अगर हम अपनी तकरीर से या

[श्री छोटू सिंह]

दिमाग की तर्क-शक्ति से यह साबित कर देते हैं कि यह धर्म के नाम पर पशु बलि करना और जीव जन्तुओं की हत्या करना इन्सानियत का काम नहीं है तो अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन में यह निवेदन करूंगा कि धर्म के नाम पर इस दुनिया में और हमारे इस देश में इतनी खुराफातें हुई हैं इतनी बदनामियां हुई हैं अथवा इतने अनुचित कार्य इतने हुए हैं कि आज मानव-जाति का धर्म के नाम पर आकर्षण कम होता जा रहा है और धर्म का दिन प्रति दिन प्रचार कम होता जा रहा है और इस तरह दुनिया निरन्तर नास्तिकता की ओर बढ़ रही है। अच्छे धर्म को भी धर्म के नाम पर इस तरह की होने वाली हैवानियत के कारण लोग सुनने को तैयार नहीं हैं।

मैं भी आपके सामने खुले दिल से कहना चाहता हूं कि अगर धर्म यही कहता है कि हम किसी निर्दोष पशु या पक्षी को, जिसका कोई दोष नहीं, जिसको हमारी तरह ही कुदरत ने, ईश्वर ने पैदा किया है, धर्म के नाम पर हत्या करते हैं तो मैं भी ऐसे धर्म से अलग होना ज्यादा पसन्द करूंगा।

(करतल ध्वनि)

अध्यक्ष महोदय, धर्म के नाम पर इस देश में क्या क्या खुराफातें नहीं हुईं ? धर्म के नाम पर, सती प्रथा के नाम पर हजारों निर्दोष महिलाओं की हत्याएं हुईं। इसी धर्म के नाम पर हमारे करोड़ों हरिजन भाइयों को भगवान के मन्दिर में प्रविष्ट नहीं होने दिया, कृष्ण को चोर बताया गया, नाग को नचाया गया, भैरू भवानी के नाम पर हजारों मूक निर्दोष पशुओं को काटा गया। धर्म के नाम पर की गई हिंसा इन्सानियत है, यह कहा गया और मनुष्यों तक की भी बलि इसी धर्म के नाम पर चढ़ाई गई। इसी धर्म के नाम पर वाममार्ग निकला, जिसमें न भाई, न बहिन, न बेटी का कोई रिश्ता रहा। ये सारी खुराफातें केवल धर्म के नाम पर की गई। इस धर्म से अगर किसी को नफरत न पैदा हो तो क्या हो। इन्सानियत आज इस धर्म से घृणा करने लगी है। धर्म के नाम पर ये कृत्य आज इन्सानियत को चैलेंज हैं। कोई भी अगर मनुष्य है तो उसे इन कुकृत्यों को अधर्म ही समझना चाहिये। आज मानव विवेक को साथ लेकर चलेगा। उसने विवेक और तर्क शक्ति के आधार पर धर्म और अधर्म में विवेक करना सीख लिया है।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस सदन के सामने, जब यह बिल आया था, तो समझ रहा था कि इतने सुन्दर और सही बिल पर तो कोई चर्चा और बहस नहीं होगी यह बिलकुल सीधा, साफ और निर्दोष बिल है तथा यह तो कोई बहस का विषय नहीं बनेगा और निश्चय रूप से जल्दी ही पास हो जावेगा पर इस पर भी जब डिबेट चली और इसको भी विधान और किसी दूसरे दूसरे नामों पर टालने की कोशिश की गई तो मैंने सोचा कि अगर यह बिल पिछले सैशन में ही, जब कि वह चल रहा था और जिसमें यह पेश किया गया था, पास हो गया होता तो इस अरसे में हुई हजारों-लाखों निर्मम हत्याएं तो नहीं हो पातीं। पर फिर भी वैधानिक अड़चनें डालने वाले और विधान के नाम पर इस का विरोध करने वाले अगर इसका विरोध करते रहे तो मैं तो यही कहूंगा कि इसका नतीजा जो होगा उसके जिम्मेदार भी वही लोग होंगे।

[श्री छोटूसिंह]

मेरे एक दोस्त ने बहुत वजनदार दलील दी कि इस सरकार के अन्दर जब हजारों बुचडखाने हैं, जिनमें हजारों लाखों भेड़-बकरे आदि जानवर कटते हैं, उनको भी क्यों नहीं मना किया जाता है। मैं उनकी इस दलील से एक हद तक सहमत हूं और चाहता हूं कि यह भी बन्द हो जाय तो अच्छा है पर मेरे उन मित्रों से मैं पूछना चाहता हूं वे कम से कम यह तो नहीं करते कि वे किसी चीज की आड इस हत्या को दें। आप तो इस पर धर्म की छाप लगा देते हैं और जिम्मेदारी डालना चाहते हैं सरकार पर। आपने इस हिंसाकांड को धर्म का सर्टीफीकेट दे दिया। धर्म के नाम पर जब हत्याएं हो सकती हैं तो फिर हम किससे क्या कहें ?

अगर मेरा वस चले तो मैं तो कोई बूचड़खाना भी नहीं रहने दूं। पर मैं क्या कहूं उन लोगों से जिन्होंने इसे धर्म की छाप लगा दी।

एक जमाना था जब नरहत्या भी इसी धर्म के नाम पर हुआ करती थी। इन देवी-देवताओं के सामने इस प्रकार से नरबलि हुआ करती थी और इस प्रकार मनुष्य काटे जाते थे जिस तरह से बकरे कटते हैं। इससे सब परिचित हैं इस बात से सब परिचित हैं।कि एक जमाना था जब इन्सान भी कटते थे। वह जहालत का युग था; आम मनुष्य उस समय इतना कमजोर था कि उस समय के धर्म के बड़े बड़े ठेकेदारों के सामने उसकी एक नहीं चलती थी। एक जमाना आया कि एक हद तक लोगों ने महसूस किया इसको और वह नरहत्या बन्द हुई। आज जमाना और आगे आया है और लोग महसूस करने लगे हैं कि पशु-पक्षी की यह हत्या भी जहालत का काम है, अधर्म का काम है, मनुष्य का नहीं दानव का काम है और धर्म के नाम पर होने वाली यह हत्या भी मनुष्य पर कलंक होगी।

तो मैं, अध्यक्ष महोदय, यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल में ज्यादा बिलम्ब नहीं किया जावे। यह ज्यादा बहस का विषय नहीं बनाया जावे और इसे जल्दी ही पास कर दिया जावे।

जहां तक धर्म का सवाल है मैं नहीं समझता हूं कि इसके विरोधी जो भी हैं वे एक भी प्रमाण ऐसा दे सकते हैं, किसी भी शास्त्र या किसी भी धर्म पुस्तक से; जिससे वे यह साबित कर सकें कि यह बलिदान जो है वह धर्म के अनुसार है।

धर्म के एक नहीं, दो हैनहीं, दस-दस लक्षण बताए गये हैं पर धर्म के नाम पर बलि का कहीं जिक्र नहीं है। धर्म के अनुसार काम जीतो, क्रोध, मद और लोभ जीतो, इनका दमन करो और इसके बाद निश्चय ही तुम धार्मिक कहलाओगे ऐसा इसमें उल्लेख है। इसमें मास-मदिरा आदि के लिए भी कहीं कोई उल्लेख नहीं कि इसमें भो कहीं धर्म है। न भंग का भी कहीं जिक्र है। इन सब को बदनाम कर दिया है। धर्म के नाम पर कुछ धर्म के कहे जाने वाले ठेकेदारों ने इन सब को बदनाम कर दिया है। इस हिन्दुस्तान में जिस जिस शख्स ने जो जो भी खुराफातें कीं उनको धर्म की आड़ और धर्म का मुलम्मा दे दिया और उनकी वे खुराफातें मजे से चल निकलीं, उस धर्म के नाम पर इस धर्म की आड़ में।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा सदन के समस्त सदस्यों से कि इसमें वैधानिक आपत्ति आदि कोई चीज खडी नहीं करते हुए इस निर्दोष बिल को आज ही पास कर दिया जावे एक मत

[श्री छोटूसिंह]

से, नहीं तो हमारे सिर पर यह एक कलंक रहेगा। लोग कहेंगे कि एक ऐसे सुधारक और निर्दोष बिल में भी इस सदन में वाद विवाद हुआ था। इससे उन लोगों को हमारे संकुचित दिमाग भी पता लगेगा कि ऐसे सुन्दर बिल को भी ये लोग एकमत से पास नहीं कर सके।

प्रजातन्त्र में यह नहीं है कि हर चीज पर डिस्कशन हो ही। अगर किसी चीज को दिल से, आत्मा की साक्षी से सही मान लेते हैं तो उससे या तो कनविंस (convince) हो जाना चाहिये या किसी को कनविंस कर देना चाहिये। तो इस तरह हम क्यों नहीं इस मामले पर जिस पर, कि सब कनविंस्ड हैं, किसी को कनविंस करने की जरूरत नहीं है सब की आत्मा जानती है, कि निर्दोष पशु-पक्षियों का कत्ल करना निश्चय ही अधर्म है। एक मत होकर आज ही इसे पास करदे।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल पर ज्यादा न कहते हुए इतना ही सदन से अपील करूंगा कि इंसानियत के नाम पर, इन लाखों-हजारों पशु-पक्षियों पर दया के नाम पर और ईश्वर के नाम पर कि जिसने इन निर्दोष पशु-पक्षियों को जन्म दिया है दुर्भाग्य से उसी ईश्वर के नाम पर जिनकी हत्या करने का यह मानव दम्भ करता है, इन हजारों-लाखों पशु-पक्षियों का धर्म व ईश्वर के नाम पर बध न करें और इस अधार्मिक कृत्य से, जो कि वे रोज कर रहे हैं, किसी तरह छुटकारा पावें।

श्री **कानसिंह**—ओन ए पोइन्ट आफ आर्डर सर, क्वेश्चन अवर के बाद कल आधा घंटा शोर्ट नोटिस क्वेश्चन के डिस्कशन के लिए आपने दिया था।

अल्प काल-सूचना प्रश्न और आधे घण्टे के वाद-विवाद में अन्तर

श्री **अध्यक्ष**—What is the point of Order ? No subject can be taken unless proper notice is given. There is no point of order.

श्री **कानसिंह**—आपने कल कहा था कि....................

श्री **अध्यक्ष**—मैं यह नहीं चाहता। Order. Order! you enquire from theo ffice.

श्री **कानसिंह**—शोर्ट नोटिस क्वेश्चन पर आपने आधा घंटा बहस के लिये दिया था।

श्री **अध्यक्ष**—I have considered your half-an-hour discussion question. There is nothing in that which warrants half-an-hour discussion. I had assured the House that short notice questions can be asked. You have aksed for a half-an-hour discussion and not a short notice question.

श्री **कानसिंह**—तो फिर मेरी दरख्वास्त पर आप यही लिख दीजिये कि मैंने ऐसा नहीं कहा।

श्री **अध्यक्ष**—आप समझते नहीं। शोर्ट नोटिस क्वेश्चन में और हाफ एन ऑवर डिस्कशन में फरक है शोर्ट नोटिस की मैंने इजाजत दे दी। Half-an-hour discussion is a separate thing.

श्री कानसिंह—आप ऐसा कह दीजिये कि मैंने ऐसा नहीं कहा ।

श्री अध्यक्ष—माननीय सदस्य समझते नहीं हैं कि हाफ एन आवर discussion अलग चीज है और शार्ट नोटिस क्वेश्चन अलग विषय है । शार्ट नोटिस क्वेश्चन किसी भी समय आप पूछ सकते हैं । हाफ एन आवर discussion तब होता है जब कि प्रश्न का जवाब ईवेसिव (Evasive) होता है; एक पर्टिक्युलर परिस्थिति में ही हाफ एन अवर डिसकशन की इजाजत दी जाती है ।

पशु-पक्षी बलिदान समापन विधेयक

श्री खेतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मैं यादव जी के इस परमावश्यक बिल पर विचार प्रगट करने से पूर्व श्री यादव जी से जानना चाहूंगा कि क्या आपने सिर्फ हिन्दू धर्म के एक विशेष वर्ग के खिलाफ यह बिल पेश किया है या मुसलमान लोग जो कुर्बानी की तोर पर हलाल करते हैं उनको भी इसमें शामिल किया है ?

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ)—मैंने इस प्रकार का एक अमेन्डमेन्ट पेश कर दिया है जिसको श्री यादव साहब स्वीकार करने के लिए तैयार हैं ।

श्री गोपीलाल यादव—जब इस बिल पर क्लॉज बाई क्लॉज डिसकशन होगा उस वक्त यह बातें आ सकती हैं । मैं व्यक्ति व्यक्ति में या मजहब मजहब में फर्क नहीं मानता । इस बिल को बिना भद भाव के ख्याल से सदन के सामने रखा है ।

श्री खेतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरे पूर्व वक्ता ने बडा ओजस्वी भाषण दिया, किन्तु मुझे उसमें कुछ भी तथ्य मालूम नहीं हुआ । यहां धर्माचार्य बड़े बड़े बैठे हुए हैं । कइयों ने धर्म की डेफिनिशन अपने अपने विचार के अनुसार सामने रखी है । जहां तक मैं धर्म को समझ पाया हू धर्म कोई आइ. पी. सी. नहीं जिसको मेकॉले ने बनाकर रख दिया हो और जिसकी एक धारा पर इस वक्त क्रिटिसाइज़ करके उसको हर तरह से ले लें । धर्म क्या है, यह बहुत मोटा विषय है । इसकी मुझ जैसा तुच्छ आदमी व्याख्या नहीं कर सकता । जहां तक मैं समझ पाया हूं, धर्म वह चीज है जो धारण करने योग्य हो । किसी भी व्यक्ति ने कुछ ऐसी परम्परायें, रूढियां या कुछ ऐसे सिद्धान्त अपना रखे हैं जिससे वह अमुक धर्म का आदमी कहलाने लग गया । अगर मैं मान लूं कि अहिंसा परमो धर्म: यानि, किसी भी जीव-जन्तु को तकलीफ देना नहीं चाहिये तो मैं कभी भी किसी प्राणी को नहीं सताउंगा, किसी भी तरह की बलि या हलाल की हुई वस्तु को नहीं खाउंगा; तो मैं अमुक धर्म का व्यक्ति होगया । अगर कोई दूसरा व्यक्ति यह लेकर बैठ जाय कि हम देवी-देवताओं के सामने जाकर बलि करेंगे और बलि करके उस बलि की हुई वस्तु को खावेंगे तो वह दूसरे धर्म का व्यक्ति कहलाने लग गया । यदि इसी प्रकार तीसरा व्यक्ति किसी चीज को हलाल करके भक्षण करता है तो वह तीसरे धर्म का व्यक्ति कहलाने लग गया । यह एक सर्व सिद्धान्त सा बन गया कि जो व्यक्ति किन्ही पुरानी रूढियों को का परम्पराओं का अनुकरण करे, उसे धारण करले तो वह उसी धर्म का कहलाने लग गया; मैं इसी निष्कर्ष पर पहुंचा हूं ।

बड़े जोश के साथ यह कहा गया कि यह दानवता है, अगर कोई इन्सान किसी जन्तु का भक्षण करता है । अगर इसी प्रिन्सिपल को लेकर हम चल ते हैं तो मेरे ख्याल से दुनिया में जितने भी इन्सान

[श्री खेतसिंह]

हैं वे दानव हैं, वे सभी कुछ न कुछ या किसी न किसी प्रकार किसी न किसी जीव का भक्षण अवश्य करते हैं। वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि वृक्ष भी बातें करते हैं और जो बातें करने वाला होता है, जिसमें बोलने की कुछ शक्ति होती है उसमें अवश्य जीव होता है। अगर किसी वृक्ष को आप कुल्हाडी से मारते हैं तो उसमें से जो रस निकलता है वह उसका लहू होता है, यह मानी हुई बात है। इस कारण बनस्पति में जीव माना गया है। मेरे जैनी मित्र सब्जी खाते हैं और हम भी जिस सब्जी को खाते हैं वह हर धर्म वाले खाते हैं। मेरी राय में वे किसी न किसी प्रकार, किसी प्राणी का भक्षण हम अवश्य करते हैं। उसे चाहे कोई हलाल कहे या सेक्रिफाइज कहे चाहे कुछ भी कहा जाय। इस प्रकार यह मानी हुई बात है कि हम सब किसी न किसी प्रकार से प्राणियों का भक्षण करते हैं; वे चाहे पशु हों, पक्षी हों, चाहे बनस्पति हो। इस तरह से जो दानव कहा गया तो मेरे ख्याल से इस दानव की डेफिनिशन में सभी आ जाते हैं। जो बलि दी जाती है; उसका वास्तव में क्या मूल्य है अगर आप पुराने वेद और और शास्त्र को उठा कर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह बलि कोई नई चीज नहीं, यह तो परम्परा से चली आ रही है। आपने रामायण या महाभारत का अध्ययन किया हो तो आपको पता चलेगा कि यह प्रथा आज से नहीं सेकडों वर्षों से चली आ रही है। रामायण को देखा होगा तो आपको पता चलेगा कि जब अश्वमेध यज्ञ हुआ था उस अश्वमेध यज्ञ में यह होता था कि जो घोड़ा चारों दिशाओं में घुमाया जाता था उस घोड़े की बलि उस यज्ञ में दी जाती थी बाद में इस प्रकार से बलि नई चीज नहीं है। इसी प्रकार आपने यदि राजा भोज की कथाओं को पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा कि भोज के वक्त में इन्सान की बलि चढ़ा करती थी। उस वक्त का ऐसा वातावरण था कि इन्सान अपनी शान समझता था इस प्रकार बलि देने में और अपने आपको बलि करने में। उस समय के इन्सान बलि देने के लिए तैयार हुआ करते थे। अब वह माद्दा हम में नहीं रहा और हम जानवरों तक आ गये। इस बात में आपको ईर्ष्या क्यों है, जिसके कारण आप यह समझते हैं कि इस प्रकार की बलि न दीजाय। इससे धर्म को आघात पहुंचता है। इस प्रकार से आप उन व्यक्तियों के धर्म को क्यों आघात पहुंचाना चाहतें हैं? जो बलि दना अपना धर्म समझतें हैं या हलाल करना अपना धर्म समझते हैं आपको इससे तकलीफ कहां हुई? मैंने कई महाजनों और कायस्थों को देखा हैं जो दशहरे के रोज आटे का बकरा बनाते हैं। कायस्थों को जाने दीजिये, वे तो मांसाहारी होते हैं किन्तु महाजन लोग जो अपने आपको मांसाहारी नहीं मानते हैं वे लोग भी दशहरे के दिन एक आटे का बकरा बनाते हैं और उसे काटते हैं। वे उसे इस तरह से काटते हैं जैसे वे बलि दे रहे हों और इस तरह से वे अपनी देवी को प्रसन्न करते हैं। वे यह कहते हैं कि हमारे में इतनी शक्ति नहीं कि हम बकरे की बलि दे सकें, या बकरे को काटलें; हम यह छोटा सा बकरा काट कर देवी को प्रसन्न करते हैं। इसके पीछे एक आशय है। वह यह कि कोई भी इन्सान चाहे वह किसी भी तरह का हो अपनी देवी को प्रसन्न करने के लिए स्वतंत्र है। यह प्रथा हमारे मारवाड़ में बहुत प्रचलित है। यह प्रत्येक इन्सान का राइट है कि वह अपने देवी-देवताओं को, चाहे जिस तरह से भी हो, प्रसन्न करे। इसमें यह खूबी है की मुसलमान लोग बकरे को उल्टा डालकर हलाल करते हैं। यह एक तरह से उन्होंने अपनी धार्मिक परम्परा मान ली है। वे इसमें अपना अहोभाग्य समझते हैं कि वे इस तरह से करके अपने खुदा को, अपने मालिक को खुश कर लेंगे। इसी प्रकार जैन

[श्री खेतसिंह]

धर्म में एक दिगम्बर मत के मानने वाले हैं। उनके महन्त सडकों पर नंगे घूमा करते हैं। दूसरे आदमी इस चीज को बहुत घृणा की दृष्टि से देखते हैं और इस पर छींटाकशी करते हैं। लेकिन में जानता हूं कि जैनी लोग उनके चरणों में नत मस्तक होकर दंडवत लगाया करते हैं और चरण छुआ करते हैं। अगर इस तरह से सभी धर्मों की खराबियों को आप दूर करना चाहते हैं तो आप पं. नेहरू को दरख्वास्त करके इस हाउस की एक कमेटी बना दी जाय जो सारे धर्म को समन्वय करके उसकी खराबियों को निकालने के निष्कर्ष पर पहुंच सके।

प्रत्येक धर्म में प्रत्येक मनुष्य के अपने विचार मे कुछ खराबियां और कुछ अच्छाइयां हुआ करती हैं। जैसे जैन धर्म के अन्दर जो साधु होते हैं वे नंगे चलते हैं। उनको श्रावक लोग बुरा मानते हैं और नफरत की दृष्टि से देखते हैं। वे जब कभी ऐसे महाराज को आते देखते हैं तो मुंह फेर कर रवाना हो जाते हैं लेकिन उनकी सेवा करने में जैनी लोग पुन्य समझते हैं, वे अपना राइट समझते हैं, अपने आपको उनका परमभक्त समझने में जैनी लोग यह समझते हैं कि यह एक आवश्यक धर्म है। इस प्रकार यह बडा अहमियत का विषय है। आखिर में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि दूसरे धर्म वालों को चाहे यह बुरा लगे किन्तु हिन्दू धर्म एक ऐसा विशाल धर्म है कि उसको पार करना एक समुद्र को पार करना है। मुझे जैसा तुच्छ व्यक्ति इस बड़े समुद्र को कैसे पार पा सकता है, यह मेरे लिए असंभव है। इसलिये मेरा निवेदन है कि आप अपने संकुचित दायरे को छोड़कर विशाल दृष्टिकोण के सोचिये। आपको बड़े सोच-विचार से काम लेना है। मैं समझता हूं कि इस पर ज्यादा बहस दलील करने की आवश्यकता नहीं। आप सब लोग पढ़े-लिखे आदमी हैं। आप ही सोचिये कि यह कहां तक उचित है कि किसी धर्म के मानने वाले पर यहां हम छींटाकशी करें; यह कहांतक उपयुक्त है। इतना ही कह कर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री **कस्तूरचन्द**—अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस पशु-पक्षी बलिदान के विषय पर विचार प्रकट करना चाहूंगा। आज राजस्थान के माथे पर पशु-पक्षी की हत्या करने के बारे में कलंक का टीका लगा हुआ है। आप जो देवी-देवताओं के नाम पर धर्मस्थानों के ऊपर बकरे और पाडे को दुधारी तलवार से मारकर उसका भक्षण करके खुश होते हैं तो यह मानवता की बात नहीं है। यह आज राजस्थान के लिए बडे कलंक की बात है। इस तरह का भक्षण करना मानव धर्म को अगर हम ऊँचा उठाने का हक रखते हैं तो यह उचित बात नहीं है। राजस्थान में एक वर्ग विशेष के लोग दशहरे के ऊपर, मैंने देखा है, पाडे को शराब पिलाकर उसको पागल करके चौगान में दौड़ाते हैं और उसके पीछे घोडे के ऊपर बैठकर भाला लेकर उसको इधर से उधर घोचा देते (बींधते हैं)। वह उधर भागता है इधर भागता है। इस तरह से उसे परेशान करके वह जब ज्ञान खो देता है तो इसी में यह लोग अपना धर्म मानते हैं। दशहरे के ऊपर खुशी से बकरे को काटकर उस दिन शराब पीते हैं और उस दिन मौज करते हैं। क्या यह इनके लिए तारीफ की बात है और फिर धर्म पर घमंड करते हैं? हमारे खेतसिंहजी ने नजीर दी है कि धर्म के अनुसार बहुत सी जातियां, यहां तक कि नंगे सन्तों को भी पूजती है; तो यह तो होता आया है, इससे कोई बचता नहीं। इस तरह की नजीरे दी हैं, और उस चीज को हवा में घुमाने की कोशिश की है। अर्थात् वे चाहते है कि पशु बली अच्छी है-तो यह उनका समझना गलत है। मैं समझता हूं कि इस हत्या को रोकने के लिए यह विधान सभा हर तरह से कदम उठायेगी और इस बिल को पास कर लिया जायगा। हम

Page No.54

[श्री कस्तूरचन्द]
इस बिल को पास करने के लिए कदम उठाने की कोशिश करेंगे और राजस्थान में इस तरह का जो पशु बलिका कलंक लगा हुआ है इसको मिटाने के लिए मैं समझता हूं विधान सभा उचित कदम उठायेगी।

श्री मुक्तिलाल मोदी—उपाध्यक्ष महोदय, गोपीलालजी यादव ने जो यह बिल रखा है उसका मैं समर्थन करने के लिए आपकी सेवा में खड़ा हुआ हूं। गोपीलालजी यादव ने यह बिल रखा है उसमें एमेंडमेंट जो आयेगा, जो कि आप लोगों के सामने आने वाला है, उस एमेंडमेंट में साफ बता दिया गया है कि किसी धर्म के नाम पर; या जैन धर्म के नाम पर या दूसरे वर्ग विशेष के धर्म के नाम पर यह बिल रखा है, वह नहीं है। गोपीलालजी यादव हैं वे न तो जैन धर्म के मानने वाले हैं और न जैनी हैं। इसलिए इस बिल को सभी भाइयों को समर्थन करना चाहिये।

इस संबन्ध में मैं आपको महाभारत का उदाहरण दूं। गीता के बारे में आपको बताता हूं। गीता सब हिन्दुस्तान में एक भारी ग्रन्थ माना गया है और उसका लोकमान्य तिलक ने अनुवाद किया है। उस गीता के अन्दर यह बताया गया है कि किसी जीव मात्र को काटना मनुष्य का धर्म नहीं है। तो ऐसी हालत में पुराणों के अन्दर यह चीज़ जरूर लिखी गई है, परन्तु उन पुराणों के अलावा दूसरे ग्रन्थों के अन्दर यह चीज नहीं लिखी गई है। आज गीता शास्त्र को अगर आप लोग झूटा बताते हैं, आप लोग खुद मानते हैं कि अर्जुन और श्री कृष्ण के बचनों को देखते हुए अगर आप इस जीवहिंसा को करना अच्छा समझते है तो आप गीता-शास्त्र को पहले पहिल हिन्दुस्थान के अन्दर झूठा बताइये, उसको झूठा कहिये, और तिलक ने जो उसका अनुवाद किया है उस अनुवाद को झूठा बताइये; उसके बाद इस धर्म का नाम लीजिये। मेरे कुछ मित्रों ने बताया कि वृक्षों के बारे में, सब्जियों के बारे में; तो वह एक सांसारिक चीज है। उससे एक आदमी के शरीर का पोषण होता है, लेकिन एक चीज को मारकर वह खाता है है तो उसका शरीर उतना पोष्टिक नहीं होगा जितना उस जीव के रहने से फायदा होता है। उस चीज के रहने से लोगों का जितना फायदा होगा उतना उसको मार देने से नहीं। एक भैंसा जो बड़ा होता है तो वह कितना काम में लिया जाता है। भैंसे के ऊपर बोझ लाद सकते हैं, और उस भैंसे को सरे तरीकों से और काम में ला सकते हैं। खेती के काम में ले सकते हैं। खेती के अलावा भी और दूसरे कार्यों के अन्दर लोग काम में ले सकते हैं। जिस बकरे की बात कही है तो मैं उस बकरे की बात कहूं कि आप समझते हों कि यह जैनी है तो मैं जैनी भी नहीं हूं।

(करतल ध्वनि)

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री शंभूसिंह—क्या मेरे मित्र बकरे का उपयोग बतलायेंगे ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—मेरे माननीय मित्र ने यह पूछा कि........

श्री कस्तूरचन्द—क्या यह डिस्कशन कांस्टिट्युशन की धारा है उस पर चल रही है या बकरे के उपयोग के लिए ?

Page No.55

श्री भैरूं सिंह (दांता रामगढ़)—यह बहस बकरे के उपयोग के लिए चल रही है।

श्री कर्नल दिलीपसिंह—ग्रौन ए प्वाइन्ट ग्राफ इन्फॉरमेशन, सर, क्या यह बहस प्रिन्सीपल के ऊपर हो रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रिन्सीपल आफ दी बिल के ऊपर हो रही है।

श्री मुक्तिलाल मोदी-(पूर्व भाषण जारी रखते हुए) यह जो बकरे के लिये पूछा है वह बताता हूं। माननीय उपाध्यक्षजी, मेरे कुछ मित्रों ने पूछा कि बकरे का क्या उपयोग होता है तो मैं माननीय मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि उस बकरे का यह उपयोग होता है कि बकरा भी गधे जैसा काम में ग्राता है। (हंसी) हरिद्वार के ग्रागे बद्रीनारायणजी जाते हैं तो वहां जितने बकरे हैं वे उसी काम में ग्राते हैं। वहां बकरे का जो उपयोग होता है, वह कितनी ग्रच्छी चीज है। ग्राज वहां बकरे की कीमत कम से कम पांच सौ रुपये हैं। पांच सौ रुपये की कीमत होने के नाते उस बकरे का कितना उपयोग होता है और हमारी तरफ भी उस बकरे का यह उपयोग होता है कि वह खेती के काम में ग्राता है। (हंसी)

बकरे खेती के काम में ग्राते हैं, उनके बाल काटकर ऊन पैदा की जाती है। भेड़ें जो काटी जाती है, उन भेड़ों से ऊन पैदा होती है। बकरों ग्रौर भेडों से खाद पैदा होता है जो खेती के काम में ग्राती है।

(करतल ध्वनि)

श्री मोतीराम—यह जो बिल रखा गया है वह इसलिये रखा गया है कि देवी-देवताग्रों के नाम से कोई वध नहीं किया जायगा। देवी-देवताग्रों के नाम से होने वाली बलि को छोड़कर यहां जो बहस हो रही है वह इस बात पर होर ही है कि इस देश में जीव नहीं मारें। जो बिल लिया गया है, उस बिल का सपोर्ट करना चाहिये। देवी देवताग्रों के नाम पर जो बलि होती हैं उस पर बहस करनी चाहिये। दूसरे विषय पर बहस करके हाउस का समय बरबाद नहीं करना चाहिये।

श्री जसवंतसिंह—मैं माननीय मुक्तिलालजी से पूछना चाहता हूं कि जो बद्रीनाथजी के धाम में बकरे काम में लिये जाते हैं उन बकरों को छोड़कर दूसरे बकरों को मारा जाय तो क्या हर्ज है ?

श्री मुक्तिलाल मोदी—किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—ग्रापको बिल का जो सब्जेक्ट मैटर है उसी पर बोलना चाहिये, सारे पशुग्रों को मारने या न मारने की बात नहीं करके रूल्स के माफिक जैसा कि बिल में विषय है उसी पर बहस करनी चाहिये। बलिदान करना उसूलन ठीक है कि नहीं, इसी बात को स्पष्ट करने के लिये बोलिये।

श्री मुक्तिलाल मोदी—यह जो धर्म के नाम पर पशु-पक्षियों की बलि रोकने के लिये श्री गोपीलालजी यादव ने सदन के सामने बिल रखा है उसका समर्थन करते हुए मैं सदन के सब सदस्यों से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को पास करना चाहिये।

श्री भैरूसिंह (दांतारामगढ)---माननीय उपाध्यक्ष,, माननीय मित्र श्री गोपीलाल जी यादव ने जो यह बिल सदन के सामने पेश किया और इस पर बहस के दौरान में सदन में विचार-धारा रखी गई, उसको देखकर मुझे दुख भी हुआ और आश्चर्य भी हुआ कि लोग किस प्रकार अपने वादों को भूलकर सदन में किस प्रकार उन वादों की अवहेलना करने लग गये हैं। मैंने राजस्थान विधान सभा के इलेक्शन्स को देखा था और विरोधी पक्ष के लोगों को यह कहते हुये देखा था कि "अहिंसा परमो धर्म:"। उसी पार्टी के सदस्यो द्वारा इस "असिंहा परमों धर्म:" के सिद्धान्तों को दूर रखकर मांस के भक्षण के लालच में इस बिल का इस प्रकार विरोध किया जारहा है। मुझे अफसोस है कि यही सदस्य राम-राज्य परिषद, भारतीय जन संघ और हिन्दू महा सभा आदि पार्टियों का आश्रय लेकर इलेक्शन जीते हैं और उन्हीं पार्टियों के लेकर इस सदन में बैठे हैं। उन्होंने जनता को आश्वाशन दिये थे कि गौ-हत्या करके सरकार जा अन्याय कर रही है उसका हम विरोध करेंगे। मैंने उन्हीं पार्टियों के नेताओं से पब्लिक मीटिंग में कहते हुये सुना कि भगवान महावीर का यह सिद्धान्त है कि एक पलक को मूंदने से कई जानवरों की हत्या होती है। ऐसे सिद्धान्तों के होने पर गौ-हत्या कराना महा पाप है। जो इस तरफ एक छोटे से छोटे कीटाणु से लेकर गाय तक की हत्या को पाप समझते हैं तो इन कीटाणु से लेकर गाय के बीच के निरीह पशुओं की बलि करना कहां तक उचित कहा जा सकता है।

अभी एक सदस्य ने वैधानिक आपत्ति उठाते हुए कहा कि कोई भी सरकार किसी भी धर्म में आपत्ति हस्तक्षेप नहीं कर सकती। यदि वे इस धारा के इन शब्दों को देखते तो उनको यह अवसर नहीं मिलता व इस प्रकार की आपत्ति उठाते। इसमें लिखा है:

"Subject to public order, morality and health".

मोरेलिटी शब्द से सारी बाधा हल होजाती है। मैं कोई विद्वान नहीं, साधारण नागरिक हूं और मानवता के नाते इस चीज को बुरी समझता हूं कि इस प्रकार देवी-देवताओं को खुश करने के लिये पब्लिक प्लेस पर जानवरों की निर्मम हत्या की जाय। आज भगवान् राम के अश्वमेध यज्ञ का उदाहरण दिया गया और मनुस्मृति के श्लोक सुनाये गये; पर जो उनके अच्छे अच्छे आदर्श हैं उनकी नकल नहीं की गई और बुरी बातों को गृहण किया गया। यदि ऐसा करते तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरे मित्र इस प्रकार इस बिल का विरोध करने को तैयार नहीं होते। इसके विपरीत उन्होंने उन्हीं चीजों का अनुसरण किया है जिससे समाज का अध:पतन हो रहा है। धर्म में किसी देवी-देवता के सामने किसी जानवर की बलि करना उचित नहीं बताया गया है। जिस ईश्वर ने सृष्टि की रचना की है वह अपने बनाये गये जानवरों की पब्लिक प्लेस पर निर्मम हत्या कराये तो मैं यही कहूंगा कि वह ईश्वर भी अपने कर्त्तव्य से च्युत होता है। जिस धर्म में जानवरों की बली करना धर्म है उस धर्म को मैं धर्म नहीं समझता, बल्कि पाप समझता हूं। यदि इस पाप को धर्म समझा जाता है तो मैं तो यही कहूंगा कि फिर हम नहीं कह सकते कि धर्म और पाप में कोई फर्क है। जीवों की रक्षा करने के सिवा और कोई धर्म नहीं और पाप नाम की अगर कोई चीज है तो जानवरों की हत्या करने के बराबर और कोई चीज नहीं हो सक्ती। आज बकरों की, पशु-पक्षियों की बलि की जाती है। यदि देवी-देवता पशुओं की बलि से खुश होते हैं तो इन शरों, बबेरों और हाथियों को बलि क्यों नहीं की जाती? किन्तु इन खूंख्वार जानवरों के पास

[श्री भैरोंसिंह दांतारामगढ़]

तक जाते हुये वह कांपते है, उनसे डर लगता है। इनसे डर लगने के कारण इन मूक पशुओं को, जो विरोध नहीं कर सकते और जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उनकी हत्या की जाती है। मैं तो यही कहूंगा कि जो शेर-बबेरे आये दिन मनुष्यों की हत्या करते हैं और काश्तकारों के मवेशियों को उठाकर लेजाते हैं, काश्तकारों को खा जाते हैं उनकी बलि न चढ़ाकर इन निर्मम-निरीह मूक पशुओं की वलि चढ़ाना कोई धर्म नहीं है। इस तरह मूक-पशुओं की वलि चढ़ाने का न किसी धर्म-ग्रन्थ में जिक्र है न और किसी धर्म में विधान है और न ऐसा काम धर्म ही है। ऐसे जानवरों को मारने का अगर कहीं विधान है तो वह मांस-भक्षण के लोलुप एवं मांस भक्षण के पक्षपाती लोगों द्वारा रखा गया है। इसलिये मैं सैद्धान्तिक रूप से इस पशु-बलि का विरोध करने वाला हूं और इस सदन से प्रार्थना करता हूं कि इस बिल को पास करने में अवश्य हयोगी वनें।

जनरल इलेक्शन के दिनों में राम राज्य परिषद, जन संघ और हिन्दू महासभा के लोगों ने जो जनता से वादे किये थे और जनता को जो आश्वासन दिये थे उन वादों और आश्वासनों की मैं उन्हें याद दिलाता हूं और यह कह देना चाहता हूं कि अगर वे उन वादों की खिलाफवर्जी करते हैं तो वे न केवल उन पार्टियों के सिद्धान्तों के साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि अपनी आत्मा के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। अभी मेरे मित्र श्री जवान सिंहजी ने कहा कि.....

श्री **जवानसिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, माननीय सदस्य के लिये व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है और न रूल्स ही ऐसा करने को अलाउ करते हैं।

श्री **भैरूंसिंह (दांता रामगढ)**—व्यक्ति विशेष पर आक्षेप करने की तो कोई बात ही नहीं है। आपने अभी जो फरमाया उसी को दोहरा रहा हूं। अभी आपने कहा था कि इस बिल के बजाय यदि गौहत्या बन्द कराने का बिल रखते तो अच्छा था। इसके लिये मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि हमने इस बिल का विरोध किया और इसे पास नहीं किया तो जब हम गौ-हत्या बन्द करने के प्रश्न को लेकर सरकार के पास जायेंगे तो जो सरकार गौ-हत्या करवा रही है वह हमें बदनाम करने में पीछे नहीं रहेगी कि इन लोगों ने, जो पशु-बलि बन्द करने का बिल रखा गया था उसका विरोध किया और धार्मिक अधिकारों के नाम पर इसे पास नहीं होने दिया; तो फिर गौ हत्या कैसे बन्द की जा सकती है। यह भी तो दूसरों के धर्म पर हस्तक्षेप है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यदि आप गौ हत्याबन्द करवाना चाहते हैं, यदि आप गौ हत्या के विरोध में हैं और यदि आप चाहते हैं कि राजस्थान सरकार और भारत सरकार गौ-हत्याको बन्द करें तो आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप इस बिल को पास करके पशु-बलि को बन्द करें।

बस यही कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हुआ अपना आसन ग्रहण करता हूं।

श्री **जसवन्त सिंह**—माननीय उपाध्यक्ष, यह एक बहुत ही बड़े महत्व का धार्मिक सवाल है। इस सवाल के साराशं पर असलियत पर यदि जाना है तो यह जानना जरूरी है कि वाकई यह हमारे कान्स्टिट्युशन द्वारा दिये गये हमारे धार्मिक अधिकारों पर आघात करता है या नहीं। अतः इस विषय

[श्री जसवंतसिंह]

में एडवोकेट जनरल की राय जानना भी जरूरी है। यहां कुछ भाइयों के धार्मिक विचार अलग अलग हैं। हो सकता है कि इस तरह की बहस से उनके धार्मिक विचारों को काफी आघात पहुंचता हो और यदि यही सिलसिला बहस का जारी रहा तो जो जैन भाई यह बातें सुन कर खुश हो रहे हैं और यह समझते हैं कि उनका धर्म स्वच्छ है, तो उनके भी छिद्र यहां निकाल कर बतायेंगे; जिससे उनको दुख होगा। जिस तरह कि वे इस समय हमारे धर्म पर आघात पहुंचा रहे हैं उसी तरह उनके धर्म के भी छिद्र बताये जायेंगे। मैं यह स्पष्ट करूं कि इस सवाल पर हमें एडवोकेट जनरल की राय लेना जरूरी है। जब तक उनकी राय नहीं ले ली जाय तब तक कॉन्स्टिट्युशन के आधार पर यहां इस पर बहस नहीं की जा सकती है। माननीय उपाध्यक्ष, यदि आप उचित समझें तो इस प्रश्न पर एडवोकेट जनरल की राय ली जाय ताकि फिर हम इस पर बहस करें। नहीं तो यह बहस ऐसा रूप धारण कर रही है कि हमारे जैन भाई इस पर खुश होते हैं, पर जब उनके धर्म की ऐसी बातें लाई जायंगी तो उनको दुख होगा।

श्री उपाध्यक्ष--इस समय इस बिल के उसूलों पर बहस जारी है। पहले भी यह प्रश्न उठाया गया था कि इस विषय में एडवोकेट जनरल की ओपीनियन ली जाय। मैं गवर्नमेन्ट की तरफ यह इशारा करूंगा कि वह एडवोकेट जनरल को बुला ले और जो इस समय बहस चल रही है वह जारी रहेगी और इस बिल पर तभी आगे प्रोसीड करेंगे जब एडवोकेट जनरल की राय सदन में जाहिर हो जायगी। तब तक सदस्य दलीलों पर बहस न करके उसूलों पर बहस करें; ताकि किसी को किसी तौर से बुरा मालूम न हो।

श्री तेजमल बापना--अभी अभी विरोधी पक्ष के नेता, श्री जसवन्तसिंह जी ने यह कहा कि दरअसल यह जैन धर्म मानने वालों का बिल है और दूसरों को ठेस पहुंचा कर वे अभी खुश हो सकते हैं; मेरा खयाल है वे गलत समझे हैं, अपने आपको और दूसरों को। क्योंकि न तो यह जैन धर्म वालों का बिल है और न इस बिल को किसी जैनी ने ही रखा है। बहस केवल यह हो रही है कि अहिंसा के धर्म का क्या स्वरूप होना चाहिये।

श्री भैरवलाल काला बादल--माननीय उपाध्यक्ष, देवी और देवताओं को जो पशुओं की बलि चढ़ाई जाती है उसको रोकने का जो बिल सदन के समक्ष प्रस्तुत है उसके पक्ष में मैं अपनी विचार धारा रखना चाहता हूं।

देवी और देवताओं का मतलब है देवात्मा। देवात्मा वही है जिसमें दया हो। तो जिस देवात्मा में दया हो उसके नाम पर बलि देना यह एक महान् पाप है। हां, यह हो सकता है कि भक्षण करने वाले हैं उनको देवता नहीं रख कर या तो उनका नाम पक्षी-भक्षक रख दिया है या बकरा कट रख दिया है।

देवताओं के नाम पर बलि करना महान पाप है और आज के जमाने में यह समाज के लिये कलंक की चीज है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जिस तरह हमारे देश की ऋतुएं होती हैं जैसे सर्दी, गर्मी, चौमासा आदि और अलग अलग ऋतुओं में अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं; जैसे सर्दी में गरम कपड़े पहिनते हैं और गर्मी आते ही उन्हें उतार कर अलग रख देते हैं उसी तरह अलग अलग

[श्री भैरवलाल काला बादश]

देवताओं के नाम पर बलि देने का तरीका रख दिया गया है। यह बहुत बुरी चीज है। देवताओं के नाम पर मांस का भक्षण नहीं किया जाना चाहिये। यदि बलिदान करना ही है तो उन देवताओं के नाम भी आप बदल सकते हैं। जैसे यदि बकरे की बलि देनी है तो बकरा-भक्षी देवता नाम रख दिया जाय और भैंसे की बलि चढ़ानी है तो भैंसा-देव नाम रख दिया जाय और फिर बलि चढ़ाई जाय। तो ऐसा करने पर हमें कोई एतराज नहीं होगा। लेकिन देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाना बुरी बात है। इतना ही कह कर मैं इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री **गोपीलाल यादव**--पहले आपने भी कह दिया है और श्री जसवन्तसिंहजी ने भी कहा है, मैं समझता हूं किस डिबेट में ऐसे शब्द लाने की आवश्यकता नहीं है कि जिनसे किसी के मजहब को धक्का पहुंचे। ह्युमेनिटेरियन और इकोनोमिक आस्पेकट (मानवता और आर्थिक दृष्टिकोण) पर ही ध्यान दें तो अच्छा हो। किसी के धार्मिक भावों पर आक्षेप नहीं किया जाना चाहिये।

श्री **हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री**--माननीय उपाध्यक्षजी, श्री गोपीलालजी ने जो बिल सदन के सामने रखा है और उसके पक्ष में जो बातें कही हैं मैं उनका समर्थन करता हूं। बहुत समय पश्चात् राजस्थान विधान सभा में यह एक प्रस्ताव विचार करने के लिये प्रस्तुत किया गया है। अभी अभी हमारे माननीय सदस्यों ने धर्म की बातें कह कर धर्म के नाम पर बलि चढ़ाने की आवश्यकता बतला कर अपनी बात का समर्थन किया है और यह सिद्ध करने की कोशिश की है कि देवताओं को बलि चढ़ाना धर्म है लेकिन मैं इस सम्बन्ध में अपने कुछ विचार बताना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में ऐसी बात नहीं है। हमारे धर्म-ग्रन्थों और सिद्धान्तों में ऐसी बातें कहीं नहीं लिखी हैं. ये सब बिल्कुल मनघड़न्त बातें हैं। मैं दो-चार श्लोक आपके सामने रखूंगा और बतालाऊंगा कि वैदिक धर्म के सिद्धान्तों में कहीं भी बलि की बात नहीं कही गई है। मैं आपको एक मंत्र सुनाना चाहता हूं जो इस प्रकार है:--

> एको वशी सर्व भूतान्तरात्मा, एकं रूपं बहुधा यः करोति।
> तमात्मस्थं ये नु पश्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम्॥

इस मंत्र में यह बताया गया है कि परमात्मा सब जीवों में व्याप्त है। यह कहना कि एक बकरे की बलि चढ़ाई जाय जिससे हमारा धर्म बच जायगा आदि; ये तर्क गलत है। जीव मात्र का कल्याण किया जाना चाहिये। जानवरों को इसलिये नहीं बनाया है कि उनकी बलि दी जाय और उनका बध किया जाय या उन्हें काट कर देवताओं के चढ़ाया जाय। बलि चढ़ाने से धर्म होता है, यह कहना भी एक तरह से स्वार्थ सिद्ध करना है। मनुस्मृति में यह लिखा है कि यदि कोई मनुष्य बकरे-भैंसे आदि की बलि करता है या काटकर खाता है तो उसको बहुत पाप होता है और अन्त में उस बलि देने वाले को या काटने वाले को उतनी ही बार उसी तरह बकरा या भैंसा बनकर मरना पड़ेगा, जितने कि बाल जानवर के बदन पर है। मैं आपसे यह निवेदन करूंगा कि ये बलि आदि चढ़ाना बेकार की बात है। इसलिये मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जो लोग स्वार्थ सिद्ध करने केहेतु देवताओं के नाम पर बलि चढ़ाकर पुण्य हासिल करने की बातें कहते हैं, वे ग़लती पर हैं। श्री गोपीलाल जी ने जीवमात्र के कल्याण के लिये

Page No.60

[श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री]
यह बिल सदन के सामने उपस्थित किया है । मैं इसका हार्दिक स्वागत करता हूं और निवेदन करता हूं कि इसे पास किया जाय।

श्री केसरीसिंह पाटन—माननीय उपाध्यक्ष बहुत से धुरन्धर पंडितों ने और सिद्धान्त शास्त्रियों ने अपने अपने वक्तव्य इस सदन में पेश किये हैं और यह बतलाया है कि बकरे का, भैंसे का काटना व पक्षियों का मारना धर्म से निषेध है, हालांकि बलि में काटा जाना निषेध नहीं है । बहस इतनी सी बात पर है है कि पशुओं को धर्म के नाम पर पर्टिकुलर मन्दिर आदि पर नहीं बलिदान किया जावे । मगर बहस इस पर नहीं हो रही है; बहस इस बात पर हो रही है कि पशुओं और पक्षियों को मारना ही नहीं चाहिये । मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि या तो वे लोग जो इस पक्ष में हों कि बलि नहीं दी जानी चाहिये वे अपने देवी देवताओं के स्थान सब अलग बना लेवें । जो बात पहले से होती आ रही है उसको किस क़ानून के आधार पर रोका जा सकता है? ऐसा कोई क़ानून नहीं कि जो काम अर्से दराज़ से होता आ रहा है उसको रोका जाए । आप जानते हैं कि विष्णु के मन्दिर जहां कहीं भी हैं उसमें कभी भी बकरा नहीं कटता । बकरा देवी के मन्दिर में कटता है और वहां पर आप बकरे को काटने से मना नहीं कर सकते क्योंकि यह एक परम्परा से होती आ रही बात है । आप जानते हैं कि सिक्ख हलाल का मांस नहीं खाते और झटके का मांस खाते हैं । यदि बकरे कटना बन्द हो जाएगा तो जितने भी स्लॉटर हाउस हैं वे सब बन्द हो जावेंगे । आपके यहां पर जितने शेर हैं उनको भी जंगल में छोड़ दीजिये यहां पर उनको क्यों मांस खिलाया जाता है ? जब सब बन्द हो जावेंगे तो सब लोग घास-फूस खाने वाले हो जावेंगे और जब सब लोग घास-फूस के खाने वाले हो जावेंगे तो अपने देश की क्या हालत होगी उसका आप अन्दाज़ा लगा सकते हैं? ज़रा सा खून देखेंगे तो आप चीख उठेंगे और मार्शियलिटी समाप्त हो जावेगी । ज़रा सा खून देखते ही आप का हार्ट फ़ेल होकर मर जावेंगे । इसलिये धर्म के अन्दर क्षत्रिय जाति मांसाहारी जाति है ।

एक सदस्य—मांस खाना मना नहीं है ।

महाराज श्री केसरी सिंह (पाटन)—मांस खाना मना नहीं है । यदि आप बलि करना मना कर देंगे तो बलि नहीं होगी और लोग जो मांस खाने वाले हैं उनको मांस नहीं मिलेगा । वह जाति बहुत कमज़ोर हो जावेगी । फ़ौज में ब्राह्मण और बनियों को भर्ती कर लीजिये और राजपूत और मीनों को निकाल दीजिय । वे सारे राज्य की हिफ़ाज़त नहीं कर सकत और न राज्य फ़तह कर सकेंगे । ब्राह्मण जहां बन्दूक चली और रक्त बहा तो "हाय राम" कह कर चले जावेंगे ।

एक सदस्य—ओन ए पोइन्ट ऑफ़ ऑर्डर, सर . . . .

महाराज श्री केसरी सिंह (पाटन)—धर्म पर आक्षेप हो रहा है । धर्म ऐसी चीज़ है जिसकी बुनियाद पर बड़ी बड़ी बातें हो सकती हैं । धर्म की बुनियाद पर पाकिस्तान बना; धर्म की बुनियाद पर मैदान से भागती हुई फ़ौज वापस दुश्मनों पर आक्रमण करने के लिये तैयार की जा सकती है । धर्म को बिगाड़ना सहज होता है किन्तु बनाना बहुत मुश्किल है । इसलिये मेरा आप लोगों से निवेदन

[महाराज श्री केसरीसिंह]

है कि धर्म को नहीं बिगाड़ें। धर्म को किन्हीं मामूली आदमियों ने नहीं बनाया है, बड़े बड़े लोगों ने बहुत सोच समझ कर बनाया है। इससे देश और जाति को बहुत फ़ायदा है और मैं समझता हूं कि इसकी बहस में पड़ने की किसी को ज़रूरत नहीं। यदि धर्म ऐसी चीज़ हो जावे जिसे कोई ज़िधर चाहे मोड़ दे तो मैं समझता हूं कि धर्म की कोई वैल्यु नहीं रहेगी। इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि आप सब को इसका विरोध करना चाहिये और इसे क़तई पास नहीं होने देना चाहिये क्योंकि यह बिल बिलकुल ही ठीक नहीं है।

श्री **किशनलाल शाह**—माननीय उपाध्यक्ष, अभी जो बिल सदन के साने आया है उस पर मुझे कुछ कहना है। इस बिल पर बोलने वालों ने एक तरफ़ तो धार्मिक पहलू और दूसरी तरफ़ अधार्मिक पहलू की बात कही है। जहां तक भौतिक पहलू का संबन्ध है यह बात ठीक हो सकती है लेकिन बलि के सम्बन्ध में वे केवल आध्यात्मिक पहलू को ही सामने रखते हैं। आज़ादी आ जाने के बाद हमारा संविधान बना और इसमें हमने एक बहुत बड़ा सिद्धान्त जो स्वीकार किया है वह है व्यक्ति के विकास की स्वतन्त्रता और उस मान्यता में एक यह मान्यता थी कि सार्वजनिक स्वतन्त्रता, सदाचार और स्वास्थ्य, इन तीनों प्रतिबन्धों के साथ हर नागरिक अन्तःकरण की स्वतन्त्रता के साथ धर्म की अबाध गति को मान ले, उसका आचरण करे और आचरण के साथ प्रचार की भी उसको स्वतन्त्रता थी। अध्यक्ष महोदय, जब इस प्रश्न पर विचार करने को बैठते हैं कि आया यह बिल धर्म के अधिकारों पर कुठाराघात स्वरूप है या नहीं तो अध्यक्ष महोदय, यह निश्चय रूप से मालूम होता है कि जितनी भी दलीलें दी गई जितनी भी दलीलें सामने आई हैं वे विद्वानों की दलीलें हैं, धर्म शास्त्रों और पंडितों की दलीलें हैं; फक्कड़ों की दलीलें नहीं हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि साधन एक चीज़ है और साध्य दूसरी चीज़ है। दोनों का माध्यम भिन्न है। जितनी भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं उनमें साधन को ही साध्य मान कर हम बोखला उठे हैं; कहते हैं कि यह हमारी संस्कृति और धर्म पर आघात है। इन सांसारिक जीवों ने इस संसार को सराय माना है और वे अपने कर्तव्य के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं। किन्तु उन निरपराध जीवों को मारने वालों ने अपने आपको यह मान लिया है कि हम शक्ति के पुजारी हैं। अध्यक्ष महोदय, सत्य के तीन रूप हैं शील, सौन्दर्य और शक्ति। शक्ति की पूजा वे ही नहीं करते हैं जो शील की पूजा करते हैं। वे सत्य की पूजा भी करते हैं, सोन्दर्य की पूजा भी करते हैं और शील की पूजा करते हैं। और जो शील की पूजा करते हैं वे शक्ति की पूजा करते हैं और जो शक्ति की पूजा करते हैं, वे सत्य की पूजा करते हैं। अतः अध्यक्ष महोदय ये तीनों अभिन्न हैं। सत्य की पूजा इसलिए की जाती थी कि उसमें एक प्रकार का आकर्षण था और वह आकर्षण और वह शक्ति ग़रीबों की रक्षा करने के लिए थी; असहायों को शरण देने के लिये थी और उन शरण आने वालों की रक्षा करने में वह शक्ति काम में आती थी। यही एक प्रकार का आकर्षण था। इस बलि को दूसरा स्वरूप दिया गया है। अगर यह मान लिया जाय कि शक्ति की पूजा की जाती है और आचरण का प्रचार किया जाता है, जो होवा दिखाया जाता है वह दूसरा ही है। शक्ति की भावना के ऊपर आचरण करने का मतलब ग़रीबों की, निस्सहायों की रक्षा करना है और इसका मतलब यह नहीं है कि भेड़ की बलि चढ़ावें, बकरों

[श्री किशनलाल शाह]

की बलि चढ़ावें, निस्सहाय की बलि चढ़ावें, और इस प्रकार का प्रदर्शन करके आस पास यह सामाजिक वातावरण बनावें कि हम कितने शक्ति-शाली हैं कि एक ही झटके में फ़लां को मार सकते हैं। इस झटके का प्रदर्शन एक प्रकार से उनकी जो मनोदशा है, उनकी जो मनोवैज्ञानिक दृष्टि है, उसको बताता है। इसके साथ ही साथ उनकी मनोवैज्ञानिक भावना यह है कि इस प्रकार के प्रदर्शन से आस पास जो सामाजिक वातावरण है वह अपने आपको उनसे कमज़ोर फ़ील करने लगता है और वे शूरवीर समझ जाने लगते हैं। एक प्रकार की सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स (superiority complex) आ जाती है। आस पास के लोगों को गुलाम बनाने की मनोवैज्ञानिक भावना उसमें काम करती रहती है, उनका यही मनोवैज्ञानिक ध्येय बन जाता है। शक्ति का जो असली स्वरूप था उसके विपरीत यह स्वरूप सामने आता है। इस प्रकार जो जो साधन मिले उन साधनों को शक्ति के जरिये शासन के रूप में बताया गया और किसी जाति विशेष ने इस प्रकार के साधन अपनाए। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह दूं कि यह धर्म नहीं है, केवल ढकोसला है और यह भी कहा जाय कि यह धर्म के नाम पर शक्ति हथियाने का साधन है तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। यह इसी लिये रखा गया है कि अपने स्वार्थों को पूरा किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय, जब यह कहा जाता है कि यह बिल स्वाधीनता के बिलकुल प्रतिकूल है तो मैं यह निवेदन करूंगा कि उनका यह कहना भी स्वाधीनता के बिलकुल प्रतिकूल है। यह बिल तो स्वाधीनता के अनुकूल है। हम यह मान लें कि जब व्यक्ति संसार में आता है तो वह हाड़-मांस का पुतला ही होता है और इन्सान बाई नेचर (प्रकृति से) हैवान ही होता है। किन्तु स्वच्छ वातावरण में जन्मा हुआ व्यक्ति सत्य, शील, सौन्दर्य और शक्ति प्राप्त करके ईश्वरीय गुणों को प्रकट करता है और इन साधनों को अपना कर आगे बढ़ता है और वह व्यक्ति निम्न स्तर से ऊंचे स्तर पर पहुंच जाता है। अगर हम इन साधनों को मान लेते हैं तो कोई वजह नहीं मालूम होती है कि इस बिल का विरोध किया जाय और यह तब ही हो सकता है जब कि यह भावना आप सब में हो।

अध्यक्ष महोदय, मैंने यह भी सुना है कि जीवन मात्र को रक्षा के हेतु ही इस बिल को लाया गया है और यह दलील दी गई है कि जीव की रक्षा करके अन्य धर्मों पर आघात पहुंचाना है। इससे भी आगे बढ़ कर कहा गया है कि यह संकीर्ण वृत्ति से लाया गया है। किन्तु मैं आपसे निवेदन करूंगा कि न तो यह बिल जीव की रक्षा के हेतु लाया गया है और न ही यह जैनियों की संकीर्ण वृत्ति का द्योतक है। मैं तो यही कहूंगा कि इस प्रकार की दलील देने वालों की स्वयं की यह संकीर्ण प्रवृति का द्योतक है। इस से जीव की रक्षा ही नहीं होती है किन्तु इस बिल द्वारा उनका सुधार भी होता है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि इससे क्यों जबरदस्ती आंतक फैलाया जाता है और सार्वजनिक वातावरण, सदाचार और स्वास्थ्य को नष्ट किया जाता है? अगर सही तरीके से, शान्तिपूर्ण तरीके से भी सदाचार की भावना और स्वच्छता के पालन के लिये वे तैयार नहीं है तो हम भी अपनी आत्मा की बुलन्द आवाज के साथ उन्हें मानने के लिये तैयार हैं कि यह बिल पास होना चाहिये। मैं यह भी कहने के लिये तैयार हूं कि वे अपने

[श्री किशनलाल शाह]
घर में चाहे तामसिक वृत्ति अख्तियार करें, हमें इसमें कोई एतराज नहीं है किन्तु यह माताजी का मन्दिर है, यह शीला देवी का मन्दिर है या कोई दावा करे कि उन्हें ही हवन का अधिकार है तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारा भी कुछ अधिकार है। इसमें भी जो अभी भावना है, प्रेरणा है वह भिन्न है किन्तु जागरूकता एक ताकत है और इस पर चलने का हमारा भी अधिकार है। भारतीय संविधान के बनने के बाद हमारा जो लक्ष्य है इससे मैं समझता हूं कि यह बिल अवश्यम्भावी है, अनिवार्य है और यह अवश्य ही पास होना चाहिये। इसमें संविधान की निहित आत्मा है। इसमें विशुद्ध सामाजिक ढांचे को पैदा करने वाली और स्वच्छ वातारवण को पैदा करने वाली भावना है। अध्यक्ष महोदय, लोग यह कहते हैं कि यह संविधान की धारा २५ के विरुद्ध है। मैं यह निवेदन करूंगा कि इस बिल की आत्मा और संविधान की आत्मा पुकार पुकार कर कह रही है कि जितना जल्दी हो सके इस बिल को पास किया जाना चाहिये। न यह बिल धर्म के विरुद्ध है और न यह संविधान के विरुद्ध। धर्म के नाम पर, संविधान की आड़ में ढकोसला खड़ा करके शक्ति के जरिये यह बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार गांवों में कोई किसी को मार देता है और उससे लोग थर्राने लगते हैं और मानने लगते हैं कि अमुक आदमी शक्तिशाली है इसी प्रकार गांवों में राज्य कायम करने की यह कुचेष्टा है। मैं समझता हूं कि यह दलील अस्वीकार की जानी चाहिये और एक स्वर से इस बिल को पास किया जाना चाहिये।

श्री भीमसिंह-अध्यक्ष महोदय, अभी यह प्रश्न चल रहा है कि यह प्रश्न धार्मिक है या नहीं और धार्मिक होने के नाते हाउस में लिया जा सकता है या नहीं। बहुत से साथियों ने फरमाया कि यह धार्मिक नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि अगर मेरे माननीय सदस्यों ने इस बिल को पूरा पढ़ा होता तो, मैं यह महसूस करता हूं कि वे ऐसा कभी नहीं कहते। उन्होंने इस बिल को पढा ही नहीं है।

इस की डेफिनिशन में सेक्रिफाइस का जो शब्द दिया है उसे आपने देखा या नहीं देखा ? इसे अगर, मैं निवेदन करूंगा अपने मित्रों से, वे ध्यान से पढेंगे तो महसूस करेंगे इस बात को।

क्लाज ४ (१) में लिखा है कि—

"Sacrifice" means killing or maiming of any animal or bird for the purpose of pleasing or propitiating any deity".

इसमें "deity" शब्द किस को कहते हैं ?

"deity" का मतलब है ईश्वर या वह मूर्ति जिसको ईश्वर तुल्य मानते हैं। इसके अन्तर्गत मूर्ति भी आ जाती है, चबूतरा और दरख्त भी आ जाते हैं जिसमें आप बाला जी, माताजी भैरूंजी या और किसी चीज को मानलें। तो जिसमें इश्वर तुल्य या परमात्मा तुल्य मानी जाने वाली मूर्ति आ गई तो फिर धर्म कहां रहा ? धर्म इसी में रहा, वह अलग नहीं है। और अगर धर्म में ईश्वर नहीं है तो फिर धर्म की परिभाषा दूसरी हमें ढूंढनी होगी। धर्म में से इश्वर की परिभाषा को हटा दीजिये तो फिर "धर्म" जैसे शब्द को रखने की आवश्यकता नहीं रहेगी।

On the very face of it.............

श्री **श्रीदास गोयल**—मेरे लायक मित्र ने जो फरमाया है उस सिलसिले में मेरा निवेदन है कि इस बारे में एक मित्र ने वैधानिक आपत्ति उठाई थी कि विधान के अनुसार इस बिल को एडमिट किया जावे या नहीं। यह अवैधानिक हो सकता है। इसके लिये वे कारण ला रहे हैं। इस स्टेज पर तो इस पर मेरा नम्र निवेदन है कि इस दर्मियान धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बातें इस हाउस में नहीं लाई जावें तो अच्छा हो।

श्री **भीमसिंह**—क्या वह स्टेज बाकी है? यह तो स्टेज दूसरी आ चुकी है।

(घंटी)

श्री **उपाध्यक्ष**—Let him speak.

श्री **श्रीदास गोयल**—वह स्टेज अभी आई नहीं है। इसके लिये एडवोकेट जनरल को बुलाया गया है। अगर जैसा कि आप कहते हैं वह स्टेज निकल गई है, तो फिर एडवोकेट जनरल को क्यों बुलाया गया है?

श्री **भीमसिंह**—यह स्टेज और प्रिन्सिपल की स्टेज दोनों साथ साथ चल रही हैं इसलिये मुझे प्रिन्सिपल पर बोलने का ही नहीं, यह भी हक है कि विधान के अनुसार यह रिलीजियस (religious) है या नहीं, यह भी बताऊं।

श्री **उपाध्यक्ष**—(श्री भीमसिंह को संबोन्धित करते हुए)—Yes, you can continue.

श्री **भीमसिंह** (पूर्व भाषण जारी रखते हुए)—तो जब "deity" शब्द आ गया है तो ऐसी हालत में जिसको ईश्वर माना वह धार्मिक तो अवश्य है ही। इसके अलावा अगर यह धार्मिक नहीं होता और खाली पशुओं को मारे जाने से रोकने के लिये ही होता तो यह बिल "deity" के लिये ही पशुबध बन्द करने के लिये नहीं रखा गया होता; बल्कि राजस्थान भर में जिस किसी भी स्थान पर इनका बध होता तो उन सबको रोकने के लिये रखा गया होता। इस दृष्टि से यह सीधा एक जाति के, एक धर्म के मानने वालों के धार्मिक अधिकारों में हस्तक्षेप है। यह "deity" शब्द रखने से साफ प्रकट है कि प्रस्तावक महोदय जान बूझकर एक धर्म के मानने वालों के धार्मिक पूजन में ईश्वर की आराधना करने के मार्ग में बाधा डालना चाहते हैं।

श्री **तेजसिंह**—On a point of order, Sir,

श्री **उपाध्यक्ष**—Let him speak.

श्री **गोपालाल यादव**—इनकी बात तो खतम होने दीजिये। इसके बाद आप जो चाहें कहें। पहले सबकी डिबेट सुनना चाहिये।

श्री **भीमसिंह (जारी)**—अगर यह धार्मिक कृत्यों में रोक करने के लिये नहीं होता तो इसमें "killing" की डेफिनिशन में "deity" शब्द जो लिया गया है वह नहीं लिया गया होता।

[श्री भीमसिंह]

आप "killing" की डेफिनिशन में दूसरे क्लॉज ५ को देखेंगे तो उसमें लिखा है:

"No person shall either sacrifice or cause to be sacrificed any animal or bird at any place of worship or otherwise."

इसमें "worship" शब्द आया है। "worship" आप किस चीज की करते हैं। किसी रेल के इन्जन की तो आप वरशिप नहीं करते, सीखचों या जेलखाने की तो नहीं करते। वर्शिप की जाती है ईश्वर की और उस चीज की जिसको पूजनीय स्थान समझ कर लोग मानते हैं, जिसके लिये यह समझें कि इसकी पूजा करने से मुझे मोक्ष मिलेगा। उसी देवता की वर्शिप समझी जाती है। अगर यह सब धार्मिक कृत्य के लिये नहीं होता, तब तो "place" से मतलब राजस्थान भर में किसी भी स्थान से जिस पर कि जानवरों का कत्ल होता है, होता और इन सारे स्थानों पर जानवरों का काटना निषिद्ध होता।

पर आज उस आदमी को, इस बिल के अनुसार सजा का जुर्म नहीं ठहराया जा सकता जो जानवरों को बूचड़खाने में काटता है। अगर यह बात पास होती है इस बिल द्वारा तो जयपुर में जहां करीब ४०० बकरे रोज कटते हैं बूचड़खानों में वे नहीं कटते। इन कटने वाले जानवरों को आपने रोकने का निर्देश इस बिल में नहीं किया। पर माता के सामने बलि चढ़ाते हैं उसको सजा मिल सकती है, बूचड़खाने में काटने वाले को सजा नहीं मिल सकती। तो इस तरह बूचड़वाले और माताजी वाले कर्म में भेद डाला गया है। इससे साफ जाहिर है कि रिलीजियन (धर्म) में हस्तक्षेप किया गया है। किसी सैक्शन की धार्मिक मान्यताओं में इन्टरफियर किया जाना गलत चीज है। धर्म कार्य में इन्टरफियर करने की यह मंशा नहीं है तो फिर यह क्या है ?

इस क्लाज चार में "sacrifice" और place of worship की डेफिनिशन से साफ मालूम होता है कि यह बिल धार्मिक कृत्यों में हस्तक्षेप करने वाला है। धार्मिक कृत्यों को रोकने की चीज इसमें नहीं है, यह कहना गलत है।

अगर जानवरों को मारने से रोकने का ही लक्ष होता तो जैसा आपने देखा होगा कि वाकई में मद्यनिषेध का जो कानून बना, उसमें शराब at the place of worship पीना सम्मिलित नहीं किया गया है। देवता के नाम पर शराब पीने की छूट दी गई है, हालां कि शराब को पीने की रोक सारे प्रान्त के लिए है।

इसी तरह अगर राजस्थान में जानवरों को मारना सारे स्थानों मे रोका गया होता तो मान सकते थे कि इस बिल की मंशा ही जानवरों को मारने से बचाने की है और अन्य कोई मंशा नहीं है। किन्तु ऐसा है नहीं इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह बिल प्योरली और सिम्पली देवताओं को पूजने वालों और धर्म के रास्तों पर चलने वालों के जो कृत्य हैं उनको रोकने के लिए ही महज लाया गया है।

आगे चलकर जैसे इस बिल के स्टेटमेंट आफ ऑब्जेक्ट्स् एंड रीजन्स में कारण दिये हैं वे भी मैं बता देता हूं:

Page No.66

[श्री भीमसिंह]

एक तो है Humanitarian दूसरा है Eeonomic तीसरा है cruelty to animals और चौथा है to prevent the destruction of the animal wealth by law.

अब हमें यह सोचना है कि क्या इस बिल के पास होने से ये जो चार चीजें जो बताई हैं वे कम हो जावेंगी या रुक जावेंगी ? अगर ये चारों चीजें रुकती हैं तो सहर्ष इसे रखिये और अगर ये चार चीजें नहीं रुकती हैं तो यह बिल केवल ढकोसला मात्र है ।

मैं पहली चीज को लेता हूं ।

वे यह साबित करते हैं कि देवताओं के सामने जानवरों को मारे जाने का कृत्य ह्युमेनिटेरियन नहीं है । इस पर मैं निवेदन करता हूं कि एक देवता या डीटी के सामने इसका बलिदान करना ह्यूमेनिटेरियन नहीं है तो क्या बूचड खाने में इसका कत्ल किया जाना ह्युमेनिटेरियन है ?

एक तरफ जब आप बूचड खानें में कत्ल किया जाना खुला रखते हैं और दूसरी ओर देवी के मन्दिर में मारे जाने को रोकते हैं तो फिर आप ह्युमेनिटेरियन की क्यों दुहाई देते हैं ? अगर ह्युमेनिटेरियन की दुहाई देते हैं तो यह बिल होना चाहिये था इस प्रकार से कि सारी जगह मारा जाना बन्द हो । ऐसी चीज मैं मानता हूं बदनियती से रक्खी गई है । यह सरासर गलत दुहाई है ।

इसके अलावा जो तरीका पशु को मारने में प्रयोग में लाया जाता है वह भी हमें देखना होगा । कौनसा ऐसा तरीका है जिससे पशु के प्राण सबसे आसानी से वगैर उसके महसूस किये निकल सकता है ? बूचडखानों में जो पशु मारे जाते हैं उनके मारने का तरीका होता है हलाल का । राजस्थान में जितने भी सरकार के बूचडखानें हैं उन सब में इसी तरीके से पशु मारे जाते हैं, सिवाय कुछ बूचडखानों को छोड कर जिनमें हमारे इधर कुछ अरसे से शरणार्थी सिख भाई आ गये हैं । इसलिये कुछ दिनों से झटके से मारने का तरीका काम में आने लगा है ।

मैं इन तरीकों की भी व्याख्या कर देना चाहता हूं । हलाल उस तरीके से मारने को कहत हैं जिसमें जानवर को औंधा डालकर काफी देर तक छुरे से रगडते रगडते काटते हैं, जब तक कि उस की गर्दन या प्राण धड से अलग न हो जावें । इससे पशु को अत्यन्त कष्ट होता है । दूसरा तरीका है झटके का इसमें एक ही झटके में जोर से गरदन धड से अलग कर दिया जाता है । मुश्किल से दो चार क्षण इसमें लगते हैं । इससे जानवर को बिलकुल कष्ट नहीं होता और आसानी से प्राण निकल जाते हैं पर हलाल में यह बात नहीं है कि एक ही झटके में कटे । यह जरूरी नहीं है ।

पर बलि के लिये तो यह खास पाबन्दी है कि जिस डिटी के सामने बलि करते हैं वह बलि एक ही झटके में हो । इसकी खास पाबन्दी है । यह धर्म में रुकावट गिनी जाती है अगर एक ही झटके में न कटे तो । ऐसी हालत में यह जरूरी हो जाता है कि इस बलि को मारने के लिये एक ही झटके का प्रयोग हो । इस शब्द का नाम यही बताता है कि झटके से हो । झटका यानी "in one stroke in one sweep the head should be off from the body of the animal." एक सैकिंड भी नहीं

[श्री भीमसिंह]

लगता कि जिससे कि उसके प्राणों को या उसकी आत्मा को धक्का पहुंचे। मैं समझता हूं कि यह झटके का तरीका सबसे ज्यादा साइन्टिफिक और क्विकली, शीघ्रता से प्राण लेने का तरीका है और सबसे ज्यादा ह्युमिनिटेरियन भी है। प्राणी रगड खाते खाते तकलीफ पाता रहे इन बूचडखानों के तरीके से उसको तो आप ह्युमेनिटेरियन मानते हैं और झटके वाले तरीके को अनह्युमेनिटेरियन मानते हैं? (जोर की हंसी) यह डिसक्रिमिनेशन नहीं है तो क्या है? कैसे आप इसको डिफाईन करेंगे इस तरीके से?

तो यह बिल जान बूझ कर देवताओं के सामने जो बलि होती है सिर्फ उसमें रुकावट डालने की नियत से पेश किया गया है।

मेरे बहुत से जैनी भाई इसके लिये कनवैसिंग कर रहे हैं। एक परमार्थिक ट्रस्ट की ओर से दर्जनो चिटिठियां मेरे पास भी आई हैं और सभी माननीय सदस्यों के पास भी आई हैं जिनमें ह्युमेनिटेरियन की दुहाई दी गई है। कुछ मेरे जैन मित्र यहां भी पहुंचे और कहने लगे कि सभी इसका समर्थन कर रहे हैं आप भी इस बिल का समर्थन करने का कष्ट कीजियेगा मैं ने कहा कि मैं तो घोर विरोध करूंगा।

जैसे उनके जैन साधु हैं उनके सिर के एक एक बाल चिमटी से नोंच नोच कर निकाले जाते हैं हैं और उनको बडा कष्ट होता है। उसमें अगर कोई रोएं या आह करे तो न जाने कितन उपवास करने का दन्ड उनको भोगना पड़ता है। तो उनका वह कार्य तो ह्यमेनिटरियन हो गया और वह झटके से एक ही स्ट्रोक में बिना किसी तकलीफ के उसको काट देना अनह्युमेनिटेरियन हुआ?

(करतल ध्वनि)

इसके साथ साथ अभी एक माननीय सदस्य ने नंगी मूर्तियों के बारे में फरमाया था। एक महानुभाव जो नावा कॉन्स्टिट्युएन्सी से आये हैं, जो शायद जैन मतावलम्बी हैं, उनके लिये हम कह सकते हैं कि यह इस समय की चीज नहीं है, मन्दिरों में जो पब्लिक प्लेस मानी जाती है वहां पर जहां सब औरतें और मर्द जाते हैं और उन नंगी मूर्तियों के दर्शन करते हैं क्या इस तरह नंगी मूर्तियों का रखना इस बीसवीं शताब्दी में आप ठीक समझते हैं? क्या इस प्रगतिशील जमाने के अन्दर यह उचित है? अगर उसके लिये कोई बिल लावे तो आपको कैसा लगेगा? आप कहेंगे कि यह हमारे धर्म में रुकावट डालने वाला है, इसको पास न किया जाय। आप जब इसी प्रकार किसी दूसरे के धर्म के प्रति बिल लाते हैं तो क्या यह आपके लिये उचित है।

श्री **खेतसिंह**—कई मेरे मित्र इलोजी की पूजा करते हैं।

श्री **भीमसिंह**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जैन मन्दिरों में जहां नंगी मूर्तियां है वहां पर वे ही लोग जाते हैं जो जैन मत के मानने वाले हैं। इसी तरह जो उस मत के मानने वाले हैं वे ही

[श्री भीमसिंह]
उन मन्दिरों में जायेंगे जिनको उस मत में श्रद्धा हैं। आप इस टेकनीक को मन्जूर करते हैं कि वे ही लोग जायेंगे जिनको उस मत के प्रति श्रद्धा होगी दूसरा नहीं। इसलिये मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि जो उस धर्म के मानने वाले नहीं है उनके लिये कतई वहां स्थान नहीं। अगर हम इस तरह हरेक धर्म में हस्तक्षेप करने लगे तो मुसीबत हो जायगी। अगर मैं किसी मस्जिद में जाकर यह कहने लगूं कि यह वाजिब नहीं है और यह दीवार इस तरह से बननी चाहिये थी, इसमें हमें यह एतराज है इत्यादि; इस तरह मैं यदि उनके धर्म में हस्तक्षेप करने लगूं तो यह मेरे लिये अनुचित है क्योंकि मैं उस धर्म का मानने वाला नहीं हूं। अगर मैं ईसाई मत के खिलाफ यह कहूं कि ईसाइयों के जो गिरजे होते हैं उनमें जो घंटा लगा हुआ है उसकी आवाज से हमें डिस्टर्ब होता है और सन्डे के रोज जो उनकी प्रार्थना होती है, तो यह ठीक नहीं है। वहां होने वाली चीजों पर मुझे भले ही आस्था न हो किन्तु ईसाई मत के मानने वाले इसी तरह ईश्वर की उपासना करते हैं। उनके लिये मेरा कुछ कहना किसी भी हालत में ठीक नहीं माना जा सकता क्योंकि वहां वे ही लोग जायेंगे जो ईसाई मत के मानने वाले होंगे। इसलिये मेरा निवेदन है कि जो कोई भी मूर्ति के दर्शन करने जायगा जो उसको मानता है जो उस मत के अन्दर आस्था रखता हो। यदि हम इन बातों के खिलाफ कोई बिल लाकर इस सदन से पास करवाना चाहें तो यह बेढंगी चीज होगी।

एक माननीय सदस्य ने फरमाया कि लोग अपने आनन्द के लिये, अपने आनन्द और प्रमोद के लिये पशुओं को काटते हैं। मैं तो इसके लिये इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि आमोद और प्रमोद के लिये जितने भी रेस्टॉरेन्ट हैं, उनमें जो मांस चलता है उसको रोकिये। नीरोज़ रेस्टॉरेन्ट में हमारे कई मित्र बड़े आनन्द से जाते हैं और मांस का भक्षण करते हैं (शेम शेम) जब आप रेस्टॉरेन्ट में, जहां मांस बनाया जाता है, रोक नहीं लगा सकते हैं तो फिर वहां पर हम देखते हैं कि कई जैनी भाई भी जाते हैं.........

श्री कस्तूरचन्द——धर्म के नाम पर जो खाते पीते हैं उनके लिये कहा है ?

श्री भीमसिंह——(अपना भाषण जारी रखते हुए) इसके लिये मेरा यह निवेदन है कि इस चीज़ के लिये यह कहना कि यह रूढ़िवाद है, गलत है। मैं खुद मेरे बारे में अर्ज करना चाहता हूं। सब लोगों को विदित होगा कि हम लोग कछवाहा जाति के हैं और ओन दी होल (समस्त) हम मांस खाते हैं।

एक सदस्य——क्या आप कछुए हैं क्या ?

श्री भीमसिंह——कछुए वगैरह तो मिनिस्टर महोदय हैं। हम सब लोग ओन दी होल मांस खाते हैं किन्तु हमारी कुलदेवी, जिसका मन्दिर जमुआ रामगढ़ में है, एक दिन भी बलि नहीं चढ़ी। हम मांस खाते हैं किन्तु जिसको हम अपनी कुल देवी मानते हैं वहां पर इस प्रकार की रूढ़ि पड़ गई है कि जमुआ रामगढ़ के मन्दिर में कभी बलि चढ़ाई गई हो, ऐसी बात नहीं है। हालांकि हम शक्ति को पूजा करते हैं किन्तु हमारी कुलदेवी के मन्दिर में कभी भी बलि नहीं चढ़ाई गई। इसी प्रकार शिला-माता का मन्दिर जो आमेर में है वहां रोजाना बलि चढ़ाई जाती है। वहां पर किसी भी हालत

Page No.69

[श्री भीमसिंह]
में यह रुकने वाली चीज नहीं क्योंकि यह रूढ़ि परम्परा से चली आ रही है। इसके साथ साथ में यह भी निवेदन करूंगा कि जो व्यक्ति इस सब्जेक्ट पर ऑथोरिटी नहीं है अगर वे इस चीज पर कमिट (commit) करे तो वह कैसे माना जा सकता है ? हरेक बात में टेकनीक हुआ करती है। एक केमिस्ट होता है; यदि वह कुछ रिसर्च करने बैठता है और माइक्रोस्कोप को लेकर किसी चीज को अनेलाइज (विश्लेषण) करना चाहता है तो वह कभी इसमें सफल नहीं हो सकता और न उसकी बात इस बारे में कही हुई ऑथेन्टिक (अधिकार पूर्ण) ही मानी जा सकती है; उसके द्वारा कही हुई चीज कतई मानी नहीं जायगी। अगर वह इसी टेकनीक से काम करता रहा तो वह या तो कहेगा कि यह चीज खराब है, यह एक्सपेरीमेन्ट सही नहीं है, इस तरह से वह दवा जिसका वह अनुसन्धान कर रहा है गलत तरीके से कर रहा है क्योंकि वह उसके टेकनिक को सही रूप में नहीं कर सकता, तो उस दवा के बारे में उसकी कही हुई बात कतई सही नहीं मानी जा सकती। आप शक्तिज्म की टेकनिक को फोलो (अनुसरण) नहीं कर सकते क्योंकि आप इसके पुजारी नहीं है। इसलिये आपको इस कार्य में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिये यदि कोई आदमी सुई को लेकर किसी दीवार को तोड़ने का प्रयत्न करे तो वह अपने प्रयत्न में कभी सफल नहीं हो सकता और यदि वह उस टेकनीक को जानता है तो वह संबल या किसी बड़े हथियार को लेकर उसको तोड़ने लगेगा तो वह उसमें अवश्य सफल हो सकता है। इसी तरह कोई केमिस्ट माइक्रोस्कोप को लेकर किसी दवाई को खोज करना चाहे तो वह यही कहेगा कि यह माइक्रोस्कोप खराब है, यह चीज खराब है; लेकिन वास्तव में उसका टेकनिक खराब है। इसी तरह का टेकनिक आप अपना रहे हैं। जो महानुभाव जैन संप्रदाय के अनुयायी है वे शक्तिज्म की टेकनिक को क्या जानें ? न जानते हुए उन्हें इस पर कमिट करने का क्या अधिकार है और यदि वे कमिट करें तो भी उनकी कमिट कभी भी मान्य होने वाला नहीं है उनका यह कमिट करना भूल है। यह तो उनकी एक नादान बच्चे की सी राय के समान है। इस विषय में उनको एक शब्द भी कहना नावाजिब और अनुचित है।

श्री **किशनलाल शाह**—माननीय सदस्य किसी आध्यात्मिक शक्ति की बातें कर रहे हैं।

श्री **भीमसिंह**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) में उस शक्ति का जिक्र कर रहा हूं जो जगत-जननी माता की शक्ति है, जिसको हम सब लोग माता कहते हैं और जिसने सारी सृष्टि को रचा है। मैं उस शक्ति के विषय में नहीं कह रहा हूं जो आपकी शक्ति है।

श्री **कस्तूर चन्द**—आपकी शक्ति की परिभाषा और उसका स्वरूप क्या है ?

श्री **भीमसिंह**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) मुसीबत तो यह है कि एक पक्षी जो रात को चलता फिरता है, जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहता यदि उसको यह पूछा जाय कि सूर्य क्या होता है, या दिन क्या चीज है, यदि इन दोनों विषयों में सूर्य और दिन के संबन्ध में उसकी बात को माना जायगा तो यह एक बचपन और भ्रम है क्योंकि वह तो यह कहेगा कि सूर्य है ही नहीं। हां, उसको चन्द्रमा के विषय में यदि पूछा जाय और उस विषय में यदि वह कोई राय दे तो वह बात म[illegible]ी जा सकती है

[श्री भीमसिंह]

इसलिये मेरा यह निवेदन है कि यह जो प्रश्न आता है कि धर्म आता है या नहीं तो उस संबंध में मैं फिर कह दूं कि धर्म के हिसाब से अपने अलग अलग ग्रन्थ, अलग अलग अपने यहां शास्त्र मौजूद हैं। बहुत से साथियों ने यह फरमाया है, यह मिसाल दी है। मनुस्मृति के बारे में कुछ साहब ने फरमाया है। मुझे दुख इस बात का है कि उन्होंने वह बात किसी श्लोक के आधार पर, किसी मन्त्र के आधार पर नहीं फरमाई है। अगर उन्होंने कोई अध्याय या श्लोक फरमाया होता तो शायद वह चीज देखी जा सकती है। मैं आपको दिखलाऊंगा कि उन्होंने जिन ग्रन्थों की दुहाई दी है मैं उन्हीं ग्रन्थों के उद्धरणों से आपसे अर्ज करूंगा कि उन ग्रन्थों के अन्दर देवता के सामने बलि देना जायज चीज है। वे ग्रन्थ मेरे पास मौजूद हैं। वे देखना चाहें तो देख सकते हैं।

सबसे पहले मैं दुर्गा सप्तशती के बारे में अर्ज करना चाहता हूं। दुर्गा सप्तशती शाक्तों की अधिक ऑथॉरिटेटिव बुक (अधिकृत पुस्तक) अपने यहां मानी गई है। शाक्त धर्म में, हिन्दू धर्म में दुर्गा सप्तशती के मुकाबले में दुर्गा पूजा के बारे में, शक्ति पूजा के बारे में, दूसरा ग्रन्थ नहीं है। इस दुर्गा सप्तशती के अध्याय १२ श्लोक २० के अन्दर यह दिया हुआ है कि देवी की पूजा, बलि से और पुष्प से करनी चाहिये। अगर वे इसको रिफ्यूट करते है तो दुर्गा सप्तशती आपके सामने है। अगर वे चाहते हैं तो उस श्लोक को उसके अन्दर देख सकते हैं। उसी दुर्गा सप्तशती के अन्दर श्लोक २९ के अन्दर यह दिया हुआ है कि जो बलि हो वह मांस से पूर्ण हो, रक्त से सिंचित हो; इस मुताबिक बलि हो। बलि का यह टेकनिक है। लेकिन ब्राह्मण के लिये यह निषिद्ध है। ब्राह्मण के लिये बलि देना मना कर दिया है।

श्री कस्तूरचन्द--यह कौन जानता है कि यह दुर्गा सप्तशती आज का ग्रन्थ है या पुराना ?

श्री भीमसिंह:--यह कहना कि यह दुर्गासप्तशती पुराना है या नहीं अपनी अनभिज्ञता प्रकट करता है। मैंने जो मिसाल दी है यह तो ऐसा ग्रंथ है कि यह सबका माना हुआ ग्रन्थ है। जो इस धर्म के अन्दर आस्था रखता है उसके लिये दुर्गासप्तशती एक महान् ग्रन्थ है। उसमें ब्राह्मण के लिये बलि-पूजा निषिद्ध है, वह ब्राह्मणों के लिय कतई निषिद्ध है।

इसके बाद दूसरे ग्रन्थ के बारे में मैं अर्ज करूंगा कि मेरे कुछ सथियों ने वेदों की दुहाई दी है। मैं आपके सामने यजुर्वेद का यह मूल ग्रन्थ रखता हूं। यजुर्वेद से कोई डिनाई नहीं कर सकता है। उसके अध्याय २३ के मंत्र १५ व १६ में यह दिया हुआ है, पशुबलि का जिक्र करते हुए, कि पशु यह नहीं समझें कि हम नष्ट हो रहे हैं, बल्कि पशुबलि दिये जाने से पशु की मुक्ति होगी, पशु की आत्मा का उद्धार होगा। यह इसके अन्दर यजुर्वेद में मौजूद है।

मेरे एक साथी ने, जो बड़े उच्च बोल रहे हैं, यह कहा था कि जो राम-राज्य और जनसंघ के टिकिट से आया हुआ है, जो हिन्दू महासभा के टिकिट से आया हुआ है वह ऐसी बात कैसे कह सकते हैं ? मैं इसी को साबित करते हुए इसके समर्थन में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यदि आप स्वीकृति देंगे तो हाउस के सामने करपात्रीजी महाराज का एक लेख निकला है उसके कुछ शब्द जो इस अखबार में से

[श्री भीमसिंह]
(समाचार पत्र निकालते हुए) उधृत किये हुए हैं बतलाऊंगा। मुझे आज्ञा दी जाय तो मैं पढ़कर सुनाता हूं। यह मासिक पत्र 'चंडिका' निकलता है प्रयाग से, उसमें से उद्धृत है। काशी में एक हवन हो रहा था। वहां काशी के बडे बडे विद्वान मौजूद थे। जब यह बहस शुरू हो गई तो इस बहस के सिलसिले में मंहत स्वामी अक्षयोपानन्दजी सरस्वती का जो काली मठ काशी के अन्दर है उन्होंने कुछ चीजें कही हैं कि बलि होना बिल्कुल दुरुस्त चीज है। उसके संबंध में स्वामी करपात्रीजी महाराज ने यह फरमाया है कि बलिदान के संबंध में जो प्रवचन श्री स्वामीजी ने किया है वह सारा उपयुक्त है। हमारे शास्त्र इसका समर्थन नहीं करते बल्कि पशुबलि की छोटी बडी पद्धतियां निर्दिष्ट की हैं। बलिदान को छोडकर पशु योनि के पूर्ण उद्धार का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। उसके सिलसिले के किसी जिज्ञासु के यह प्रश्न, जैसा कि शायद मेरे साथी जो उसको नहीं मानते हैं वह भी सोचें कि अपने मां बाप की बलि क्यों नहीं चढा देते, किया, "स्वामीजी महाराज, तब तो हमें अपने पुत्र कलत्र तथा माता पिता की बली देनी चाहिये तो वह सभी इस विधि से सहज में हो जीवन से मुक्त हो जायेंगे।" शायद यह जिज्ञासा मेरे साथियों की भी हो। तो श्री करपात्रीजी महाराज ने फरमाया कि, "नहीं, ऐसा नहीं। मनुष्य के लिये शास्त्रों के आधार पर दूसरा ही मार्ग है। जब यह यज्ञ योगादि करेंगे, तप साधन करेंगे भगवद् भजन करेंगे तो उनका उद्धार होगा। रामनाम का जप पशु नहीं करते हैं, यज्ञ योगादि वे नहीं करते हैं तो उनके उद्धार का मार्ग एक मात्र यही है। जिन्हें यह सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है वह बराबर जीवन मरण करते हैं और पशु योनियों में फिरते रहते हैं।" जिन महानुभावों को यह आशंका है तो रामराज्य के लोग जो यह फरमाते हैं उनके लिये यह चीज अर्ज करनी पडी है। यह माना गया है। खासतौर से आप यह कहें कि आत्मा एक है तो फिर जानवर और आदमी में कोई भेद क्या है। यदि ऐसा है तो पशु और मनुष्य दोनों शब्द ही बेकार हैं। दोनों को आप एक ही डंडे से हांकना चाहते हैं तो फिर पशु नंगे फिरते हैं तो इसका मतलब यह नहीं हुआ कि हम भी नंगे फिरने लग जाय। इसलिये पशु और मनुष्य को एक ही कटेगरी में नहीं रख सकते हैं। मनुष्य के लिये अलग तरीके से मुक्ति की चीजें रखी हुई हैं। पशु यज्ञ वगैरह नहीं कर सकते हैं। मनुष्य की कर्मयोनि है और उनकी भोग योनि है, उनकी कर्म योनि नहीं है। भोग योनि वाले को मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसी हालत में भोग योनि के लिये यह तरीका रखा कि जिससे उनको मुक्ति प्राप्त हो। इसकी पुष्टि के अन्दर जिन मेरे मित्रों ने अभी मनुस्मृति का जिक्र फरमाया था तो उनसे अर्ज करना चाहता हूं कि मनुस्मृति का उन्होंने कोई उद्धरण नहीं दिया। मनुस्मृति के अध्याय ५ के श्लोक ३२ से ३४ में तो यह खुलासा दिया है कि मांस, वगैरे बलि चडाये खाना पाप है। बलि चढाकर खाने में अपराध है तो ऐसी सूरत में मेरे साथियों को कहूंगा कि वे कहेंगे कि सबको मांस खाने में पाप लगता है तो ऐसी हालत में बूचडखाने बन्द हो जाने चाहियें थे तो यह माना जा सकता था कि सब जगह झटका होकर मांस खाने को मिलता और उन पशुओं को स्वर्ग मिलता। मांस खाना निषिद्ध नहीं है, वह आत्मिक कार्य है, यह मनुस्मृति में दिया हुआ है। मेरे साथी मनुस्मृति की दुहाई दे रहे हैं तो इसी मनुस्मृति के अध्याय ५ के श्लोक ४२ में वेदों के बारे में जो हवाला दिया हुआ है वह हवाला मनुस्मृति में भी मिलता है कि जिस पशु की बलि दी जाती है उसकी आत्मा धार्मिक गति को प्राप्त होती है। यह अध्याय ५ के श्लोक ४२ में दिया हुआ है। फिर मेरे साथी यह कैसे कहते हैं कि हिन्दू धर्म के नाम पर ढकोसला करते हुए धर्म की दुहाई देकर इस प्रकार की बातें कहते हैं। मैं समझता

[श्री भीमसिंह]

हूं कि उन्होंने हिन्दू धर्म के ग्रन्थों का अध्ययन नहीं किया है या अधिकतर वे ऐसे लोग हैं जो इस धर्म के अनुयायी नहीं है और इस धर्म से ताल्लुक नहीं रखते हैं। उनके सामने इस तरह की बातें करना भैंस के आगे मृदंग बजाने के माफिक है। मैं अर्ज करूंगा कि जिस रामायण की वे दुहाई देते हैं और रामचन्द्रजी को मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं उन्हीं की रामायण में अश्वमेघ यज्ञ करने का जिक्र आता है। मैं रामायण में से एक उदाहरण और आपके सामने रखना चाहता हूं। बाल्मीकि रामायण के अयोध्या काण्ड के सर्ग ५६ के श्लोक १९ से ३२ तक में यह कहा गया है कि जिस समय रामचन्द्रजी और लक्ष्मणजी बनवास में थे उस समय उनको एक कुटी बनाने की आवश्यकता पड गई थी। रामचन्द्रजी ने लक्ष्मणजी को कुटी बनाने का हुक्म दिया। कुटी बन गई पर कुटी में रहने से पहले रामचन्द्रजी ने कहा कि अब इसके लिये हवन करना चाहिये और देवताओं को तृप्त करना चाहिये, इसके बाद ही उस कुटी में रहना उचित होगा इसलिये उन्होंने लक्ष्मणजी को आज्ञा दी कि तुम एक मृग मारकर लाओ ताकि हम उसकी बलि चढावें। उसके बाद लक्ष्मणजी एक मृग को मारकर लाये और रामचन्द्रजी ने उनसे कहा कि तुम इसको पकाकर तैयार कराओ। लक्ष्मणजी ने उसको पकवाकर तैयार करवाया और कहा कि अब शुभ मुहुर्त है। इस शुभ मुहुर्त में बलि चढाओ और देवताओं को तृप्त करो। जब रामचन्द्रजी जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम जिनको कि हरेक हिन्दू एक बडा आदर्श अवतार मानते हैं, ने ऐसा किया तो आप कैसे कह सकते हैं कि बलि देना धर्म नहीं है। यदि आप रामायण की दुहाई देते हैं तो आपको रामायण म वर्णित बात भी माननी पडेगी। मैंने दो पोइन्ट ह्युमेनिटेरियन और रिलीजियस आस्पेक्ट्स के बारे में बतलाये।

अब मैं इकोनोमिक आस्पेक्ट के बारे में कुछ कहूंगा। यदि वे इस बिल के इकोनोमिक आस्पेक्ट की दुहाई से पास कराना चाहते हैं तो मैं अर्ज करूंगा कि यह एक वाहियात बात है। एक तरफ तो नेहरूजी कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मांस खाओ क्योंकि देश में अन्न की कमी है....

श्री **खेतसिंह**--आलू खाओ।

श्री **भीमसिंह**--हां, आलू भी खा सकते हैं, पर इकोनोमी बलि रोकने से नहीं होगी। यदि आप सभी बूचडखानों को रोकेंगे तो फिर भी बात है।

श्री **किशनलाल शाह**--मेरा खयाल है कि इसमें वर्ड "sacrifice" है।

श्री **भीमसिंह**--मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य बिल को बिना पढ़े ही बोलने को खड़े हो जाते हैं। यदि आप इसके ओब्जेक्ट्स और रीजन्स को देखें तो उसमें लिखा है कि " This practice is most undesirable from both the points of view-humanitarian as well as economic" स्टेट मेन्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एण्ड रीजन्स में "economic" शब्द है तो फिर आप कैसे फरमाते है।

श्री **खेतसिंह**--उनके चश्मा लगा हुआ है।

Page No.73

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—और वह भी काला ।

श्री भीमसिंह (भाषण जारी रखते हुए)—मैं यह समझता हूं कि यदि जयपुर में शिला माता के मन्दिर में साल में एक बकरा मरता है या मान लीजिये कि रोजाना एक बकरा मारा जाता है तो वह यहां की इकोनोमी को कैसे इफेक्ट करेगी जब कि यहां के बूचडखाने में रोजाना चार सौ बकरों के मारे जाने की औसत आती है । यदि आप नहीं मानते हैं तो आप बूचडखाने के इन्चार्ज से जाकर पूछिये कि कितने बकरे कल मारे गये थे । यदि आप इसका डेटा (data) इकट्ठा करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि यह बलि इकोनोमी को किस कदर खराब करती है । बकरा किस काम में आता है ? क्या बकरे पर सामान लादा जा सकता है या बकरा किसी गाड़ी में जोता जाता है या उससे हल चलाया जाता है । ऊंटों और बैलों पर तो सामान भी लादा जाता है । वे गाड़ियों में भी जोते जाते हैं, हल चलाने के काम भी आते हैं और सवारी के काम भी आते हैं पर बकरों पर सामान लादते नहीं देखा और न बकरों से हल ही चलाये जाते हैं तथा बकरों पर सवारी भी नहीं हो सकती । यदि नावा में होती होगी, तो पता नहीं । यदि वे बकरियों का सवाल करते तो अलग बात थी लेकिन बलि तो होती है बकरों की, न कि बकरियों की । यह केवल बकरों के बलिदान का प्रश्न है । ऐसी हालत में प्रान्त की इकोनोमी किस कदर बिगड़ जायगी, यह समझ में नहीं आया । इसके विपरीत यदि बकरों को काटा नहीं गया तो राजस्थान की इकोनोमी पर असर पड़ सकता है । यह एक डेसक्टिव जानवर है । यदि ऐसा नहीं होता तो फोरेस्ट में गाय भैंस के लिये चरने की मनाही नहीं है फिर भेड़ बकरी के लिये मनाही क्यों है ? उनको मनाही करने का कारण यह है कि भेड़-बकरी पौधों को खाते हैं और उनको नष्ट करते हैं । राजस्थान में वैसे ही रेगिस्तान है और फिर भेड़-बकरियों और मींढ़ों को नहीं मारा जायगा तब तो ये सारे जंगल को चौपट ही कर देंगे । ऐसी हालत में बकरों को जिन्दा रखने का प्रोत्साहन देना ज्यादा डेट्रीमेन्टल (detrimental) होगा । जैसे आस्ट्रेलिया वाले पहिले खरगोशों को पालते थे ; आज वे ही खरगोश कल्टीवेशन के लिये थ्रेट (भय) पैदा कर रहे हैं । इसलिये यदि बकरों को नहीं मारा गया तो यह चीज इकोनोमी को खराब करने वाली सिद्ध होगी । बकरियों को मारने का सवाल राजस्थान में पैदा नहीं होता । ऐसी सूरत में इन बकरों को रखने से इकोनोमी को कैसे फायदा होगा, यह समझ में नहीं आया ।

तीसरी बात आपने क्रुएल्टी टू एनिमल्स (cruelty to animals) के बारे में फरमाई । इस बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं कि हमारे यहां झटका किया जाता है और इसमें क्रुएल्टी (अत्याचार) नहीं है । इससे जानवर जल्दी मर जाता है । हलाल क्रुएल्टी है । श्री बक्संसिहजी ने जो एमेन्डमेन्ट रखा था वह इस सूरत में रखा था कि अगर किसी एनिमल के प्रति क्रुएल्टी होती है तो क्रुएल्टी करने वाले को सजा हो सकती है । यदि वह इस कानून के अन्दर आता है तो किस प्रकार आप दुहाई दे सकते हैं ?

चौथी बात यह है कि यह डेस्ट्रक्शन ओफ एनिमल वेल्थ कैसे है? यह मेरे समझ में नहीं आता । बकरों को पालने वालों को पैसा बकरों की कटाई के रूप में ही मिलता है । जो कसाई बकरों का गिरोह रखते हैं यदि वे बकरों को नहीं बेचें तो राजस्थान में जितना चमड़ा एक्सपोर्ट होता है और राजस्थान

सरकार को जितनी एक्सपोर्ट ड्युटी मिलती है वह ड्युटी राजस्थान सरकार को मिलने वाली नहीं है। यदि आप प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं तो पहले यह बताइये कि जितने बकरों के गिरोह हैं उनकी युटिलिटी क्या है ? यदि कोई साहब बकरों की यूटीलिटी काटने और खाने के सिवाय अन्य किसी तरह की बतायेंगे तो मैं मान लूंगा कि इन्हें नहीं काटा जाय। यदि इस बिल को पास कर दिया जाता है तो बकरों का काटा जाना रुक जाता है और उससे हमको बहुत नुक्सान होगा। यह बिल महज बकरों की या एनिमल्स की कुरल्टी के लिये नहीं लाया गया है; महज इकोनोमी के लिये नहीं लाया गया है बल्कि यह बलि को धर्म मानने वाले शक्ति के उपासकों पर आघात करने के लिये और उनकी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने के लिए लाया गया है और ऐसी हालत में यह धर्म पर हस्तक्षेप है। ऐसी सूरत में मैं सबसे निवेदन करूंगा कि इस बिल का विरोध करें।

श्री श्रीदास गोयल—अध्यक्ष महोदय, अभी अभी माननीय मित्र ने पशु-बलि के बिल के संबंध में कॉस्टिट्युशनल डिफिकल्टी (Constitutional difficulty) को सबसे अधिक प्रेस करने का प्रयत्न किया है। मुझे अर्ज यह करना है कि कॉस्टिट्युशनल डिफिकल्टी (वैधानिक कठिनाई) को ध्यान में रखते हुए यदि यह सोचते कि वह किस प्रकार की डिफिकल्टी है, जो कॉन्स्टिट्युशन से वर्जित है और सिस्टर स्टेट्स में बने कानूनों को देखते तो उनको ऐसी डिफिकल्टी मालूम नहीं होती और एडवोकेट जनरल की राय लेने की आवश्यकता नहीं मालूम पड़ती।

गौ-वध मुस्लिम धर्म के माफिक कुर्बानी मानी जाती है और हमारे राजस्थान की पुरानी रियासत टोंक में गौ-वध होता था जिसका हमारे बहुत से मित्र, जिनमें से हमारे पूर्व भाषण देने वाले मित्र हैं, विरोध करते थे। इस बात की प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश आदि में मुसलमानों ने, गौ वध से हमारे दूसरे भाइयों को ठेस पहुंचती है इसलिये हमारा खयाल रखते हुए, गौ वध बन्द कर दिया। पर सेन्टर के सामने यह प्रश्न गया तो कहा गया कि यह प्रोविन्शियल लेजिस्लेचर का प्रश्न है। यदि म्युनिसिपेलिटीज और विधान सभायें चाहें तो ऐसा बिल ला सकती हैं। यहां राजस्थान में ही कई म्युनिसिपेलिटियों ने गौ वध बन्द कर दिया है, तो यह दलील कि इस बिल से धर्म पर आघात पहुंचता है, यह गलत है। मैं अर्ज करूंगा कि कॉन्स्टिट्युशन की धारा २५ में दिये गये एक शब्द पर मेरे मित्र गौर से विचार करेंगे और अच्छी तरह दुबारा समझेंगे तो उन्हें महसूस होगा कि कॉन्स्टिट्युशन में इस प्रकार का बिल लाने के लिये कोई मुमानियत नहीं है।

इसके साथ साथ दूसरी अहम चीज कि आया यह बिल समाज के लिये हितकर है या नहीं, इस बारे में मैं आपके सामने अर्ज करूंगा। सबसे पहले हमें अपने देश के सिद्धान्तों को देखना है, मनुष्य किस प्रकार धीरे धीरे उन्नति करता आया है उसको देखना है। आज के मनुष्य-समाज ने पहले के मनुष्यों से कितनी तरक्की की है। पहले के मनुष्य पत्थरों के हथियार बना कर पशु हत्या करके अपना उदर-पोषण करते थे और पशुओं को अपने निर्वाह के लिये मार देते थे। इसके बाद मनुष्य ने धीरे धीरे ज्यादा इन्सानियत के रास्ते अपनाये, काश्त करके और तरह तरह के खाद्यान्न उपजा कर अपना भरण-पोषण करना शुरु किया और आज इंसान इतनी उन्नति पर आ गया है और विज्ञान के द्वारा इतनी तरक्की

[श्री श्रीदास गोयल]

की है कि पहले भगवान राम के जमाने में एक पुष्पक विमान का जिक्र आता है पर आज विज्ञान के जमाने में एक पुष्पक विमान तो क्या सारे संसार में विमान ही विमान घूम रहे हैं।

इस सिलसिले में मैं मेरे मित्र से अनुरोध करूंगा कि वे इस चीज पर विचार करें कि वह बार्बेरिज्म (Barbarism) का जमाना था। जब मनुष्य पिछड़ा हुआ था और एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को पेट की भूख दूर करने के लिये मार दिया करता था। क्या मेरे मित्र आज वही जमाना वापिस लाना चाहते हैं ?

आप कहते हैं कि पशुओं को मुक्ति दिलाने के लिये माता के सामने बलि चढ़ाते हैं, बड़ा धन्यवाद है। पर वह माता जिसके लिये गीता, पुराण और वेदों ने कहा है कि जो प्राणी मात्र में विराजमान है और जो लोक-कल्याण के लिये बार बार अवतार ग्रहण करते हैं वही पारब्रह्म परमेश्वर माता है। उनको खुश करने के लिये जानवरों की बलि करते हैं तो इस दलील के लिये कोई रजामन्द नहीं।

अब मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सेक्रिफाइसेज के पीछे क्या इतिहास है ? हमारे संसार में जीवित रहने के लिये हमारे लिये यह आवश्यक है कि हम मार्शल रहें और वह तभी हो सकता है कि जब हमारी भुजाओं में बल हो, हमारे दिल और दिमाग मजबूत हों, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हमारे दिल में दया नहीं आजावे। यही कारण था बलि के पीछे, जैसा कि अभी मेरे मित्र ने कहा कि मुसलमान अजीब तरीके से पशु कुर्बानी करते हैं--पशु को मारते हैं और उससे इन्सान ज्यादा क्रूर हो जाता है। एक प्राणी चिल्लाता है पर वह धीरे धीरे छुरी चलाता है और इसी तरह वह मार्शल रेस (martial race) बनने में सफल हो जाते हैं।

भारतवर्ष में तो एक अद्‌भुत प्रणाली यह भी चली आई है कि एक चीज को समाज के लिये उपयोगी जानते गये तो उसकी कमजोरी के कारण धर्म में स्थान देने लगे, उस समाज में उसे इन्ट्रोड्युस कर दिया। वाम मार्गियों ने धर्म के नाम पर क्या क्या किया है, वह श्लोक में आपको सुनाऊं तो एक-दो श्लोक तो इतने अश्लील हैं कि उनको भले आदमियों के कान पर पहुंचना तक ठीक नहीं। देव-दासियों की प्रथा उन्होंने प्रचलित की, जिसे उड़ीसा सरकार ने हटाया है। श्री जगन्नाथजी के मन्दिर में जो चार पवित्र तीर्थ स्थानों में से एक है जहां लाखों करोड़ों की तादाद में हम लोग दर्शनों के लिये जाते हैं वहां वाम मार्गियों द्वारा नग्न मूर्तियां रख दी गई थीं जो देखने मात्र से अजीब भावना पैदा करने वाली थीं। उन तमाम चित्रों को खत्म करने के लिये अब इन पर कपड़ा ढक दिया गया है।

तो इस तरह हमें खुद को देखना है कि हमारे समाज के हित में कोई चीज है तो हम स्वयं उसका स्वागत करें जिस प्रकार कि गौ-हत्या को रोकने का कई मित्रों ने स्वयं स्वागत किया है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस प्रकार की जो चीज आ रही है उसको आप स्वीकार करें, बाधक नहीं बनें। हमारे यहां कई जागीरदार मित्र जो बलि करते थे और समाज के आदमियों ने जब उनसे जाकर कहा तो उन्होंने स्वतः ही इस प्रकार की बलि को बन्द कर दिया।

[श्री श्रीदास गोयल]

हमारे देश में तो किसी जमाने में नर-बलि भी होती थी। चन्द्रहास का किस्सा तो आपको अच्छी तरह मालूम है। किस तरह से उसको ले जाया गया था, किस तरह से उसको बचाया। इस प्रकार बलि के पक्ष में जो दलीलें दी जाती हैं वे वास्तव में स्वस्थ नहीं हैं और मैं यही कहूंगा कि सभी लोग बलि नहीं देते। बहुत से लोगों ने पशु-बलि बन्द कर भी दी है।

अभी हमारे मित्र ने इसके साथ साथ बहुत सी बातें कहीं और उनके साथ साथ इकोनोमिकल पोइन्ट ओफ व्यू का भी जिक्र किया। इसके बारे में मैं दो बातें कहूंगा। यदि आप मार्शल रेस बने रहने के लिये मांस खाते हैं और बलि देते हैं तो मैं यह अर्ज करूंगा कि आप दूसरी चीजों से अपने आपको मजबूत बनाइये। लेकिन आप यह नहीं कह सकते कि धर्म के नाम पर बलि की जाय या दुर्गाजी के नामपर या उनके मंदिर में हम जाते हैं और वहां पर बलि करते हैं। दुर्गा के मंदिर में दूसरे लोग भी दर्शन के लिये आते हैं और वहां मंदिर में आकर अपनी आत्मा-शुद्धि करते हैं, मगर जब वे दर्शन के लिये आते हैं और बकरा चढाया हुआ देखते हैं तो उनके सामने आत्म-शुद्धि के स्थान पर दूसरा ही दृश्य नजर आता है, वे लोग भी वहां से वापिस लौटते हैं। मैं यह निवेदन करूंगा कि धर्म की दुहाई देकर इस प्रकार की बलियां वाजिब नहीं और खास तौर से ऐसी परिस्थति में जब कि आत्मा की खुराक के लिये जो हमें मिलना चाहिये नहीं मिलता और वहां पर लोग पेट की खुराक के लिये प्रयत्नशील हैं।

इसके साथ साथ मैं वेद व्यासजी ने, जिन्होंने १८ पुराण बनाये हैं जो हमारे रूल आफ प्रोसीजर में हैं, भी शिव पुराण में स्पष्टतया इसके विरोध में लिखा है। कि आपने बालमीकि रामायण के श्लोकों के विषय में कहा। मैं यह कहूंगा कि संस्कृत भाषा में अपूर्व शक्ति है। उसके कई तरह के मतलब निकाले जा सकते हैं। महात्माजी कहते हैं कि "English Language is treacherous" बाल्मिकि के कोटेशन्स को समझने में कई अर्थ हो सकते हैं। आप तुलसीदासजी की रामायण को देखिये वाल्मिकि के समय में तो संसार इतना उन्नति के शिखर पर नहीं था। पर तुलसीदासजी की भावनाओं को जरा देखिये। उन्होंने लिखा है कि "पशु-पक्षी कहीं भी हों, हम उनको नमस्कार करते हैं" आप धर्म के साथ दूसरी बातों को मिलाकर दुर्गमाता के सामने बलि चढाते हैं। वास्तव में माताजी की यह बलि नहीं है।

आपने कसाईखाना और दूसरी चीजों से इस बिल को मिलाया, यह बिल्कुल उचित नहीं। मंदिर और रामगंज बाजार की बराबरी नहीं हो सकती। कसाई खाने में जरूर बकरे मारे जाते हैं, मगर मंदिर में जहां भजन के द्वारा लोगों को अपनी आत्मा की उन्नति करने का अधिकार है और वहां धर्म के नाम पर बलियें करना आप कायम रखें तो यह आत्मा की खुराक को नष्ट कर पेट की खुराक से खेलना है। अतः मैं यह कहूंगा कि इस बिल के द्वारा इसको रोका जाना उचित है।

श्री [illegible]पीलाल यादव—माननीय उपाध्यक्ष, एडवोकेट जनरल कुछ कहें उसके पहले यदि आप मुझे इस पर कुछ बोलने की इजाजत दें तो ठीक होगा। मैं इस पर कुछ कहना चाहता हूं।

श्री जसवन्त सिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ आर्डर, सर, आप पहले बोल चुके हैं और अब दुबारा बोल कर अपना आगे बोलने का जो हक है उसको क्या आप छोड़ना चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष—Let the Advocate-General speak on the legal implications, whether the Bill is according to the Constitution, and whether we can proceed with this or not. We want his advice on this legal issue.

श्री कृपाशंकर हजेला (एडवोकेट जनरल)—Mr. Deputy Speaker, Sir, I shall confine myself only to the legal aspect of the matter as related to the Constitution of India. I am not concerned with its religious aspect nor shall I give vent to my personal feelings in the matter.

So far as the Constitution is concerned, the matter is dealt with in article 25 of the Constitution, which lays down the provision with regard to right to freedom of religion. It is worthwhile just reading it out. It says :—

"(1) Subject to public order, morality and health and to the other provisions of this Part, all persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propogate religion.

(2) Nothing in this article shall affect the operation of any existing law or prevent the State from making any law—

(*a*) regulating or restricting any economic, financial, political or other secular activity which may be associated with religious practice ;

(*b*) providing for social welfare and reform or the throwing open of Hindu religious institutions of a public character to all classes and sections of Hindus."

So far as the freedom of religious belief is concerned, according to one's religious conscience there is perfect freedom. The only limitation is with regard to public morality, public order and health. If the practice of religious belief or religious professions overrides the interests of the society, if it affects public order or public morality, certainly the State has got the right to come in and stop such practices. What we have to consider here is whether this practice comes within those limitations or not. The question here is not whether it is a right, religious belief or a wrong religious belief. The discussions which have been going on for some time were directed mainly to the consideration of this aspect of the question and references were quoted from Tulsidas' Ramayana, Puranas, Shastras and other religious scripts to that end. We are not concerned with it. There is no doubt that people have been believing in it that they should be entitled to offer sacrifices in the name of their religious beliefs. Here the thing to be seen is whether we invoke the operation of Article 25, the restrictions contained in it, when we consider the question of the sacrifices offered in the name of religion.

Now remains the question whether this is an accepted profession in India or in some classes of people to make sacrifices on the occassions of worship in temples and at other places, and whether we can stop it by legislation or not.

[श्री कृपाशंकर हजेला (ए. ज.)]

The only limitation that I have already submitted to you is with regard to public morality and public order, i.e., peace of the society, and health and nothing else. It does not affect the proposed legislation. I respectfully submit that it does not, of course, at all relate to disturbance of public peace or public morality, and it would be a contradiction in terms not to allow on the grounds of public morality sacrifices in temples and destruction of life of the same animals and birds elsewhere. It would be discrimination. I make the point clear. When we allow that this destruction of life of animals and birds is permissible in places outside temples and it is not permissible in temples or in places of worship, it is a discrimination and we cannot invoke the operation of public order or morality. If the destruction of life in temples is to be prohibited, it should be prohibited elsewhere also.

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष पदाशीन)

So far as this aspect of the matter is concerned, the preamble of the Bill says: "whereas it is expedient to provide for the prohibition of animal and bird sacrifices in connection with certain places of worship or in the name of certain deities or otherwise." Had it been that "where as it is necessary in the interests of the economic grounds, economic considerations or for purposes of social reforms.." then it would have been justified or possible to legislate on the subject and such a legislation would come within the purview of Article 25(2). If the Bill seeks merely to prohibit sacrifices at places of worship, then it is most arbitrary and trans-gresses the relevant provisions of the Constitution. Whatever my personal views in the matter, I respectfully submit that this Bill goes against the provisions of Article 25, if it prohibits sacrifices only at certain places of worship and exempts other forms of destruction of life. If the Bill related to destruction of life as such it was a different matter.

I do not say that this legislature is not competent to legislate on the subject. But if you desire to legislate, then it should be done on economic grounds, on grounds of general morality and on grounds of social reform. Reference has been made to the practice of Devadasi and other things. These things come within social reforms. Prohibition of sacrifices in places of worship does not come within social reform. Even if it does, it should be justified on the grounds of economic or social reform. If you allow destruction of life elsewhere and prohibit it only in the temples and places of worship then it is a discrimination,—a discrimination against the sprit of the provisions of Article 25. That is all I have got to submit before you.

Now one thing more I will like to submit. So far as the statement of Objects and Reasons of this Bill is concerned, it is said here, "it is, therefore, the duty of the society to stop cruelty to animals as well as to prevent the destruction of the animal wealth by law." I have already said that prevention of destruction of animal wealth would also take us to prohibit such destruction not only at the places of worship but at other places also. I do not want to enter into the discu-ssions on this aspect of the matter, but as the Hon'ble Shri Bhim Singhji has, with his great wealth of learning and research has elaborately pointed out that so far as destruction of goats is concerned, it is absolutely no economic loss to the State, rather it adds to the economic prosperity of the country. But I am not going to enter into that aspect of the matter. I would only suggest that to allow destruction of animal life at other places would mean a transgression of the provisions of Article 25. I have considered neither on economic grounds, and claim that this Bill be passed, nor on grounds of seial reform and I say that the Bill

Page No.79

[श्री कृपाशंकर हजेला (ए. ज.)]
should be passed; Nor do I suggest that such sacrifices offend against or override the interests of the society, so fas as the considerations of general morality are concerned. Unless you bring this measure within the four-corners of this requirement, these exceptions which are given in Article 25, constitutionally this Bill I do not think can be supported and it transgresses the spirit of the provisions of Article 25. That is all I have got to submit.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष . . .

श्री जसवन्तसिंह—Before this I would like to know whether he wants to reply to the debate; otherwise, as mover of the Bill, he loses his right of reply? Wether the debate has been closed?

श्री अध्यक्ष—I think it is the end of the debate. Yes, Shri Yadav.

श्री गोपीलाल यादव—If the debate continues, I will like to reply afterwards. But I want to reply on the point given by the Advocate-General.

एक सदस्य—Sir, how the debate can continue?

श्री जसवन्तसिंह—On the constitutional issue, the learned Advocate-General has unequivocally told us that it violates the provisions of the Constitution and as such I do not know whether this House is competent to proceed with this Bill.

श्री गोपीलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, एडवोकेट जनरल की राय एक लॉ (law) के एक्सपर्ट की तरह सुनने का हमको हक है और उसको सुनने के बाद अपनी राय बनाना यह हमारा अलग काम है और हमें यह देखना है कि एडवोकेट जनरल ने जो राय दी है वह सही है या गलत है। एडवोकेट जनरल के नाते उनकी राय सही ही हो, यह नहीं माना जा सकता है क्योंकि वह सही भी हो सकती है और गलत भी, इस पर पूरी तरह से विचार करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि नोन एक्सेप्टेन्स पर जो बहस चल रही है वह चलनी चाहिये और इस पोइन्ट पर और कोई साहब बोलना चाहें तो बोल सकते हैं उसके बाद में उसका जवाब दूं। इस एक चीज का फैसला हो जाय तो अच्छा है। नहीं तो फिर आपकी जैसी मर्जी।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—Sir, the debate is on the principles of the Bill and it covers the provisions of the Constitution as well as other aspects. So the debate should be open generally and after everybody has spoken Mr. Yadav can give his reply.

श्री अध्यक्ष—(श्री श्रीदास गोयल की ओर देख कर) — Do you want to make a speech ?

श्री श्रीदास गोयल—I have already spoken.

श्री रूपनारायण शास्त्री—अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस संबंध में बोलना चाहूंगा ।

श्री अध्यक्ष —आप भी इस पर व्याख्यान देंगे ?

(विराम)

जो एडवोकेट जनरल ने राय दी है उसके बारे में माननीय सदस्यों को कानूनी पहलुओं के बारे में दूसरे तरीके से अपना दृष्टिकोण रखने का अधिकार तो है और उसके लिए मैं समझता हूं कि यह सदन जब दूसरी बार मिले तो उस समय एडवोकेट जनरल रहें और इस विषय पर और अध्ययन करके इस कानूनी पहलू पर विचार करें। यह बहस जिस स्टेज पर है नेक्स्ट सेशन, जो अगस्त महीने के आस पास होगा, आगे चल सकेगी ।

श्री मथुरादास माथुर—By then we would be able to form our opinion.

श्री अध्यक्ष— Shri Mohanlal Sukhadia

श्री श्रीदास गोयल—Why should it not continue to-morrow ?

श्री अध्यक्ष This is the only business with us. There is no other work. If we meet for one day more it means considerable expenses on the Government. I think we shall discuss this when we meet in August or so.

राजस्थान उत्पाद भाटक नियामक (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १६५३

श्री मोहनलाल सुखाडिया–Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the Bill to amend the Rajasthan produce Rents Regulating Act, 1951, be taken into consideration.

श्री रघुराजसिंह–Sir, I object to its being taken for consideration according to the Rules of procedure.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि इस पर विचार करने के लिये १२।। बजे का समय रखा गया था । इस बीच में मैंने जो कुछ बातें माननीय सदस्यों से मुझे करनी थी वह मैंने कर ली है और उन्होंने मुझे कह दिया है कि इस बिल के महत्व को देखते हुए उसको विचारार्थ आज ही ले लिया जायेगा । मैं हाउस से निवेदन करूंगा कि किसी टेकनिकल पोइन्ट पर विचार न करके इसको विचारार्थ ले लिया जाय ।

Page No.81

श्री अध्यक्ष—Do you appeal to their good sense ?

श्री रघुराजसिंह—Otherwise my objection prevails.

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़)—अध्यक्ष महोदय इस बिल पर बोलने से पहले में यह निवेदन करूंगा कि हमको इस बिल की कॉपी आज ही टेबल पर मिली है और इससे पहले हमें सूचना भी नहीं मिली। यह बड़ा अन्यायपूर्ण हो जाता है। माननीय मन्त्रीजी ने लाबी में जो बातचीत कर ली है तो वह हम पर लागू नहीं होती है।

श्री अध्यक्ष—And I also refuse to take notice of that.

श्री हरलालसिंह—मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस बिल को भी नेक्स्ट सेशन में लिया जाय और इसको सिलेक्ट कमेटी में रेफर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—दूसरा मोशन जो मेरे पास यह आया है, श्री भैरूंसिंहजी का :—

"That the Rajasthan produce Rents Regulating (Second Amendment Bill be referred to a Selection Committee."

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—इसी रोज लिया जावे तो मैं इस पक्ष में था।

श्री अध्यक्ष—It is the right of the Hon'ble Members to press for mature Consideration of the Bill and I cannot just rush through. It is the privilege of the Members.

श्री श्रीदास गोयल—यह दुरुस्त फरमाया कि इस पर पूरे विचार के लिये समय दिया जाना चाहिये। प्रेक्टिकल प्वाइन्ट ऑफ़ व्यू से कोई फ़रक पड़ने वाला नहीं है, पर इस तरह से न जाकर कुछ समय दिया जाना उचित होगा और इससे कन्वेन्शन अच्छा होगा। वैसे यह छोटा सा बिल है और सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दें और इतने टाइम के लिये लंबा कर दें तो अच्छा है। यह अगर उचित न समझें तो इसे कन्सिडर किया जा सकता है।

श्री मानसिंह (जमुवा रामगढ़)—हमें इस पर विचार करना तो अवश्य ही है। आज हाउस में आने के बाद यह हम पर छोड़ा जावे कि यह एक्सेप्ट किया जावे या नहीं। यह तो हमारे प्रिविलेज का सवाल है। यहां आकर जहां प्रिविलेज का सवाल पैदा होता है हमें इसे डिफ़ेन्ड करना ही होगा।

राजस्थान भू-धारण विधेयक

श्री अध्यक्ष—I announce the list of the Members of the Select Committee on the Rajasthan Tenancy Bill:—

1. Minister in Charge.
2. Shri Ram ji Lal Yadav.
3. Shri Sridas Goel.
4. Shri Harlal Singh.

[श्री अध्यक्ष]

5. Shri Sohan Lal.
6. Shri Roshan Lal.
7. Shri Mathura Das.
8. Shri Nathu Ram Mirdha.
9. Shri B. N.. Joshi.
10. Shri Gurudayal Singh.
11. Shri Khet Singh.
12. Shri Jaswant Singh.
13. Shri Himmat Singh.
14. Shri Lal Singh.
15. Shri Bhairon Singh of Khejarla.
16. Shri Bhim Singh.
17. Shri Shambhu Singh.
18. Shri Sheodan Singh.
19. Shri Jawan Singh.
20. Shri Sajjan Singh.
21. Shri Gopi Lal Yadav.
22. Shri Balbir Singh.
23. Shri Vedpal Tyagi.
24. Shri Tejpal, and
25. The Advocate-General. The Member in charge will be the Chairman.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—No, Sir. The Deputy Speaker will be the Chairman.

श्री अध्यक्ष—Yes, he will be the Chairman.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—अध्यक्ष महोदय, इसमें १५ नामों से ज्यादा है। इसलिये इस पर सदन की स्वीकृति लिया जाना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष—I think this is an important Bill on the Tenancy Law and when I say this I think it is the leave of the House.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

राजस्थान उदार भाटक नियामक (द्वितीय संशोधन) विधेयक १९५३

Then what about the Select Committee motion.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (राजस्व मंत्री)—I just submit the names, Sir.

Page No.83

श्री माधवप्रसाद एन. पंडित—पब्लिक ट्रस्ट बिल को पब्लिक ओपीनियन जानने के लिये भेजा जावे यह मेरा निवेदन है ।

श्री अध्यक्ष—वह तो आज इन्ट्रोड्यूस ही हुआ है । जब सब मेम्बरों को कॉपियां मिल जावेंगी और इसके बाद जब कन्सिड्रेशन की स्टेज पर वह आयेगा तब यह मोशन होगा ।

(विराम)

The question is that the Rajasthan produce Rents Regulating Amendment Bill be referred to a Select Committee, the names of the members are:—

1. Minister in Charge.
2. Shri Moti Ram Chowdhry.
3. Shri Udailal Vardia.
4. Shri Moti Lal Jain.
5. Shri Chhotu Singh.
6. Shri Bhagwan Singh Tarangi.
7. Shri Hazari Lal Sharma.
8. Shri Kesri Singh of Bundi.
9. Shri Jagat Singh.
10. Shri Tej Singh, and
11. Shri Bhairon Singh Kelva.

(स्वीकृत)

The motion is adopted.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—There is an amendment to my motion, sir.

राजस्थान भू-धारण विधेयक

In the select committee on Tenancy Bill the name of Shri Devi Singh should be substituted for Shri Bhim Singh.

श्री अध्यक्ष—Is it the leave of the house ?

(स्वीकृत)

In place of Shri Bhim Singh, Shri Devi Singh will be in the Select Committee.

(विराम)

श्री अध्यक्ष—What about the time limit for the report? Two months?

श्री जसवन्तसिंह—I understand that they have decided by mistake to submit the report a week before we meet i.e. in the next session.

Page No.84

श्री अध्यक्ष— Yes, it should be within a week after we meet.

Is it the leave of the house.

(स्वीकृत)

The leave is granted the report will be submitted within a week during the next session.

(विराम)

We now adjourn sine die.

(सदन की कार्यवाही अनिश्चित् तिथि तक के लिये १२-४५ पर समाप्त हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक, २८ अप्रेल, १९५३

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(वे मतारांकित प्रश्नोत्तर जो सदन की मेज पर रखे गये)

21. (197/RM.) Shri Hanuwant Singh, M.L.A. (*Div. No. 50*).

Will the Revenue Minister be pleased to place on the table of the house the programme of Relief Works together with the estimated cost sanctioned to be carried out for famine stricken areas of Rajasthan.

The Relief programme is as under:—

1. Roads through P.W.D. Agency.

Bikaner Division.

	Amount. Rs.
1) Bikaner - Delhi Roads Repairs	1,00,000/-
2) Lunkaransar-Bikaner Construction	29,000/-
3) Rajgarh Sa khu	65,000/-
4) Dungargarh town to Rly. station	15,000/-
5) Nohar Sahwa.	2,10,000/-
6) Dungargarh-Momasar	10,000/-
7) Churu-Bhaleri	10,000/-
	4,39,000/-

Jodhpur Division

1) Au-Denog	12,000/-
2) Au-Chandi	56,000/-
3) Phalodi Lohawat	70,000/-
4) Deehu-Chamu	90,000/-
5) Pokran - Phalodi	55,000/-
6) Nariani - Dhawa	55,000/-
7) Pokran - Jaisalmer	50,000/-
8) Borandwa - Khawar via Doli	6,000/-
9) Pokran-Pokarna-Phalsund	60,000/-
10) Shiv - Jaisalmer	40,000/-
11) Sindri - Barmer	70,000/-
12) Ganglao - Bhundel	66,000/-
13) Choti- Khatu-Badi-Khatu	15,000/-
14) Ladnun - Numbi - Jodhar	80,000/-
15) Choti-Khatu-Tosina	1,00,000/-
16) Ladnun Jaswantgarh	
17) Khunkhuna-Rly.station to Didwana to link with Nagour Road.	11,000/-
18) Ladnu-Roru via Lehri	10,000/-
	8,56,000/

Page No.86

Udaipur Division	Rs.
1) Banswara - Dhariawad	
2) Bandi-Dhariawad	
3) Magwas - Kirat	3,14,000/-
4) Kotra - Kanpa	
5) Salumber - Dhariawad	
Grand Total:	15,95,000/-

2. Relief Works through Revenue Agency.

Roads in Udaipur District thr_ugh Revenue Agency	76,000/-
Tanks.	
Bikaner	1,00,000/-
Ganganager	1,00,000/-
Churu	1,40,000,
	3,40,000/-
Jodhpur	1,00,000/-
Nagaur	20,000/-
Ba mer	36,000/-
Jaisalmer Sub-division	48.000/-
	2,04,000/-
Udaipur	3,10,000/-
Banswara	91,000/-
Dungarpur	75,000/-
Chittorgarh	1,40,000/-
	6,16,000/-

3. Tools and plants.

Rents and Depreciation transferred from 50 Civil Works.	1,45,000/-
Gratuitous Relief.	
Bikaner	10,000/-
Ganganager	16,000/-
Churu	9,000
Total.	35,000/-
Jodhpur	5,000/-
Barmer	2,500/-
Nagaur	2,500/-
	10,000/-

Udaipur	2,000/-
Banswara	2,000/-
Dungarpur	3,000/-
Chittorgarh	3,000/-
	10,000/-
Grand Total.	55,000/-

4. Miscellaneous.
water Supply arrangements.

A.

Bikaner	40,000/-
Gang nagar	40,000/-
Churu	50,000/-
	1,30,000/-
Jodhpur	25,000/-
Barmer	5,000/-
Nagaur	31,000/-
Jaisalmer (S.D.)	5,000/-
	66,000/-
Udaipur	4,000/-
	2,00,000/-
	50,000/-
	2,50,000/-

B. Cattle conservation and fodder arrangements.

Bikaner Division	2,25,000/-
Jodhpur Division	25,000/-
	2,25,000/-

२२. श्री तेजमल बापना—क्या मन्त्री, कस्टम विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या असिस्टेन्ट कस्टम कमिश्नर भीलवाड़े के डिवीजन मांडलगढ़ के दानी ने जोजवा के एक श्री काशीरामजी सामदानी के ६ पीपे घी के वेजिटेबिल कह कर तारीख २७-१०-५२ को जब्त किये थे ?

(२) क्या उस समय कोई पंचनामा बनाया गया था और उसमें पंचों ने घी को शुद्ध होना लिखाया था ?

(३) क्या यह सही है कि जब्त करते समय इन ६ ही टिनों को सील नहीं किया गया बल्कि खुली अवस्था में ही ६, १० मील दूर उन्हें मांडलगढ़ ले जाया गया और मालिक के दस्तखत पर्चे पर नहीं लिये गये ?

(४) क्या यह भी सही है कि घी के मालिक की शिकायत पर इन्सपेक्टर ने जांच की और यह रिपोर्ट दी कि दानी मांडलगढ़ की कार्यवाही अवैधानिक व अनियमित व कानून के विरुद्ध है फिर भी उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया है ?

(५) क्या यह भी सही है कि मालिक घृत ने कागजात की नकलें व मुवायना मिसल की दरख्वास्त असिस्टेन्ट कस्टम कमिश्नर भीलवाड़ा के यहां प्रस्तुत की और जहां जानबूझ कर कागजात मौजूद होते हुए भी जाब्ते की खामियों को दबाने के लिये इन्सपेक्शन नहीं कराया गया और अभी तक नकलें भी नहीं दी हैं ?

(६) क्या यह सही है कि कमिश्नर साहब कस्टम के ऐसे आदेश हैं कि वेजिटेबिल घी की कार्यवाही डिपार्टमेन्ट न किया करें ? यदि हां, तो इस मुकद्मे की कार्यवाही असिस्टेन्ट कमिश्नर भीलवाड़ा को करने में क्यों दिलचस्पी हुई ?

(७) क्या यह भी सही है कि असिस्टेन्ट कमिश्नर भीलवाड़ा के चालान किये हुए कई मुकद्मे न्यायालय से इस बिना पर खारिज हो गये कि वेजिटेबल घी का (पजेशन) कानूनी जुर्म नहीं है ? फिर भी इस शख्स को लटकाये रखने में उनका क्या मतलब है ?

(८) क्या मांडलगढ़ दानी का यह कार्य अधिकृत था ? यदि नहीं, तो उसके खिलाफ क्या एक्शन लिया गया और यदि कोई एक्शन अब तक नहीं लिया गया तो क्यों ?

(९) इस मामले में घी की क्या कोई जांच केमीकल से कराई गई ? यदि कराई गई तो कब और उसका क्या नतीजा निकला ?

(१०) क्या ऐसे मामलों की जांच (इन्वेस्टीगेशन) के लिये कोई समय निर्धारित है ? यदि है तो कितना समय ? क्या इसमें कोई अवधि बाकी है ?

(११) क्या घी के मालिक ने धारा ८० जा० दी० के अन्तर्गत कोई नोटिस सरकार को दिया है ? यदि हां तो कब और उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर—

(१) हां, उक्त दाणी ने ६ पीपे वेजीटेबल घी के बता कर कब्जे में लिये थे।

(२) पूर्वार्ध का उत्तर हां, उत्तरार्ध का नहीं।

(३) नहीं।

(४) यह जांच अभी हो रही है, जांच का नतीजा प्राप्त होने पर ही दाणी के खिलाफ एक्शन लेने का सवाल उठ सकता है।

(५) नहीं ।

(६) पूर्वार्ध का उत्तर नहीं । पूर्वार्ध के उत्तर को देखते हुए उत्तरार्ध प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(७) पूर्वार्ध का उत्तर नहीं, उत्तरार्ध का प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(८) दाणी के कार्य को अनधिकृत समझने का इस वक्त तक कोई कारण नहीं है ।

(९) नहीं ।

(१०) नहीं ।

(११) हां, मालिक घी के कानूनी प्रतिनिधि को नोटिस का समुचित उत्तर दे दिया गया है ।